प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

(खण्ड-11)

जुलाई 2019 से सितम्बर 2022 सत्र [जुलाई 2022] के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

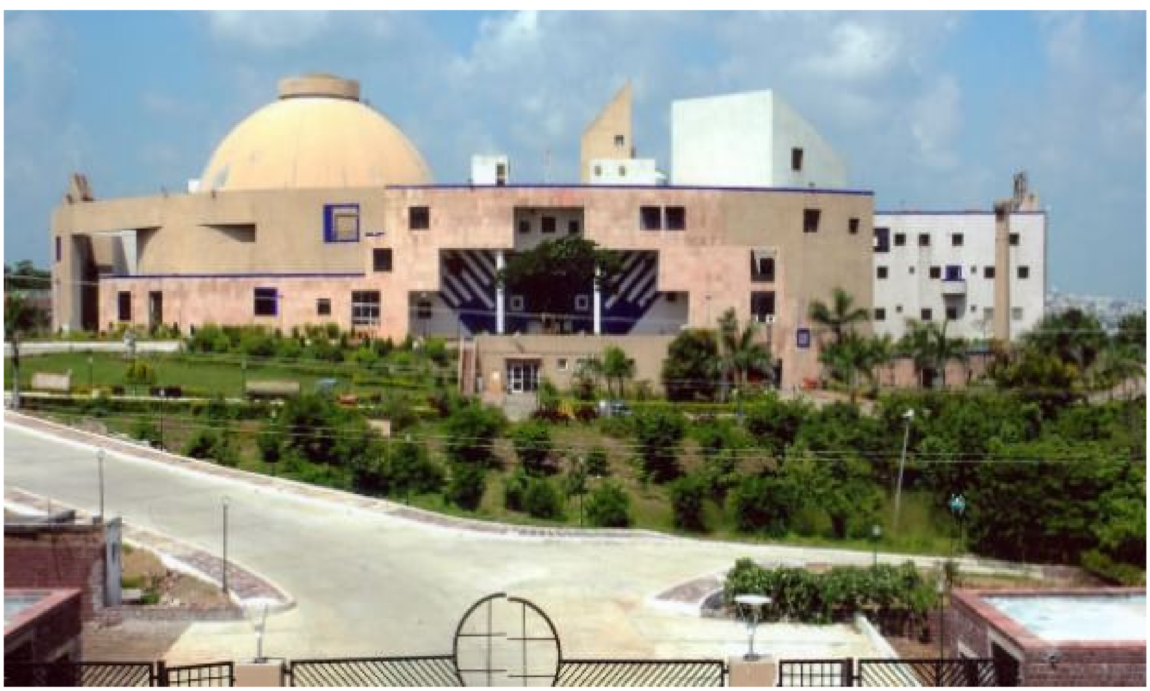

(दिसम्बर 2022 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-11

जुलाई 2019 से सितम्बर 2022 सत्र [जुलाई 2022]

के

प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2022

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्री रमेश महाजन	--	उप सचिव
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री प्रवीण जैन	--	सहायक ग्रेड-2
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

<u>प्रस्तावना</u>

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार **जुलाई 2019 से सितम्बर 2022 सत्र [जुलाई 2022]** में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी गई जानकारी को बड़े कोष्ठक में [...........] दर्शाया गया है.

एं.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

स्थान : भोपाल (म.प्र.)
दिनांक : 09 दिसम्बर, 2022

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	जुलाई 2019 सत्र	--	--	1-2
2.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	3
3.	फरवरी-मार्च 2021 सत्र	--	--	4-15
4.	अगस्त 2021 सत्र	--	--	16-18
5.	दिसम्बर 2021 सत्र	--	--	19-22
6.	मार्च 2022 सत्र	--	--	23-63
7.	सितम्बर 2022 सत्र [जुलाई 2022]	--	--	64-98

जुलाई, 2019

<u>दिनांक 19 जुलाई, 2019</u>

मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के विकास एवं उत्थान के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि

[आदिमजाति कल्याण]

1. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 458) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 3 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार से मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के विकास एवं उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि किन-किन योजनाओं के तहत विभागवार प्राप्त हुई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** क्या उक्त धनराशि स्वीकृत मदों के अतिरिक्त अन्य मदों में भी व्यय की गई? यदि हाँ, तो स्वीकृत मद के विपरीत अन्य मदों में व्यय की गई राशि का जिस सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन एवं स्वीकृति दी गई, उक्त समस्त अनुमोदन एवं स्वीकृति का विवरण वर्षवार उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या विगत पांच वर्षों में अनुसूचित क्षेत्र हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त राशि के दुरूपयोग एवं मद परिवर्तन कर राशि के दुरूपयोग एवं घोटाले की उच्चस्तरीय जांच प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से अथवा लोकायुक्त जांच की अनुसंशा करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान केन्द्र सरकार से जनजातीय कार्य विभाग तथा प्रदेश के अन्य विकास विभागों को उनसे संबंधित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से शेड्यूल्ड ट्राइब कम्पोनेन्ट (एस.टी.सी) के तहत सीधे प्राप्त राशि का विभागवार-योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक** पर दिया गया है। **(ख)** जी हाँ, स्वीकृत मद के विपरीत अन्य मदों पर व्यय की गई राशि को जिस सक्षम स्तर पर अनुमोदन एवं स्वीकृति का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो** पर दिया गया है। **(ग)** भारत सरकार से जैविक खेती सपोर्ट प्रोग्राम के तहत स्वीकृत योजना में मद परिवर्तन एवं अनियमितता करने संबंधी मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 02 नवंबर 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार कृषि विभाग द्वारा दायित्व निर्धारण कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार कृषि विभाग को कार्यवाही हेतु लिखा गया है। शेष प्रकरणों में शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार कार्यवाही की जाने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 23 जुलाई, 2019</u>

नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान किया गया वृक्षारोपण

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

2. अता.प्र.सं.138 (क्र. 3848) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 तक पर्यावरण को संतुलित करने हेतु मां नर्मदा सेवा

यात्रा के दौरान क्या वृक्षारोपण का कार्य किया गया था? यदि हाँ, तो प्रदेश में कहां से कहां तक कितने और किस-किस प्रजाति के कितने वृक्षों का रोपण किया गया? इसमें कुल कितनी राशि व्यय की गई? पौंधे की कीमत सहित व्यय करने वाले अधिकारियों के नाम सहित विवरण उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में किये गये वृक्षारोपण में से वर्तमान में कितने वृक्ष सुरक्षित एवं हरे-भरे हैं एवं कितने क्षतिग्रस्त अथवा सूख गये हैं? क्षतिग्रस्त एवं सूखे वृक्षों से शासन को कितनी राजस्व हानि हुई? रोपित वृक्षों को किस दर पर कहां से क्रय किया गया था? इसका भौतिक सत्यापन किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया? **(ग)** क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 तक प्रदेश में मां नर्मदा किनारे रोपित किये गये वृक्षों को रोपने का कार्य बिना किसी कार्य योजना के कराया गया, जिससे 70 प्रतिशत पौधे नष्ट हो गये? क्या जितने पौधे का रोपण बताया गया है वह मात्र कागजों तक ही सीमित था? यदि हाँ, तो क्या शासन क्रय करने वाली नर्सरी की जांच करायेंगा? यदि हाँ, तो कब तक?

वित्त मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है*** **] (क)** वित्तीय वर्ष 2016 से 2018 तक पर्यावरण को संतुलित करने हेतु मां नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान वन विभाग/उद्यानिकी विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। विभाग से उपलब्ध जानकारी अनुसार:- वन विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार- जी हाँ, मां नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान वर्ष 2016 से 2018 तक विभाग द्वारा नर्मदा तट पर पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण निवारण योजनांतर्गत नर्मदा तट किनारे 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक किसानों की निजी भूमि में फलपौध रोपण किया गया है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल "अमरकंटक" जिला अनूपपुर से "जोबट" जिला अलीराजपुर तक प्रदेश के 16 जिलों में फलदार पौधों का रोपण किया गया है। रोपित प्रजाति, व्यय राशि एवं पौधे की कीमत सहित व्यय करने वाले अधिकारियों के नामों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 1, 2, एवं 3 अनुसार** है। **(ख)** वन विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। उद्यानिकी विभाग द्वारा (क) के परिप्रेक्ष्य में लगाये कुल पौधों में माह जनवरी 2019 की सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार माह जनवरी 2019 की स्थिति में 75 प्रतिशत पौधे जीवित हैं एवं 25 प्रतिशत पौधे क्षतिग्रस्त हो गये। चूंकि पौधे किसानों के खेतों में रोपित होकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं किसानों की होने से शासन को हानि नहीं हुई है। रोपित पौधों की दरें **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है एवं पौधे क्रय किए जाने वाली नर्सरियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकरियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेष कार्य हेतु दिनांक 02.07.2017 को सम्पन्न पौधा रोपण कार्य में लगाये गये पौधो के भौतिक सत्यापन एवं इस कार्य पर किये गये व्यय के संबंध में दिनांक 22.11.2019 को आयोजित उप मंत्रीमण्लीय समिति की बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार संबंधित विभागों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-7 अनुसार** है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 18 मार्च, 2020

शासनादेशों/विभागीय निर्देशों के पालन में की गयी कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं.74 (क्र. 973) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी सरकार आपके द्वारा एवं नगरीय क्षेत्रों में शहर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम/अभियान संचालित किए जा रहे हैं? यदि हाँ,तो किन शासनादेशों से उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में किन-किन बुनियादी जरूरत/समस्याओं के निराकरण के शासनादेश/विभागीय निर्देश दिये गए हैं? **(ख)** क्या कटनी तहसील के ग्रामीण,शहरी क्षेत्र अंतर्गत इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया हैं? यदि हाँ, तो इन कार्यक्रमों का कब-कब एवं कहाँ-कहाँ आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में किन-किन नागरिकों के किन विषयों पर आवेदन प्राप्त हुये और प्राप्त आवेदनों के निराकरण में प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी? आवेदनवार/शिविरवार बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या कार्यक्रमों/अभियान में प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जा चुका हैं? यदि हाँ, तो आवेदनवार किए गए निराकरण से अवगत करायें। यदि नहीं, तो क्यों और क्या नागरिकों के आवेदनों पर कार्यवाही न कर, आवेदनों को निराकृत न करने पर क्या कार्यवाही की जायेंगी?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी हाँ। म.प्र; शासन नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 4736/यू.ए.डी.डी.दि.05/9/2019 एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्र. 15834 दि. 12/9/2019 से जारी निर्देशों के परिपालन में नगर पालिक निगम कटनी सीमा अन्तर्गत वार्डों में शहर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम/अभियान संचालित किये गये। आम नागरिकों को शिविरों में ई-नगर पालिका, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) प्रधान मंत्री आवास योजना जलशक्ति अभियान, युवा स्वाभिमान एवं स्वरोजगार योजनाएं, निर्माण कार्य, पॉलीथीन मुक्त एवं पर्यावरण जागरूकता, शहरी परिवहन, महिला सुरक्षा, बेसहारा गौवंश के लिए शहरी नीति का क्रियान्वयन किये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला कटनी के पत्र क्रमांक 3371/कले./न.नि./2019 कटनी दिनांक 19/09/2021 से शिविरों का आयोजन किया गया। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। शहरी क्षेत्र में आयोजित शिविरों से प्राप्त 418 शिकायतों के निराकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत कटनी क्षेत्रान्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है।

फरवरी-मार्च, 2021

दिनांक 23 फरवरी, 2021

मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.12 (क्र. 102) श्री रामपाल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** फरवरी 2021 की स्थिति में भोपाल संभाग के जिलों में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत किन-किन आवेदन पत्र किस स्तर पर कब से एवं क्यों लंबित है प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है। **(ख)** लंबित प्रकरणों का कब तक निराकरण होगा विलंब के लिए कौन-कौन अधिकारी जवाबदार है। **(ग)** प्रकरण स्वीकृति उपरांत राशि भुगतान के संबंध में क्या-क्या निर्देश हैं उनकी प्रति दें। **(घ)** राशि भुगतान के लिए किन-किन के प्रकरण कब से किस स्तर पर क्यों लंबित है कब तक राशि का भुगतान होगा।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में भोपाल संभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत राशि भुगतान के लिए 49 प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में बजट के अभाव में लंबित थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** प्रकरणों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा योजना के नियम/प्रावधान अनुसार 15 दिवस की समय-सीमा नियत की गई है। परिपत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उप संचालक, मंडी बोर्ड भोपाल संभाग की मांग अनुरूप राशि रूपये 240.36 लाख दिनांक 31.03.2021 को प्रदाय किया जा चुका है। शेष का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है। **(ग)** योजना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश "ख" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर कार्यालयों द्वारा किया जा चुका है।

कृषि मंडी में किसान की फसल का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 520) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** भारत सरकार के नियम 05 जून 2020 के आधार पर कृषि उपज पैनकार्ड/आधार कार्डधारी द्वारा सीधे किसान से क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में ऐसे क्रय मंडी समिति के लायसेंसधारी व्यापारियों द्वारा किया जाता है जिसमें किसान को क्रय किये जाने वाले भुगतान की जवाबदारी मंडी समिति की होती है यदि वर्तमान नियम बदले जाते है तो किसान की उपज के भुगतान की जवाबदारी कौन लेगा? क्या शासन द्वारा इस संबंध में कोई नियम बनाए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किसान को भुगतान एमएसपी आधार पर होगा, यह निर्धारित कौन करेगा? इसकी शासन क्या व्यवस्था करेगा, मंडी समिति की क्या भूमिका होगी?

नियम सहित जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या भुगतान संबंधी कोई समय-सीमा तय की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में किसान का शोषण होना स्वाभाविक है किसानों का भुगतान नहीं होने की दशा में क्या खरीदारों पर शासन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** मंडियों की आय कम होने से मंडी समिति/बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन पेंशन इत्यादि की व्यवस्था हेतु शासन क्या कार्यवाही कर रहा है?

किसान कल्याण मंत्री : [***क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **]** **(क)** भारत सरकार द्वारा उक्त कानून निरस्त कर दिए जाने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

दिनांक 1 मार्च, 2021

निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य कर वेतन का प्रदान

[स्कूल शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.47 (क्र. 1446) श्री योगेन्द्र सिंह : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सुभाष चंद्र शर्मा अध्यापक एवं सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सारंगपुर जिला राजगढ़ द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन दिनांक 09/11/2020 तथा संलग्न सभी आदेशों तथा मा. उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा सभी पारित आदेशों के पश्चात कोई भी विभागीय जांच नहीं होने पर भी अभी तक बहाली के एक वर्ष पश्चात भी निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य कर वेतन नहीं देने के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी? **(ख)** अभी तक वेतन का निर्धारण क्यों नहीं किया गया? इस संबंध में प्रश्नकर्ता तथा सुभाष चन्द्र शर्मा अध्यापक द्वारा कलेक्टर राजगढ़ एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को दिनांक 09/11/2020 को अभ्यावेदन के साथ समस्त न्यायालयीन आदेश प्रदान करने के पश्चात निलंबन अवधि के वेतन से कैसे वंचित हैं?

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [*(क) श्री सुभाष चंद्र शर्मा अध्यापक एवं सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर जिला राजगढ़ के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला शाजापुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2015 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरस्त की गई है, अतः श्री सुभाष चंद्र शर्मा अध्यापक एवं सुषमा शर्मा के प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु नस्ती-231/2021/20-1 पंचायत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जावक क्रमांक- 866/पी.ए./प्र.स./स्कूल शिक्षा दिनांक 19-02-2021 से प्रेषित की गई है। शेष जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से* ***एकत्र की जा रही है। (ख)*** *जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से* ***एकत्र की जा रही है।*** **] (क)** श्री सुभाष चन्द्र शर्मा अध्यापक एवं सुषमा शर्मा सहायक अध्यापक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगपुर जिला-राजगढ़ के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बडोदिया जिला-शाजापुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.06.2015 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निरस्त की गई हैं, अतः श्री सुभाष शर्मा एवं श्रीमती सुषमा शर्मा के प्रकरणों का निराकरण किये

जाने हेतु नस्ती शासन के माध्यमिक से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नस्ती क्रमांक 231/2021/20-1 जावक क्रमांक 866/पीए/प्र.स./स्कूल शिक्षा दिनांक 19.02.2021 को प्रेषित की गई हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश ''क'' अनुसार।

दिनांक 2 मार्च, 2021

नये कृषि कानूनों से मंडियों की आय में कमी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. परि.अता.प्र.सं. 123 (क्र. 2429) श्री मेवाराम जाटव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को मध्यप्रदेश में भी लागू कर दिया गया है? यदि हाँ, तो कौन-कौन से कृषि कानून किस-किस दिनांक से लागू किये गये? **(ख)** क्या उक्त नये कृषि कानून लागू होने के बाद से प्रदेश की मंडियों में उपज की आवक में कमी हुई है, जिससे बड़ी मंडियों की आय घटी है? यदि हाँ, तो कितने-कितने प्रतिशत आवक कम हुई है तथा कितनी प्रतिशत आय घटी है? **(ग)** उपरोक्त प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की मंडियां बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है? यदि नहीं, तो मंडियों की आय बरकरार रखने के लिये शासन की क्या योजना है?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उपज व्यापार (वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश 05 जून 2020 तथा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर पर करार (विवाद समाधान) अध्यादेश 05 जून 2020 प्रमुख सचिव म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पत्र क्रमांक/6816/ पीएस/2020 भोपाल दिनांक 23.06.2020 से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त होने के निर्देशानुसार मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक 402 दिनांक 24.06.2020 से राज्य मण्डियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों पर अंतरिम आदेश दिनांक 12.01.2021 जारी की रोक लगाई गई है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** वर्तमान में प्रदेश की मण्डियां बंद नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर दिनांक 12.01.2021 अंतरिम आदेश जारी कर स्थगन दिये जाने मण्डियों की पूर्ववत स्थिति बहाल होने जाने से शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

दिनांक 9 मार्च, 2021

व्यापम द्वारा दस्तावेज नष्ट करने की झूठी कहानी

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

5. अता.प्र.सं.107 (क्र. 3912) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** व्यापम द्वारा वर्ष 2007 से पहले के दस्तावेज नष्ट करने संबंधी समस्त प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति देवे तथा बतावें कि व्यापम द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

इन्दौर को लिखे पत्र क्रमांक/प-2/5/10/2013 दिनांक 01.01.2014 द्वारा 2006 तथा 2007 पी.एम.टी. परीक्षा के समस्त दस्तावेज पत्र क्रमांक मंडल/प-2/5/265/2013 दिनांक 11.01.2013 द्वारा भेजने का उल्लेख है। यदि हाँ, तो उस पत्र की प्रति देवें। **(ख)** व्यापम ने 2004 से 2007 पीएमटी परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग की जांच क्यों नहीं की तथा 2008 से 2013 के रोल नम्बर सेटिंग्स की जांच के आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि क्या उक्त आदेश की प्रति पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ को कार्यवाही के लिये भेजी गयी थी। यदि हाँ, तो बतावें कि किस-किस वर्ष की जांच पर प्रकरण दर्ज हुआ किसमें नहीं हुआ। **(ग)** वर्ष 2014 से 2021 जनवरी तक व्यापम के अधिकारियों के नाम, पद, व्यापम में कार्य प्रारम्भ की दिनांक, सहित सूची देवें तथा बतावें कि इस अवधि में स्ट्राँग रूम किस दिनांक को किस कार्य के लिये खोला गया। **(घ)** वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक का व्यापम का आय-व्यय का ब्यौरा दे तथा कि जनवरी 2021 को व्यापम की कितनी-कितनी राशि किस-किस बैंक में जमा है तथा जनवरी 2014 से जनवरी 2021 तक आयोजित परीक्षा की जानकारी दें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [*(क) पीईबी द्वारा दस्तावेज नष्टीकरण संबंधी प्रमाणिक दस्तावेजों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।*** *शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को लिखे पत्रों की छायाप्रति* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख)*** *वर्ष 2012 एवं 2013 में पीएमटी परीक्षाओं में अनियमितता प्रकाश में आने के उपरांत तत्कालीन पीईबी अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2011 तक आयोजित पीएमटी परीक्षा की आंतरिक जांच हेतु निर्देशित किया गया।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।*** *जी हाँ।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।*** *एस.टी.एफ. द्वारा किस-किस वर्ष की जांच पर प्ररकण दर्ज हुआ है संबंधित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है। (घ)*** *वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक का पीईबी के आय-व्यय के ब्यौरों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार है।*** *व्यापम की बैंक में जमा राशि का विवरण* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार है।*** *जनवरी 2014 से जनवरी 2021 तक आयोजित परीक्षाओं की विस्तृत* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार है।*** **] (ख)** प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को पी.एम.टी. परीक्षा वर्ष 2008 से 2011 में रोल नम्बर सेटिंग प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही के संबंध में पत्र प्राप्त हुये थे। प्रकरणों की जांच में सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण तथा पत्र क्रमांक 1277/सीएमएस/पीआरएस/2019 दिनांक 01.08.2019 में मार्गदर्शी निर्देश के परिपालन में अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं किये गये।

मंडी शुल्क के संबंध में

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. परि.अता.प्र.सं. 114 (क्र. 4003) श्री विजयराघवेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** केन्द्रीय कृषि कानूनों पर मा.सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र. 1118/2020 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2021 से प्रश्न दिनांक तक कृषि उपज मंडी समिति कटनी, इंदौर के किन-किन दाल मिलों एवं इन्हीं मंडियों के अन्य व्यापारियों द्वारा कौन-कौन सी

जिंस कितनी मात्रा, कितनी कीमत की क्रय किया और कितना मंडी शुल्क एवं नि:शुल्क देय था? कितना दिया? कितना शेष है? **(ख)** प्रश्नांश (क) की अवधि में (क) की ही मंडियों प्रदेश के बाहर से किराना जैसे हल्दी, जीरा, मिर्च एवं अन्य जिस पर मंडी शुल्क देय है? वह कितनी-कितनी मात्रा में आई और उस पर कितना मंडी शुल्क जमा हुआ? कितना शेष है? **(ग)** प्रदेश में ऐसी कितनी मंडियों में कितनी फर्में प्रश्न दिनांक तक हैं जिनके ऊपर मंडी शुल्क बकाया है और उन्हें किसी न्यायालय से स्थगन भी नहीं मिला और उनके बकाया रहते नवीनीकरण भी कर दिया गया? ऐसी फर्मों के नाम मंडीवार बताएं। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में इस तरह की अनियमितता पाए जाने पर उन फर्मों एवं उन मंडी सचिवों के विरूद्ध शासन कब और क्या कार्यवाही करेगा? **(ड.)** प्रदेश में केन्द्रीय कानून लागू होने के बाद एवं मंडी शुल्क पचास पैसा निर्धारित किए जाने से प्रतिमाह जो मंडियों को आय हो रही है उसके अनुपात में वेतन पर कितना-कितना व्यय मंडी को हो रहा है? इतनी कम आय से कर्मचारियों का वेतन कैसे भुगतान करेंगे। वेतन भुगतान के लिये क्या नीति बनाई है? यदि नहीं, बनाई तो कब बनाएगें?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) प्रश्नागत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** **(ख)** प्रश्नागत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।** **(ग)** प्रदेश अंतर्गत मण्डी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों फर्मों पर देय मण्डी फीस की बकाया राशि एवं माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त नहीं रहते नवीनीकरण नहीं किया गया है। **(घ)** उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ड.)** केन्द्रीय कानून लागू होने के बाद एवं मण्डी फीस 50 पैसे निर्धारित किये जाने के प्रदेश की मण्डियों को प्राप्त मण्डी फीस तथा वेतन भत्तों पर व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।** 50 पैसे मण्डी फीस निर्धारित अल्पावधि होने के कारण तथा 14 फरवरी 2021 से मण्डी फीस पुन: पूर्वत: 1.50 रूपये हो जाने से वेतन भुगतान समस्या समाप्त होने जाने के कारण कोई नीति नहीं बनाई गई है, शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता।

दिनांक 10 मार्च, 2021

अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

7. अता.प्र.सं.66 (क्र. 3879) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक उज्जैन संभाग के विभिन्न विभागों के अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित है कुल प्रकरणों की संख्या एवं विभागवार प्रकरणों की संख्या अलग-अलग बतायें। अनुकम्पा नियुक्ति की कुल कितनी शिकायत किस-किस विभाग की लंबित है? कितनों का निराकरण हो गया है? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को लेकर दिनांक 1 जनवरी 17 के पश्चात कब-कब विभिन्न विभागों को क्या-क्या निर्देश/परिपत्र जारी किये? **(ग)** मंदसौर, रतलाम जिलो में विभिन्न विभागों में वर्तमान में कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लंबित है कारण सहित जानकारी देवें। **(घ)** अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का कितने

समय में निराकरण का नियम है? अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को हल करने में तेजी लाने के लिए सामन्य प्रशासन विभाग द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे है।

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *दिनांक 05 जनवरी 2019 एवं दिनांक 18 नवम्बर 2019 को निर्देश जारी किए गए।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *निर्देश दिनांक 29.09.2014 की कंडिका 13.6 अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति के लिये पद रिक्त होने पर एक माह की समयावधि नियत है। उत्तरांश (ख) अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।*] **(क)** उज्जैन संभाग के जिलों से प्राप्त विभागवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार।**

<u>दिनांक 18 मार्च, 2021</u>

उड़द एवं सोयाबीन की खरीफ फसल बीमा का मुआवला

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 4282) श्री तरबर सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बण्डा विधानसभा की शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में कितने रकवे में कितने किसानों द्वारा सोयाबीन एवं उड़द की बोनी की गई थी? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) किसानों से फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा हुई थी? यदि हाँ, तो कितने किसानों से कितनी राशि? **(ग)** वर्ष 2020 में शाहगढ़ तहसील में फसल बीमा मुआवजा हेतु उड़द व सोयाबीन में नुकसानी के क्या-क्या मानक निर्धारित थे? क्षेत्र में कुल एवं प्रति हेक्टेयर उड़द एवं सोयाबीन में कितना उत्पादन हुआ विभाग के आंकलन एवं मण्डी में बिक्री रिकार्ड के आधार पर पृथक-पृथक बताये? **(घ)** शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में सोयाबीन में अफलन एवं उड़द में पीला मोजेक से किसानों की फसल को कितना-कितना नुकसान हुआ? **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के संदर्भ में यह भी बताये की शासन के लापरवाह कर्मचारियों जिनके कारण किसानों को फसल बीमा मुआवजा नहीं मिल सका, के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा और कब? और किसानों के फसल बीमा मुआवजा नुकसानी की भरपाई कब तक की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *जी हाँ।* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ग) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में 20016.60 हेक्टेयर रकबे में सोयाबीन एवं 12515 हेक्टेयर रकबे में उड़द की बोनी की गयी थी। **(ग)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार क्षतिपूर्ति का आंकलन वास्तविक उपज व थ्रेशोल्ड उपज के आंकड़े के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा 1. ओलावृष्टि, भू-स्खलन व प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली) बादल फटना, जलभराव होने पर बीमित किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। 2. बुआई के दौरान विपरित मौसम परिस्थितियों एवं कम बारिश से नुकसान होता है तो बीमा राशि का 25 प्रतिशत तक दावा देय होगा व तत्पश्चात् बीमा आवरण समाप्त हो जाएगा। 3. मौसम के मध्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी संभावित दावा राशि का 25 प्रतिशत दावा भुगतान। 4. फसल कटाई के बाद भी चक्रवात एवं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का जोखिम अधिकतम 14 दिनों तक आवरित। तहसील शाहगढ़ में फसल कटाई प्रयोग के अनुसार

खरीफ 2020 में उड़द फसल 315.600 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर एवं सोयाबीन फसल 314.800 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर होना पाया गया। मंडी बिक्री रिकार्ड के आधार पर सोयाबीन आवक टन में 1617.90 एवं उड़द में आवक टन 72.80 आवक हुई है। **(घ)** शाहगढ़ तहसील में वर्ष 2020 में सोयाबीन में अफलन एवं उड़द में पीला मोजेक से किसानों की फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। **(ड.)** उत्तरांश (घ) अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

व्यापाम द्वारा परीक्षा में रोल नम्बर सेटिंग से विद्यार्थियों को प्रवेश

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

9. अता.प्र.सं.53 (क्र. 4619) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1101 दिनांक 18.03.2020 के तारतम्य में व्यापम द्वारा वर्ष 2008 से 2013 में रोल न. सेटिंग के आधार पर एसटीएफ द्वारा किस-किस वर्ष पर प्रकरण दर्ज किये गये। क्या यह सही है कि 2012-13 में जिस आधार पर प्रकरण दर्ज किये गये उस आधार पर वर्ष 2008 से 11 में दर्ज नहीं किये गये। **(ख)** क्या रोल नम्बर सेटिंग से फर्जीवाड़े की जांच व्यापम द्वारा वर्ष 2014-15 में की गई यदि हाँ, तो बतावें कि पुलिस विभाग को इन वर्षों की जांच के आधार पर प्रकरण दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया तो उसका विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1099 दिनांक 18.03.2020 के खण्ड (ग) के सन्दर्भ में बताए कि अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी के काउन्सलिंग के दौरान दस्तावेजों के परीक्षण में 10 वीं तथा 12 वीं के दस्तावेज पेश नहीं करते है यदि नहीं, करते है यदि नहीं, तो उनकी जन्म दिनांक का मूल्यांकन कैसे किया जाता है तथा परीक्षा में शामिल होने के लिये 12 वी की परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक की शर्त का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। **(घ)** क्या वर्ष 2008 से 2011 में हुये फर्जीवाड़े में अपराधिक प्रकरण शासन के पत्र क्रमांक 1277/CMS/PRS/2019 दिनांक 01.08.2019 के परिपालन में नहीं किया गया यदि हाँ, तो उक्त पत्र का विवरण देवें।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्न क्रमांक 1101 दिनांक 18.03.2020 के तारतम्य में एसटीएफ को प्राप्त नहीं हुआ है। एसटीएफ द्वारा परीक्षा वर्ष 2011,2012, 2013 में दर्ज प्रकरण मात्र रोल नंबर सेटिंग के आधार पर नहीं अपितु उक्त अपराधों में रोल नंबर सेटिंग के साथ पररूपधारण, नकल कराना, अवैध रूप से उक्त कार्य हेतु पैसे के लेनदेन के प्रमाण आदि के साक्ष्यों के आधार पर दर्ज किये गये थे। यह कहना सही नहीं है कि परीक्षा वर्ष 2012-13 में जिस आधार पर प्रकरण दर्ज किये गये, उस आधार पर वर्ष 2008-11 में प्रकरण दर्ज नहीं किये गये हैं। सभी शिकायतों में जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। **(ख)** जी हाँ। व्यापम द्वारा जांच उपरांत जारी आदेशों की प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल को भी पृष्ठांकित की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ग)** पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा के आवेदन पत्र हेतु एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर अभ्यर्थी की ऑनलाईन प्रोफाईल बनती है जिसमें जन्म दिनांक की प्रविष्टि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की जाती है एवं साक्ष्य के रूप में 10वीं की अंकसूची की प्रति अपलोड की जाती है। पीईबी द्वारा आयोजित परीक्षा के आवेदन पत्र में पद से संबंधित न्यूनतम अर्हता रखने के संबंध में हाँ/नहीं का विकल्प लिया जाता है अभ्यर्थी द्वारा हाँ पर

टिक किये जाने पर ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। पीईबी द्वारा परीक्षा का परिणाम जारी होने के उपरांत प्रावीण्य सूची/प्रतीक्षा सूची संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार काउंसलिंग/नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से मिलान एवं परीक्षण कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। **(घ)** वर्ष 2008-11 में हुई परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायतों की जांच, प्रक्रिया के अनुसार की गई है। जांच में आये साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक 24 मार्च, 2021

अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना

[जनजातीय कार्य]

10. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 3813) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण विभाग जिला जबलपुर को अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना के तहत शासन ने कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी हैं? इन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई एवं कितनी-कितनी राशि कब से आवंटित नहीं की गई है एवं क्यों? वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक की पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांकित किन-किन विकास एवं निर्माण कार्यों हेतु निर्माण एजेंसी का निर्धारण कब किया गया। कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब-कब किस निर्माण एजेंसी से कराये गये है एवं कौन-कौन से कार्य कब से नहीं कराये गये है एवं क्यों? **(ग)** क्या प्रश्नांकित स्वीकृत सभी निर्माण विकास कार्यों को कराना एवं अनुसूचित जाति वर्ग को विकास एवं प्रगति की मूल धारा में जोड़ना शासन की प्राथमिकता है या नहीं? यदि हाँ, तो शासन कब तक राशि का आवंटन कर कार्यों को कराया सुनिश्चित करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ग)** अनुसूचित जाति वर्ग को विकास एवं उन्नति की मूल धारा से जोड़ना शासन की प्राथमिकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में कार्य स्वीकृत कराए जाते है। प्रश्नांकित स्वीकृत कार्य वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत थे, जो उस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ नहीं हुए। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 25 मार्च, 2021

खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि का प्रदाय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. परि.अता.प्र.सं. 56 (क्र. 5940) श्री प्रियव्रत सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले के जीरापुर एवं खिलचीपुर तहसीलों के अंतर्गत खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 के अंतर्गत कुल कितने कृषकों की फसल बीमा की कितनी प्रीमियम राशि काटी गई थी?

उसके विरूद्ध कितने किसानों को कितनी फसल बीमा राशि प्रदाय की गयी है तथा कितने किसान खरीफ वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि से वंचित रह गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में शेष रहे कृषकों में से किन-किन बैंकों द्वारा कितने-कितने किसानों को बीमा राशि प्रदाय नहीं की गयी हैं? बैंकवार, किसानों की संख्या एवं राशि की जानकारी से अवगत करायें। **(ग)** शेष रहे किसानों को खरीफ फसल वर्ष 2019 एवं 2020 की बीमा राशि कब तक प्रदाय कर दी जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र कृषकों को दावों का भुगतान किया जा चुका है। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार।

शिकायत, जांच कार्यवाही बाबत्

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

12. परि.अता.प्र.सं. 60 (क्र. 5980) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कृषि उपज मंडी समिति पाटन जिला जबलपुर में पदस्थ सचिव का मूलपद क्या है? क्या वे प्रतिनियुक्ति में पदस्थ है? यदि हाँ, तो उनका नाम, प्रतिनियुक्ति दिनांक सहित बतावें, क्या वे वर्तमान प्रतिनियुक्ति के पूर्व भी मंडी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर थे? यदि हाँ, तो कब कब अवधिवार बतायें। **(ख)** क्या मंडियों की आय एवं आवक दोनों वर्तमान में बहुत कम है? मंडियों में वेतन भुगतान के लाले पड़े हैं यदि हाँ, तो मंडियों में पर्याप्त मंडी निरीक्षक होने के बाद उक्त को प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के कर्मचारी को मूल विभाग को क्या कभी वापस किया गया था? फिर उक्त कर्मचारी को पुन: क्यों प्रतिनियुक्ति पर लिया गया? इसके क्या कारण थे? **(घ)** प्रश्नांश (क) के प्रभारी सचिव के विरूद्ध गंभीर शिकायत होने के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर क्यों बनाये हुये है? उक्त की कितनी शिकायतें किस किस के द्वारा की गई, शिकायवार, जांच प्रतिवेदन दें एवं की गई कार्यवाही का विवरण दें।

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति, पाटन जिला जबलपुर में पदस्थ प्रभारी सचिव, श्री सुनील कुमार पाण्डे पैतृक संस्था, म.प्र. सड़क परिवहन निगम में मूल पद पर्यवेक्षक-2 एवं म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर मूल पद मण्डी निरीक्षक है। जी हाँ, श्री सुनील कुमार पाण्डे दिनांक 04.03.2014 से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। जी हाँ, श्री पाण्डे पूर्व में भी म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अतंर्गत दिनांक 11.11.2005 से दिनांक 30.09.2010 तक मंडी निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे। **(ख)** प्रदेश की मंडी समिति की वर्ष 2019-20 की अपेक्षा 2020-21 में मण्डी फीस की आय में कमी परिलक्षित हुई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** प्रदेश की 18 कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा वेतनभत्ते भुगतान हेतु म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुदान की मांग की गई है। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अतंर्गत वर्तमान में मण्डी निरीक्षक के 575 पद रिक्त है। कार्य की आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु श्री

सुनील कुमार पाण्डे मण्डी निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 04.03.2014 से पुन: प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। **(ग)** जी हाँ। मंडी बोर्ड के आदेश दिनांक 08.10.2010 से श्री सुनील पाण्डे की प्रतिनियुक्ति सेवाएं उनके पैतृक संस्था म.प्र. सड़क परिवहन निगम को वापिस की गई थी, तथा मण्डी निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एवं कार्य की आवश्यकता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्री सुनील कुमार पाण्डे पर्यवेक्षक-2 म.प्र.सड़क परिवहन निगम की सेवाएं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आदेश दिनांक 04.03.2014 से मंडी निरीक्षक के पद पर पुन: प्रतिनियुक्ति पर ली गई है। **(घ)** श्री सुनील कुमार पाण्डे प्रतिनियुक्त मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव कृषि उपज मंडी समिति, पाटन जिला जबलपुर के विरूद्ध 04 शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसकी प्रारंभिक जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।** कार्य की आवश्यकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्री सुनील कुमार पाण्डे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। जांच निष्कर्ष में गुण-दोषों के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लिया जावेगा।

वर्तमान सरकार के फैसले अनुसार मध्यप्रदेश में शेष रही भावांतर की राशि का भुगतान

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

13. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 6377) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भावांतर राशि के संबंध में पूर्व में जो फैसले लिए थे, उन फैसलों के आधार पर मध्यप्रदेश में कितनी भावांतर राशियों का भुगतान शेष बचा है? यदि शेष है तो कब तक पूरा करेंगे? **(ख)** क्या तहसील उज्जैन, कोठीमहल, खाचरोद, नागदा को ही राहत राशि सरकार ने दी है, जबकि राहत आयुक्त द्वारा पूरे उज्जैन जिले के लिए राहत राशि दी गयी थी? यदि हाँ, तो उज्जैन जिले के अन्य वंचित विधानसभा क्षेत्रों के किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि न देकर यह भेदभाव क्यों किया गया? **(ग)** क्या तराना राजस्व क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व अमले के साथ प्रश्नकर्ता की उपस्थिति में विधानसभा क्षेत्र तराना के प्रत्येक गाँव में सर्वे किया था, सर्वे के दौरान कितना नुकसान का आंकलन एसडीएम द्वारा शासन को कब प्रस्तुत किया गया उनका विवरण देवें। **(घ)** क्या उज्जैन जिले में राहत आयुक्त के द्वारा राहत राशि दी गयी थी, उसमें तराना विधानसभा के अलावा महिदपुर, घट्टीया और बढ़नगर के किसानों का अधिकार नहीं था? यदि था, तो इन क्षेत्रों के किसानों को अपना अधिकार क्यों नहीं दिया?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** खरीफ वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत कलेक्टर की मांग के आधार पर पूर्ण राशि जारी की जा चुकी है एवं खरीफ वर्ष 2018 में फ्लैट भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत फसल सोयाबीन के लिए दर निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला उज्जैन के आधार पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे उपरांत तहसील उज्जैन, कोठीमहल, खाचरोद, नागदा द्वारा आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान के अंतर्गत पात्र कृषकों को राहत राशि स्वीकृत की गई है। जिले की शेष तहसीलों में आर.बी.सी 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत फसल क्षति नहीं पाये जाने से निरंक जानकारी प्रेषित की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख जिला उज्जैन से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है।** **(ग)** जी,हां। कार्यालय कलेक्टर

(भू-अभिलेख) जिला उज्जैन के आधार पर राजस्व क्षेत्र तराना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं क्षेत्र के माननीय विधायक प्रश्नकर्ता द्वारा सितम्बर 2020 में विधानसभा क्षेत्र तराना के ग्रामों लक्ष्मीपुरा, सुमराखेडा, कायथा, खजुरिया, नलेश्री, पाट, ढाबलाहर्दू, गुनाखेडी, परसोली, रूपाखेडी, सामानेरा व अन्य ग्रामों का एक दिवसीय दौरा किया गया था किन्तु दौरा दिवस पर नुकसान का आंकलन नहीं किया गया था। राजस्व अमले व कृषि विभाग को क्षति के आंकलन के निर्देश दिये गये थे एवं तहसीलदार द्वारा 25 प्रतिशत से कम क्षति का आंकलन भी प्रेषित किया गया था। अधीक्षक भू-अभिलेख जिला उज्जैन से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। (घ)** वर्ष 2020 में उज्जैन जिले को राहत आयुक्त के द्वारा बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए जिले की मांग अनुसार राशि रूपये 132.92 लाख वितरित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उप राहत आयुक्त से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार है।**

दिनांक 26 मार्च, 2021

म.प्र. तिलहन संघ के सेवायुक्तों को 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा

[सामान्य प्रशासन]

14. अता.प्र.सं.70 (क्र. 6624) श्री नीलांशु चतुर्वेदी : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. तिलहन संघ के सेवायुक्तों को 5वें एवं 6वें वेतन की अनुशंसा अनुसार शासकीय सेवकों के समान वेतनमान देने के माननीय न्यायालय के आदेश हैं? यह आदेश विभाग/शासन के संज्ञान में है? **(ख)** उपर्युक्त (क) के संदर्भ में यदि माननीय न्यायालय के आदेश शासन के संज्ञान में है, तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिनांक 23.08.2016 क्यों जारी किये गये? क्या ये निर्देश 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों एवं शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया के अनुरूप है? यदि हाँ, तो किस उदाहरण के साथ बतायें और यदि नहीं, तो त्रुटिपूर्ण निर्देश जारी करने के लिए एवं माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर न्यायालय की अवमानना के लिए कौन दोषी है? क्या दोषी के विरूद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा? **(ग)** उपर्युक्त (ब) के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश यदि त्रुटिपूर्ण हैं, तो क्या विभाग द्वारा उसे निरस्त किया जावेगा। **(घ)** माननीय न्यायालय द्वारा म.प्र. तिलहन संघ के सेवायुक्तों को 5वें एवं 6वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान के आदेश देने के उपरांत भी न्यायालय में इस विषय के प्रचलित प्रकरणों में अब तक शासन द्वारा वकीलों को कितनी फीस का भुगतान किया गया है?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** म.प्र. राज्य तिलहन संघ के सेवायुक्तों द्वारा 5वें एवं 6वें वेतनमान के संबंध में मान. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं में मान. न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 16800/2011 से कुल 36 अन्य याचिकाएं सम्बद्ध कर दी गई है, जो मान. न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2021 को निर्णय हेतु सुरक्षित कर दी गई है। **(ख)** म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12.08.2013 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** तिलहन संघ सेवायुक्तों के लिये लागू संविलियन योजना की कंडिका 2.6 वेतन निर्धारण से संबंधित है, सेवायुक्तों के वेतन निर्धारण में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र दिनांक

23.08.2016 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** वेतन निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' अनुसार शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शासकीय अधिवक्ता को फीस की राशि का भुगतान किया जाता है।

अगस्त, 2021

दिनांक 9 अगस्त, 2021

ट्राईबल सबप्लान एवं बस्ती विकास की राशि

[जनजातीय कार्य]

1. अता.प्र.सं.38 (क्र. 186) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के ट्राईबल सबप्लान एवं बस्ती विकास योजना की राशि प्रश्न-दिनांक तक भी जारी नहीं गई है? यदि हाँ, तो राशि जारी नहीं किए जाने के विधिसम्मत कारण बताएं। यदि नहीं, तो जारी की गई राशि की प्रति-सहित पृथक-पृथक ब्यौरा दें। **(ख)** धार जिले में वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के ट्राईबल सबप्लान एवं बस्ती विकास योजना की कितनी राशि जारी की गई है? कितनी राशि मनावर विधानसभा क्षेत्र के लिए जारी की गई? किन-किन मदों में खर्च की गई? वर्षवार, योजनावार पृथक-पृथक ब्यौरा दें। **(ग)** प्रदेश में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ट्राईबल सबप्लान के तहत कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? उक्त राशि राज्य के बजट का कितना प्रतिशत है। केंद्र से कितनी राशि ट्राईबल सबप्लान के तहत राज्य को प्राप्त हुई? आवंटित राशि एवं खर्च राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा दें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी नहीं प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जारी की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब' अनुसार** है। मनावर विधान सभा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द' एवं "ई" अनुसार** है।

दिनांक 10 अगस्त, 2021

कोरोना के कारण हुई मृत्यु के लिये शासन द्वारा प्रदत्त सहायता

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

2. अता.प्र.सं.87 (क्र. 707) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा-खाचरौद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोरोना काल में 01 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 के बीच किन-किन की मृत्यु कब-कहां हुई है? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण दें। **(ख)** क्या शासन ने कोरोना काल में मृत्यु हुए लोगों के परिजनों को एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो क्षेत्र के किन-किन कोरोना मृतक के आश्रितों को राशि दे दी गई है? **(ग)** ऐसे कितने बच्चे है जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण होने से अनाथ हो गए है? नाम, पते सहित संपूर्ण विवरण दें। **(घ)** विधान सभा नागदा-खाचरौद में विधायक निधि वर्ष 2018-19 से 16/07/2021 तक किन-किन कार्यों की कितनी-कितनी राशि की अनुशंसा की गई? उसमें से कितने कार्य पूर्ण हो गए? कितने कार्य अपूर्ण है? कितने कार्य अप्रारंभ है? कार्य व वर्षवार, राशि सहित पृथक-पृथक विवरण दें।

वित्त मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ) जानकारी परिशिष्ट पर संलग्न है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र की जानकारी निरंक है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>दिनांक 12 अगस्त, 2021</u>

कोविड 19 से होने वाली मृत्यु की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

3. परि.अता.प्र.सं. 11 (क्र. 134) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 मार्च, 21 से 30 जून, 21 की अवधि में जिला अलीराजपुर में अलग अलग तहसीलों में स्थित शमशानों और कब्रिस्तानों में कितने-कितने मृतकों का किस-किस तारीख को अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकोल के तहत किया गया? सूची सहित जानकारी देवें। **(ख)** उपरोक्त अवधि में अलीराजपुर जिले में कोविड-19 से कितनी-कितनी मृत्यु होने की जानकारी सरकारी रिकार्ड में दर्ज है? **(ग)** क्या सरकार कोविड-19 के कारण मृत हुए लोगों की वास्तविक संख्या की जानकारी के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [*(क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में होने वाले अन्तिम संस्कार की जानकारी संकलित करने का विधिक प्रावधान न होने के कारण प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। **(ख)** अलीराजपुर जिले में प्रश्नांश अवधि में कोविड 19 से 36 व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी शासकीय रिकार्ड में संधारित है। **(ग)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कोविड-19 प्रोटोकाल में मृत रिकार्ड की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

4. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 209) श्री आरिफ अक़ील : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मार्च 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि में भोपाल अंतर्गत अलग-अलग तहसीलों में स्थित शमशानों और कब्रिस्तानों में कितने-कितने मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकाल के तहत किया गया? **(ख)** उपरोक्त अवधि में कोविड-19 अंतर्गत जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई क्या उन सभी मृतकों की जानकारी सरकारी रिकार्ड में दर्ज है? **(ग)** क्या सरकार कोविड-19 के कारण मृत हुए लोगों की वास्तविक संख्या की जानकारी के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [*(क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** शमशान घाट एवं कब्रिस्तानों में होने वाले अन्तिम संस्कार की जानकारी संकलित करने का विधिक प्रावधान न होने के कारण प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तरांश के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सार्थक पोर्टल में जानकारी दर्ज है। **(ग)** जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नगर निगम द्वारा खर्च की गई राशि की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

5. परि.अता.प्र.सं. 156 (क्र. 1141) श्री जितू पटवारी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2020 से जून 2021 तक इन्दौर संभाग अन्तर्गत की नगर निगमों द्वारा कोविड के विरूद्ध खर्च की गई राशि की माह अनुसार मद अनुसार जानकारी देवें तथा विभाग द्वारा शासन को कोविड खर्च की जो भी जानकारी भेजी गई है उसकी प्रति देवें। **(ख)** प्रदेश की नगर निगमों में कोविड के दौरान मार्च 2020 से जून 2021 तक माह अनुसार जन्म एवं मृत्यु की जानकारी दें तथा प्रति माह होने वाली वृद्धि तथा कमी का कारण बताएं। क्या वर्ष 2021 में अप्रैल से जून माह में पिछलें वर्षो की तुलना में 5 से 10 गुना वृद्धि कोरोना के कारण हुई है? **(ग)** कोरोना अवधि में चल रहे इंदौर, भोपाल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तथा मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किस तरह से कितना प्रभावित हुआ? इंदौर, भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट व स्मार्ट सिटी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा डी.पी.आर. की प्रति देवें तथा प्रश्न दिनांक तक इन दोनों शहर के स्मार्ट सिटी व मेट्रो प्रोजेक्ट में किस-किस सेवा के लिए कौन-कौन से कंसलटेंट व ठेकेदार तय किए गए और उन्हें कितना-कितना भुगतान दिया गया है और कितना बचा है, की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(घ)** इंदौर, नगर निगम में कोरोना के दौरान मार्च 2020 से मई 2021 तक काफी तादात में कोरोना मरीज के पाये जाने के कारण क्या रहे? क्या इसका अध्ययन करने के लिये कोई कमेटी बनाई गई या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों तथा तीसरी लहर के मद्देनजर ऐहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए गए?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [*(क) से (घ) की जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। विभाग द्वारा शासन को कोविड खर्च की कोई जानकारी प्रेषित नहीं किये जाने के कारण प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ, कोरोना महामारी के कारण लगाये गये विभिन्न प्रतिबंधों, लॉकडाउन, कोरोना कर्फयू के कारण निर्माण सामग्री की उपलब्धता, निर्माण सामग्री के परिवहन तथा निर्माण कार्य के लिये मजदूरों की उपलब्धता तथा उनके आवागमन बंद/ सीमित होने के कारण मैट्रो एवं स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। भोपाल एवं इन्दौर मैट्रो रेल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं डीपीआर की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3,** भोपाल एवं इंदौर स्मार्ट सिटी के लिये मिशन गाइडलाईन अनुसार स्मार्ट सिटी प्रस्ताव तैयार किये गये जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। भोपाल स्मार्ट सिटी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। इंदौर स्मार्ट सिटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। इंदौर एवं भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेकट एवं मैट्रो प्रोजेक्टस में विभिन्न सेवाओं के लिये नियुक्त कंसल्टेंट व ठेकेदार तथा उनके भुगतान व शेष भुगतान की जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 एवं 7 अनुसार** है। **(घ)** कोरोना वायरस का नया वेरियंट अत्यंत संक्रमणशील होने के कारण मार्च-2020 से मई-2021 तक नगर निगम इंदौर में कोरोना के मरीज काफी मात्रा में पाये गये। जी नहीं, जनजागरूकता अभियान तथा व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाकर संक्रमण रोकने के वैज्ञानिक तरीके अपनाये गये है।

दिसम्बर, 2021

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021

शासकीय सेवकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं.76 (क्र. 672) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग में वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने मामलों में शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभिन्न अपराधिक धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है? जिलेवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जावे। **(ख)** प्रश्नांश (क) में दोष सिद्ध पाये गये शासकीय सेवकों के मामलों में कितने प्रकरणों में शासन द्वारा संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गई है और कितने मामलों में वर्तमान में दण्डात्मक कार्यवाही शेष है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दर्शाये लंबित दण्डात्मक कार्यवाही के मामलों का कब तक निराकरण किया जावेगा?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** उज्जैन संभाग में कुल 17 शासकीय सेवकों को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हैं जिसमें आयुक्त उज्जैन के अन्तर्गत 1 एवं शाजापुर में 3 देवास में 2 आगर मालवा में 1 एवं उज्जैन में 4 रतलाम में 1 शासकीय सेवक, नीमच में निरंक एवं मंदसौर में 5 को दोष सिद्ध ठहराया गया हैं। **(ख)** दोष सिद्ध पाये जाने पर आयुक्त उज्जैन के अन्तर्गत 1 शास0 सेवक शाजापुर से 3 शास0सेवक, देवास में 2 शास0 सेवक एवं आगर मालवा में 1 शास0 सेवक एवं उज्जैन में 2 शास0 सेवक एवं 1 शास0 सेवक पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं रतलाम में 1 शास0 सेवक नीमच में निरंक एवं मंदसौर में 5 शा0 सेवको पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई हैं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में दर्शाये लंबित दण्डात्मक कार्यवाही में आयुक्त उज्जैन संभाग की जानकारी निरंक हैं जिला शाजापुर में निरंक एवं देवास में 2 आगर मालवा में निरंक उज्जैन जिले में 1 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं एवं रतलाम में जानकारी निरंक हैं नीमच में निरंक एवं मंदसौर में भी जानकारी निरंक हैं। निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं हैं।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2021

ओव्हर लोडिंग परिवहन के संबंध में

[परिवहन]

2. परि.अता.प्र.सं. 54 (क्र. 674) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी, 2020 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में उज्जैन संभाग में यात्री परिवहन, अवैध रेत परिवहन और ओव्हर लोडिंग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? प्रकरणवार, दिनांकवार, कार्यवाहीवार विवरण दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकरणों में क्या यह जाँच की गई कि, ओव्हर लोडिंग परिवहनकर्ता इस तरह का कृत्य कब से कर रहे हैं तथा इस ओव्हर लोडिंग यात्री परिवहन एवं

अवैध रेत परिवहन से शासन को कितनी राजस्व हानि हुई है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में किया गया अवैध ओव्हर लोडिंग, रेत परिवहन जो कि, राजस्थान सीमा से किया जाता है और जो राजस्व प्राप्त होता है वह एक जुर्माने के रुप में वसूल किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो शासन म.प्र. सीमा पर अवैध ओव्हर लोडिंग यात्री परिवहन और रेत परिवहन रोकने और राजस्व आय बढ़ाने के लिये एक नीति निर्धारित करेगा? यदि नहीं, तो कारण बतायें।

राजस्व मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ एवं ब अनुसार है।** **(ख)** चैकिंग के दौरान वाहन ओव्हर लोड पाये जाने पर नियमानुसार शमन शुल्क की राशि वसूल की जाती है। किसी विशेष वाहन द्वारा निरंतरता में ओव्हर लोडिंग पाये जाने पर समझौता शुल्क की वसूली के रूप में शासन को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। रेत के अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अर्थदण्ड अधिरोपित अर्थदण्ड व जमा राशि का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है।** **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। **(घ)** प्रदेश में जिलों में समय-समय पर खनिजों के परिवहन की जॉच करायी जाती और पाये जाने पर मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 के नियम 20 के तहत अवैध परिवहनकर्ताओं को दण्डित करने की कार्यवाही की जाती है।

शिकायतों पर कार्यवाही

[परिवहन]

3. परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र. 999) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिकायतकर्ता आरिफ एहमद शेख बडवारी के द्वारा दिनांक 27.09.2021 को पंजीकृत डाक से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रभाव से बचने की शिकायत परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त, आर.टी.ओ. इन्दौर, कलेक्टर बड़वानी, पुलिस अधीक्षक बड़वानी को की गई थी, उक्त शिकायत की प्रति के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज देवें एवं प्रत्येक कार्यालय के द्वारा क्या जांच की गई है, जांच प्रतिवेदन तथा जांच प्रतिवेदन उपरान्त की गई कार्यवाही की प्रति देवें। यदि जांच प्रचलित है तो कार्यालयवार जांच अधिकारी का नाम बतावें। **(ख)** लोटस वेली स्कूल औझर को आर.टी.ओ. इंदौर द्वारा टी.आर. नंबर 3699, 3700, 3548, 2978 जो जारी किये गये हैं उन चारों टी.आर. नंबर के आवेदन पत्रों पर वाहन मालिक के रूप में असली हस्ताक्षर कौन से हैं तथा कौन से हस्ताक्षर फर्जी हैं? प्रमुख सचिव परिवहन विभाग अपने काउंटर हस्ताक्षर से बतायें। हस्ताक्षरकर्ता का पहचान-पत्र एवं हस्ताक्षर नमूना की वैध प्रति देवें। **(ग)** जिला परिवहन अधिकारी बड़वानी द्वारा लोटस वेली स्कूल औझर को जारी स्थाई पंजीयन क्रमांक MP 46 P 0481, MP 46 P 0482, MP 46 P 0483, MP 46 P 0492, में आवेदन पत्र पर वाहन मालिक के रूप में हस्ताक्षर किसके हैं एवं प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित चारों हस्ताक्षरों से प्रथम दृष्ट्या मिलान करते हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्या पुलिस में अपराध पंजीबद्ध करवाया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** क्या सी.एम. हेल्पलाईन क्रमांक 5624614 के निराकरण में आर.टी.ओ. इंदौर द्वारा बताया गया है कि अन्य दस्तावेजों के साथ स्कूल मान्यता स्व घोषणा सह आवेदन पत्र संलग्न करने पर

अस्थाई पंजीयन जारी किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त दस्तावेज के कूटरचित होने संबंधी विभाग में प्राप्त समस्त शिकायतों की प्रतियां देवें। क्या स्कूल शिक्षा विभाग से प्रमाणीकरण प्राप्त कर कूटरचित दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले के विरूद्ध विभाग कार्यवाही करेगा?यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(ङ.)** डी.टी.ओ. कार्यालय बड़वानी में कलेक्टर बड़वानी, पुलिस अधीक्षक बड़वानी, जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी के द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 से प्रश्न दिनांक तक प्राप्त कुल शिकायतों की प्रतियां देवें। प्रत्येक शिकायत के जांचकर्ता का नाम बतावें एवं क्या प्राप्त शिकायतों पर जांच नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता के कथन, दस्तावेजों का संबंधित विभागों से सत्यापन किया गया है, या नहीं? यदि हाँ, तो प्रस्तुत करें। नहीं तो क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण बतावें। क्या दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर स्कूल संचालक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है?

राजस्व मंत्री : [***(क) से (ङ.) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** शिकायतकर्ता आरिफ एहमद शेख बड़वानी द्वारा दिनांक 27/09/2021 को प्रेषित शिकायत परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अपितु उनके द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 07/01/2020, दिनांक 19/07/2021 दिनांक 24/09/2021, दिनांक 09/12/2021, दिनांक 11/12/2021 तथा दिनांक 01/01/2022 परिवहन आयुक्त कार्यालय में प्राप्त हुए है। उक्त शिकायतों की प्रति के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। कलेक्टर बड़वानी, पुलिस अधीक्षक बड़वानी एवं आर.टी.ओ. इंदौर द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। उक्त प्रकरण में परिवहन आयुक्त कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इंदौर में जांच लंबित है। **(ख)** लोटस वेली स्कूल, औझर को आरटीओ इंदौर द्वारा जारी टी.आर.नंबर 3699, 3700, 3548, 2978 के आवेदन पत्रों पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर की फारेंसिक जांच क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, इंदौर के स्तर से कराई जाने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इंदौर द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में वाहन स्वामी द्वारा किए गए हस्ताक्षरों को फारेंसिक जांच हेतु भेजे जाना प्रावधानित न होने से आवेदन नस्तीबद्ध किया गया एवं संबंधित को सूचित किया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार** है। अस्थाई पंजीयन हेतु निर्धारित आवेदन प्रारूप एम.पी.एम.व्ही.आर.-20 (सी.आर.टेम.ए) में आवेदनकर्ता के रूप में आवेदक के हस्ताक्षर का लेख किया गया है, न कि वाहन स्वामी/पंजीकृत वाहन स्वामी का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिला परिवहन कार्यालय बड़वानी द्वारा लोटस वैली स्कूल, औझर को जारी स्थाई पंजीयन क्र. MP46P0481, MP46P0482, MP46P0483, MP46P0492 में आवेदन पत्र पर वाहन मालिक के रूप में स्कूल के प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं। आवेदन पत्रों की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में मालिक के हस्ताक्षर को टी.आर हेतु प्रस्तुत आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर से मिलान करने का कोई प्रवधान नहीं है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 45 में अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना प्रावधानित है, जिसके अंतर्गत अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, जिसमें स्कूल बसों के अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शैक्षणिक संस्था को शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मान्यता की प्रति प्रस्तुत

किए जाने का प्रावधान नहीं है। संदर्भित चारों अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्रों के प्रकरणों में आवेदन द्वारा अतिरिक्त जानकारी के रूप में शिक्षा विभाग में मान्यता हेतु प्रस्तुत आवेदन के स्व घोषणा प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गई थी। अस्थाई पंजीयन हेतु मान्यता की छायाप्रति प्रस्तुत किया जाना नियमानुसार आवश्यक न होने के कारण इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही किया जाना आवश्यक नहीं है। **(ड.)** डीटीओ कार्यालय बड़वानी में कलेक्टर बड़वानी, पुलिस अधीक्षक बड़वानी, जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी के द्वारा दिनांक 01 मार्च 2021 से प्राप्त दिनांक तक कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मार्च, 2022

दिनांक 8 मार्च, 2022

नियमों के विपरीत ठेकों का आवंटन

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं.25 (क्र. 231) श्री प्रदीप पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में कुल कितनी मंडियाँ (अ), (ब), (स) एवं (द) की श्रेणी में है? जिलेवार, श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध करायें। किस-किस जिलों में (अ), (ब), (स) एवं (द) श्रेणी की मंडियां क्रियाशील हैं? कितनी मंडियाँ अक्रियाशील हैं? सूची दें। **(ख)** म.प्र. कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के द्वारा प्रदेश की सभी श्रेणी की क्रियाशील एवं अक्रियाशील मंडियों में 01.04.2018 से प्रश्नतिथि के दौरान मंडियों के संचालन, रख-रखाव, शौचालयों के संचालन एवं रख-रखाव सहित अन्य सभी कार्यों के लिये क्या ठेके के आदेश जारी किये? अगर हाँ तो जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित समयानुसार दिये गये ठेकों के आदेशों को राज्य शासन वैध मानता है कि अवैध? उक्त सभी ठेकों को किन-किन शर्तों/नियमों के तहत कितने वर्षों के लिये किस-किस नाम/ पते को दिये गये? प्रत्येक ठेका आदेशों/नाम/पतों/शर्तों/नियमों की एक-एक प्रति उपलब्ध करायें। **(घ)** क्या सभी मंडियों से ठेका देने के पहले लिखित सहमति लेना नियमानुसार अत्यावश्यक था? किस-किस से सहमति लिखित में ली गई? किस-किस से नहीं ली गई? सभी की सहमति/असहमति के पत्रों की एक-एक प्रति दें। क्या बोर्ड के पास अधिकार है कि बिना मंडियों की सहमति से ठेके आदेश जारी स्वयं कर सकता है? अगर हाँ तो अधिकारों के नियमों की एक प्रति दें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *म.प्र. में कुल 259 मंडियाँ हैं, जिनमें से "अ" श्रेणी की 39, "ब" श्रेणी की 42, "स" श्रेणी की 56 एवं "द" श्रेणी की 122 मंडियाँ है। जिलेवार, श्रेणीवार क्रियाशील व अक्रियाशील मंडियों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख)*** *जी नहीं। अपितु 168 मंडियों के शौचालय के संचालन एवं रख-रखाव कार्य के आदेश जारी किये गये हैं। कार्यादेश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)*** *प्रश्नांश 'ख' में उल्लेखित ठेके की कार्यवाही मंडी बोर्ड द्वारा निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। निविदा शर्तें,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार है।*** *प्रश्नांश की शेष* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है।*** *उक्त ठेकों के आदेशों की वैधता के संबंध में शासन द्वारा उपरोक्त नस्ती प्राप्त कर परीक्षण कर निर्णय लिया जावेगा।* ***(घ)*** *उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों अनुसार मंडियों के लिये ठेका देने से पहले लिखित सहमति लेने संबंधी नियम-निर्देश स्पष्ट नहीं हैं। शेष जानकारी मंडियों* ***से एकत्रित की जा रही हैं।*** **] (घ)** जी नहीं। प्रश्नांश (ख) एवं (ग) की कृत ठेका कार्यवाही के संबंध में मण्डी बोर्ड की अधिकारिता से संबंधित मण्डी अधिनियम-1972 की धाराओं की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

मण्डी सचिव की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर कार्यवाही

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 443) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि मुरैना मण्डी में वर्ष 2004 से 2010 तक के दौरान रेलवे रैक से अवैध रूप से कृषि उपज का क्रय विक्रय किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस कृषि उपज का कब-कब, कितनी-कितनी राशि का अवैध क्रय-विक्रय किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया? वर्षवार, राशि सहित जानकारी देवें। **(ख)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार कृषि उपज के अवैध क्रय विक्रय से मुरैना मण्डी को करोड़ों रूपए के राजस्व की हानि हुई जिसकी जांच मण्डी बोर्ड भोपाल के अधिकारियों द्वारा की गई यदि हाँ, तो इसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए? उनके नाम एवं पद सहित जानकारी देवें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) अनुसार हुई जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन मण्डी सचिवों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उन्हें निलंबित भी किया गया? यदि हाँ, तो किस-किस की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके निलंबित किया गया? नाम सहित जानकारी देवें। **(घ)** क्या यह भी सही है कि मण्डी राजस्व क्षति के लिए जिम्मेदार अधिकारी श्री शिवप्रताप सिकरवार को दण्डित न करते हुए मण्डी बोर्ड द्वारा उनकी पुन: प्रतिनियुक्ति मुरैना मण्डी सचिव के पद पर की गई? यदि हाँ, तो उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करके उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही कब की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? शिव प्रताप सिकरवार की प्रतिनियुक्ति समाप्त करके मूल विभाग में कब तक वापिस कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [*क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ, मुरैना मंडी में वर्ष 2004 से वर्ष 2010 तक रेलवे रैक से अवैध रूप से कृषि उपज का क्रय-विक्रय (आवक-जावक) की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी हाँ, उत्तरांश (क) अंतर्गत कृषि उपज के अवैध क्रय-विक्रय से कृषि उपज मंडी समिति मुरैना को राशि रूपए 20758291/- की मंडी फीस की हानि हुई है। उपरोक्त प्रकरण में संलिप्त पाए गए अधिकारी/कर्मचारियों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 6 एवं 7 अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :- 1. आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-4/प्रति./152/7273 दिनांक 23.03.2011 द्वारा श्री अनिरूद्ध सिंह तोमर, कृषि विकास अधिकारी, प्रतिनियुक्त सचिव 'स' को निलंबित किया जाकर सेवाऐ पैतृक विभाग को वापिस की गई। 2.आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-4/प्रति./152/74-75 दिनांक 23.03.2011 द्वारा श्री एन.के.एस.भदौरिया, तकनीकी सहायक, प्रतिनियुक्त सहायक सचिव स' को निलंबित किया जाकर सेवाऐ पैतृक विभाग को वापिस की गई। 3.श्री बी.के.एस. कुशवाह तत्कालीन प्रतिनियुक्त सचिव को तत्काल निलंबित किये जाने के लिए पत्र क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-4/प्रति./152/66 दिनांक 22 मार्च, 2011 से म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से श्री कुशवाह को निलंबन करने हेतु लिखे जाने के फलस्वरूप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के आदेश क्रमांक/अ-2/नि.श्रे./स्था./05-06/1951-1952 दिनांक 11.04.2011 से श्री बी. के. एस. कुशवाह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। 4.आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ-4/36-पार्ट/2484-2485 दिनांक 17.12.2007 से श्री शिवप्रताप सिंह सिकरवार तकनीकी सहायक प्रतिनियुक्ति सचिव ब' की प्रतिनियुक्त सेवाएं पैतृक विभाग को वापिस की गई थी। **(घ)** श्री शिवप्रताप सिंह सिकरवार (मूल पद

तकनीकी सहायक) प्रतिनियुक्ति सचिव मुरैना (वर्तमान में आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड ग्वालियर में संबद्ध) को प्रश्नागत प्रकरण में उनके नियोक्ता राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा विभागीय जांच उपरान्त आदेश दिनांक 20/03/2015 द्वारा दोषमुक्त किया गया। पैतृक संस्था द्वारा श्री सिकरवार तकनीकी सहायक के विरुद्ध विभागीय जांच एवं अन्य प्रकरण निरंक संसूचित करने से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश दिनांक 03/05/2018 से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था। म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/स्थापना-1/अ-4/वि.स.तां./443/205-206 दिनांक 13/09/22 से श्री शिवप्रताप सिंह सिकरवार की प्रतिनियुक्ति सेवाऐं उनके पैतृक विभाग कार्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र मुरैना (मूल विभाग) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से वापिस करते हुये उन्हें आदेश जारी दिनांक को अपरान्ह में म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर से भारमुक्त/कार्यमुक्त किया गया है।

मंडी बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

3. अता.प्र.सं.98 (क्र. 612) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2022 तक उज्जैन जिले में मंडी बोर्ड द्वारा मंडी निधि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? मंडीवार, विधानसभावार बतावें? **(ख)** उपरोक्त कार्यों में कितनी राशि का भुगतान किन फर्मों को किस कार्य के लिए किया गया? फर्मवार, मंडीवार, राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार बतावें? **(ग)** उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं की जानकारी कार्यवार बतावें? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार अवधि कितना मंडी टैक्स किन मंडियों से जमा किया गया? मंडीवार, टैक्स राशि सहित वर्षवार, विधानसभावार देवें।

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जिला उज्जैन की 07 मंडियों में दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2022 तक मंडी निधि से कुल 36 कार्य राशि रू 505.10 लाख के कराए गए जिसका मंडीवार, विधानसभावार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है।**

प्रदेश की कंपनियों के द्वारा बाहर के राज्यों के लोगों को रोजगार दिया जाना

[औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन]

4. अता.प्र.सं.114 (क्र. 747) श्री कुणाल चौधरी : क्या औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2009 से 2021 तक प्रदेश में किस-किस कंपनी को उद्योग लगाने हेतु कितनी-कितनी हेक्टेयर भूमि किस दिनांक को किस दर से किन-किन शर्तों पर आवंटित की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी द्वारा कितने निवेश का कितनी अवधि में mou किया

गया था तथा कितने राज्य के कितने बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का उल्लेख किया गया था? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी के प्रश्नांश (ख) में उल्लेख अनुसार रोजगार प्रदान कर दिया है, निवेश का उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, यदि नहीं, तो उस स्थिति में क्या कार्यवाही प्रचलन में है? **(घ)** वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के औद्योगिक घरानों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया? कितनों को रोजगार दिया गया तथा उन्हें कुल कितनी भूमि कितनी राशि में आवंटित की गई? **(ड.)** पिछले दस वर्षों में कितने बड़े औद्योगिक घरानों में आवंटित जमीनी की शर्तों का पालन समय पर न करने से जमीन वापस की गई?

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** विभाग के अधीन एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट लि. के कार्यक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2009 से 2021 तक कंपनियों को उद्योग लगाने हेतु आवंटित की गई भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट लि. द्वारा भूमि का आवंटन तत्समय प्रचलित मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम की शर्तों/प्रावधानों के अनुसार किया गया। **(ख)** प्रश्न (क) की जानकारी के परिशिष्ट-एक में उल्लेखित कंपनियों द्वारा किए गए एमओयू प्रस्तावित निवेश एवं प्रस्तावित रोजगार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक में समाहित** है। **(घ)** एमपी इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के कार्यक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक औद्योगिक घरानों द्वारा किया गया निवेश एवं भूमि आवंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार** है।

पेसा कानून 1996 के नियम बनाये जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. अता.प्र.सं.121 (क्र. 830) श्री ब्रह्मा भलावी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि पेसा कानून 1996 के नियम बनाए जाने के संबंध में राज्य मंत्रालय भोपाल में दिनांक 8 जून, 2021 दिन मंगलवार को विभाग द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था। **(ख)** यदि हाँ, तो पेसा कानून 1996 किस दिनांक से प्रदेश में लागू हुआ, पेसा कानून से संबंधित नियम प्रश्नांकित दिनांक तक भी नहीं बनाए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? दिनांक 8 जून 2021 की बैठक में किस-किस को आमंत्रित किया गया, बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ। **(ग)** लघु वनोपज के संबंध में भा.व.अ. 1927, भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में क्या-क्या प्रावधान दिए है, इन प्रावधानों में लघु वनोपज पर प्रतिबंध लगाने एवं वन अपराध पंजीबद्ध करने का वन विभाग को क्या अधिकार एवं छूट दिए गए है। **(घ)** पेसा कानून 1996 में लघु वनोपज से संबंधित दिए प्रावधानों के अनुसार नियम बनाए जाने का कार्य कब तक पूरा किया जावेगा?

पंचायत मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *दिनांक 24.12.1996 से, विभिन्न विभागों के अधिनियमों व नियमों का परीक्षण, समिति का गठन, विभिन्न राज्यों के नियमों का अध्ययन तथा विषय विशेषज्ञों से*

विचार-विमर्श आदि कारण रहे हैं। शेष ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ग) जानकारी संकलित की जा रही है। (घ)*** *कार्यवाही प्रचलित है। समय-सीमा बताना संभव नहीं।*] **(ग)** भारतीय वन अधिनियम-1927 में लघु वनोपज के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं है। धारा-76 खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का सरंक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 अधिसूचित है। नियमों में निषिद्ध क्षेत्रो से वनोपजों के संग्रहण या निष्कर्षण को प्रतिबंधित करने का प्रवधान है एवं नियम भंग करने पर भारतीय वन अधिनियम की धारा -77 में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर दण्ड का प्रावधान है। भारतीय संविधानकी 11 वी अनुसूची में आर्टिकल 243-**G** में लघु वनोपज का विषय शामिल है। पेसा कानून-1996 की धारा-4 (ड) (।।) में गौण वन उपज का स्वामित्व ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा को प्रदाय किये जाने का प्रवधान है। वन अधिकार कानून-2006 की धारा -3 में वन अधिकार पत्र धारकों को लघु वनोपज सग्रहण तथा उस पर मालिकाना हक के प्रावधान दिए गए है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम -2006 के अंतर्गत निर्मित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) नियम- 2008 के नियम 2 (1) (d) में सहकारिता की व्यवस्था को मान्यता दी गई है। जो निम्नानुसार है:- धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन लघु वनोपज के निपटान में विक्रय के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत या सामूहिक प्रसंस्करण मूल्य परिवर्धन, ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के लिए समूचित साधनों के माध्यम से वन क्षेत्रो के भीतर और बाहर परिवहन या जीविका के लिए संग्राहक या उनकी सहकारिताओं (**Co-operatives**) संगमों (**Assoclations**) या परिसंधों (**Federations**) द्वारा विक्रय भी है। उपरोक्तानुसार भारतीय वन अधिनियम-1927 के अंतर्गत अधिसूचित नियम मध्यप्रदेश वन उपज (जैव विविधता का सरंक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 में संग्रहण एवं निष्कर्षण को प्रतिबंधित करने एवं नियम भंग करने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज करने का प्रावधान है।

मंडी टैक्स की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

6. अता.प्र.सं.131 (क्र. 881) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कुल कितनी मंडियां संचालित है? इन्दौर संभाग के अन्तर्गत किस-किस मंडी से कितना राजस्व वर्ष 2017-18 से 2020-21 में प्राप्त हुआ, वर्ष अनुसार बतावें। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग किस-किस मद में किया गया? वर्ष अनुसार बतावें। **(ग)** इन्दौर संभाग में मंडी अनुसार कितना-कितना कर्ज है? कर्ज की राशि और कर्जदाता संस्था का विवरण बतावें। **(घ)** जनवरी 2022 के अनुसार इन्दौर संभाग अन्तर्गत किस-किस मंडी से कितना-कितना मंडी शुल्क वसूलना है। एक लाख से ज्यादा बकाया फर्म के नाम भागीदार/मालिक के नाम बकाया राशि बकाया दिनांक सहित बतावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रदेश में 259 मंडियाँ संचालित है, मंडीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अ अनुसार है।** इन्दौर संभाग अन्तर्गत कृषि उपज मंडी समितियों से वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक प्राप्त राजस्व की वर्षवार एवं

मंडीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ब अनुसार है। (ख)** मंडी शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 25 क अनुसार बजट में मदवार व्यय किया जाता है। प्रश्नाधीन अवधि में इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी शुल्क से प्राप्त राशि का वर्षवार मदवार व्यय का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र स अनुसार है। (ग)** इन्दौर संभाग में मंडी समितियों को दिये गये कर्ज एवं मंडी समितियो के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र द अनुसार है। (घ)** जनवरी 2022 के अनुसार इन्दौर संभाग अन्तर्गत मंडी समितियों पर बकाया मंडी शुल्क का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ई अनुसार है।** एक लाख से ज्यादा बकाया फर्म के नाम भागीदार/मालिक के नाम बकाया राशि बकाया मंडी शुल्क का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र फ अनुसार है।**

<u>दिनांक 9 मार्च, 2022</u>

उपयंत्रियों के संशोधित वेतनमान

[वित्त]

7. परि.अता.प्र.सं. 66 (क्र. 1045) श्री निलय विनोद डागा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.8-1-2015/नियम/चार दिनांक 07.06.2018 को निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के उपयंत्रियों का वेतनमान रूपये 9300-34800+3200 के स्थान पर रूपये 9300-34800+3600 किए जाने का आदेश जारी किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो इस आदेश का पालन राज्य के लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने किस-किस दिनांक को पत्र, परिपत्र जारी कर वेतनमान लागू किया है? **(ग)** वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2018 का लोक निर्माण विभाग में प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन सुनिश्चित नहीं की जाने, संशोधित वेतनमान के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने का क्या-क्या कारण रहा है? **(घ)** आदेश दिनांक 7/6/2018 का लोक निर्माण विभाग से कब तक पालन करवाया जाकर संशोधित वेतन एवं एरियर्स की राशि का उपयंत्रियों को भुगतान करवाया जावेगा?

वित्त मंत्री : [***(क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (ख)** लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में व्यापम से भर्ती होने के कारण परिपत्र जारी नहीं किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 01 फरवरी, 2022 द्वारा उपयंत्री का चयन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की शर्त पर 9300-34800 ग्रेड वेतन 3600 किया गया है। **(ग)** वित्त विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा उपयंत्रियों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती करने की शर्त पर लोक सेवा आयोग से नियुक्त उपयंत्रियों का वेतन उन्नयन किया गया है। विभाग में आज दिनांक तक किसी भी उपयंत्रियों की लोक सेवा आयोग से भर्ती नहीं हुयी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** लोक निर्माण विभाग के भर्ती नियमों में परिवर्तन विषयक वर्तमान में वित्त विभाग स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: संशोधित वेतनमान तथा एरियर्स दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 10 मार्च, 2022

वन अधिकार पत्र के संबंध में

[वन]

8. अता.प्र.सं.29 (क्र. 458) श्री राकेश मावई : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता सदस्य अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1269 उत्तर दिनांक 1.3.2021 में (क) एवं (ख) के उत्तर में वन परिक्षेत्र डभौरा के 598 एवं वन परिक्षेत्र अतरैला में 388 तथा गेदुरहा में 59 वन अधिकार पत्र दिये गये है? यदि हाँ, तो वितरित वन अधिकार पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ सूची वन परिक्षेत्र व ग्रामवार देवें तथा यह भी बतायें कि अधिकारी पत्र देने के बाद भी मौके से कितने लोग कब्जे से वंचित है? सहपत्रों के साथ जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) हाँ तो (ग) का उत्तर ग्राम गेदुरहा के कक्ष क्रमांक आर. एफ 259 में 931 अनुसूचित जाति आदिवासी एवं सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा पन्नी लगाकर अतिक्रमण करना बताया गया है? यदि हाँ, तो उक्त 931 लोगों की सूची उपलब्ध कराते हुये यह बताये कि वन नियम के तहत पी.यू.आर. की कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस-किस के ऊपर की गई है? की गई कार्यवाही की प्रति के साथ सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम धुरकुच, गर्भे, ओवरी, कोलुहा, बन्डे, गढुअई, नोमारी, लफदा, जतरी मोड प्लाट, मोहनईया, चौरी डाढ़ी, चौखण्डी पहाड़, हरदोली प्लाट, जरहईया की बस्तियां वन भूमि में बसी हैं? यदि हाँ, तो इन बस्तियों में बसे लोगों को उजाड़ने व अतिक्रमण हटाने व वन अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की गई? **(घ)** यदि प्रश्नांश (ग) हाँ तो ग्राम गेदूरहा, पोगल्ला के बसे लोगों को वन विभाग क्यों परेशान कर रहा है? क्या विभाग को शासन द्वारा आदेश दिये जावेंगे कि वन भूमियों में बसी सभी बस्तियों के साथ समतुल्य व्यवहार एवं कार्यवाही करें। यदि हाँ, तो आदेश की प्रति के साथ जानकारी देवें।

वन मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ। प्रश्नांकित वन अधिकार पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग रीवा से संकलित की जा रही है जिसकी सूची* ***पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार*** *है। जिला संयोजक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग रीवा के पत्र दिनांक 21.02.2021 के अनुसार गेदुरहा के 59 सहित परिक्षेत्र डभौरा के 598 तथा परिक्षेत्र अतरैला के 388 कुल 986 वन अधिकार वितरित किये जा चुके है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ख)*** *जी हाँ। वन परिक्षेत्र डभौरा के कक्ष क्रमांक-259 में 931 लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिनके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-66 (क) के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक-261/06 दिनांक 31.01.2021 पंजीबद्ध किया गया है,* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *जी नहीं। वन परिक्षेत्र डभौरा एवं अतरैला के वनक्षेत्रों में कोई भी बस्ती नहीं बसी हुई है। अपितु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पात्र अतिक्रमणकारी दावेदारों को वन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये है।* ***(घ)*** *उत्तरांश "ग" अनुसार। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(क)** वन अधिकार पत्रों की प्रमाणित शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति

[जल संसाधन]

9. अता.प्र.सं.72 (क्र. 1063) श्री लाखन सिंह यादव : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** ग्वालियर जिले में 1 जनवरी, 2019 से प्रश्न दिनांक तक जल संसाधन विभाग द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य, मेन्टेनेन्स कार्य कितनी-कितनी राशि से किस-किस स्थान पर स्वीकृत कराकर किस ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा किस-किस यंत्री के सुपरविजन में कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं। दिनांक 10/2/2022 की स्थिति में उनकी भौतिक तथा वित्तीय स्थिति क्या है? सम्पूर्ण जानकारी दें। **(ख)** 10 फरवरी, 2022 की स्थिति में ग्वालियर जिलों में ऐसे कौन-कौन से नवीन निर्माण कार्य या मेन्टेनेन्स के कार्य प्रस्ताव हैं जो शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लंबित है? कार्य का नाम, लागत राशि, प्रस्ताव भेजने का दिनांक, कार्य का स्थान, लंबित रहने का कारण सहित पूर्व विवरण दें। **(ग)** ग्वालियर जिले में जल संसाधन विभाग में कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी पदस्थ हैं? उनका नाम, पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान पद पर पदस्थ दिनांक एवं मुख्यालय बतावें।

जल संसाधन मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" अनुसार है।

दिनांक 11 मार्च, 2022

जबलपुर शहर के ताल– तलैयों का संरक्षण व संवर्धन

[नगरीय विकास एवं आवास]

10. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 1582) श्री विनय सक्सेना : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में कितने ताल-तलैया, कितने-कितने रकबे पर स्थित हैं, उनके संरक्षण व संवर्धन हेतु कब-कब, कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य किये गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ताल तलैयों का कितना-कितना रकबा किन-किन कारणों से पाटा गया? **(ग)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ताल तलैयों के कितने-कितने रकबे पर अवैध अतिक्रमण/कब्जे हैं? उन पर कब-कब क्या क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किन-किन ताल तलैयों में आसपास की गंदगी, नालियों के माध्यम से जाकर समावेश हो रही है? उसे रोकने हेतु कब-कब क्या-क्या कदम उठाये गये तथा उसके क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुए?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] (क) जिला प्रशासन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** एवं नगर निगम जबलपुर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। **(ख)** जबलपुर जिले अंतर्गत तहसील आधारताल स्थित हनुमानताल तालाब पर 655 वर्गफट चिन्हित अतिक्रमण को पृथक कराया गया है, रानीताल तालाब लक्ष्मीपुर के अंश रकवा 3.87 एकड पर झोपडी/कच्चे/पक्के मकान निर्मित है, ग्राम जबलपुर स्थित

चेरीताल तालाब कुल रकबा 5.666 हेक्टेयर के लगभग 5.00 हेक्टेयर पर 40-50 वर्षों से मकान निर्मित है। इसी प्रकार गोकलपुर तालाब के आस-पास लगभग 29 हेक्टेयर भूमि पर मकान निर्मित है। **(ग)** जबलपुर की तहसील रांझी स्थित गोकलपुर तालाब के आस-पास लगभग 29 हेक्टेयर भूमि में अतिक्रमण पाया गया, जिसके विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार रांझी में प्रकरण क्रमांक-0046/बी-121/2021-22 में कार्यवाही प्रचलित है तथा तहसीलदार गोरखपुर अन्तर्गत ग्राम पुरवा स्थित इमरती तालाब के इर्द-गिर्द रकवा 0.250 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया था जो कि हटाया जा चुका है, तहसील आधारताल स्थित हनुमानताल तालाब पर 655 वर्गफुट चिन्हित अतिक्रमण को पृथक कराया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (घ) के संबंध में नगर निगम जबलपुर द्वारा प्रदत्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है।

<u>दिनांक 14 मार्च, 2022</u>

बैगा जनजाति हेतु संचालित योजनाएं

[जनजातीय कार्य]

11. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 600) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2016-2017 में मण्डला एवं डिंडौरी जिले में निवासरत बैगा जनजाति के उत्थान हेतु किन-किन योजनाओं के संचालन के लिए आत्मा समिति, आजीविका मिशन या अन्य अर्द्ध शासकीय संस्थानों समितियों को कृषि विभाग द्वारा कितना-कितना आवंटन दिया गया था? **(ख)** प्रश्नांश (क) योजनाओं का लाभ बैगा जनजाति के हितग्राहियों के अतिरिक्त गैर बैगा आदिवासी के हितग्राहियों को लाभ दिया गया है? यदि हाँ, तो हितग्राहियों की सूची प्रदान करें। इसके लिए कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी हैं? दोषी पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) **(ख)** योजना क्रियान्वयन एजेंसी के निगरानी हेतु किस विभाग को दायित्व सौंपा गया था? क्या निगरानी कर रहे विभाग द्वारा योजना क्रियान्वयन की समीक्षा नहीं की गई? प्रतिवेदन सहित दोषियों पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (ग) की जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना अतंर्गत वर्ष 2016-17 में मण्डला एवं डिण्डौरी जिले में योजना हेतु प्रदत्त आवंटन बैगा जनजाति के उत्थान हेतु न होकर समस्त जनजाति हेतु था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है। (ख)** जी हाँ, डिण्डौरी जिले के हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो** एवं मण्डला जिले के हितग्राहियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन अनुसार है।** कलेक्टर मण्डला द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध कलेक्टर जिला मण्डला द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्पष्टीकरण चाहा गया है। **(ग)** जनजातीय कार्य विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को सौंपा गया था। कृषि विभाग द्वारा योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मण्डला जिले में गठित

जांच समिति के जांच प्रतिवेदन अनुसार संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कलेक्टर जिला मण्डला द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्पष्टीकरण चाहा गया है।

दिनांक 15 मार्च, 2022

फसल के नुकसान का मुआवजा एवं बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

12. अता.प्र.सं.1 (क्र. 17) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रतिकूल बारिश और शीतलहर के चलते असमय रबी की फसल तराना तहसील में नष्ट होने से मुआवजा देने और फसलों की बीमा राशि दिलाये जाने की प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 07/01/2022 को जिला कलेक्टर उज्जैन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग पत्र पर कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो कार्यवाही से अवगत कराएं और यदि नहीं, तो किसानों की उपेक्षा का कारण क्या है? **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार वर्ष 2021-22 की गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुँचने पर राहत पहुंचाने के लिए राजस्व अमले द्वारा सूचना मिलने के उपरांत सर्वे, आंकलन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निराकरण की कार्यवाही की है? यदि हाँ, तो प्रतियाँ देवें और यदि नहीं, तो लापरवाही का कारण स्पष्ट करें। **(ग)** उपरोक्त पत्र में 2020 एवं 2021 की बीमा राशि किसानों को भुगतान किए जाने की मांग पर शासन स्तर से और स्थानीय स्तर से क्या-क्या कार्यवाही हुई? कितने किसानों को लाभांवित किया गया? लाभान्वित किसानों की पटवारी हल्कावार संख्या उपलब्ध कराते हुए दी गई राशि का विवरण एवं वितरण दिनांक का ब्यौरा भी उपलब्ध कराएं। **(घ)** प्रश्नकर्ता मांग पत्र अनुसार तराना तहसील में किसानों को वर्ष 2020 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितना मुआवजा और बीमा राशि का भुगतान किया गया? लाभान्वित किसानों की सम्पूर्ण पटवारी हल्कावार संख्या उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 7.1.2022 के संबंध में तराना विधानसभा क्षेत्र के राजस्व विभाग व कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रतिकूल बारिश व शीतलहर से फसलों पर प्रभाव के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।* ***(ख)*** *प्रश्नांश (क) के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कुछ ग्रामों में वर्षा एवं हवा से कुछ खेतों में गेहूं की फसल आंशिक रूप से आड़ी हो गई और किसी प्रकार की क्षति नहीं पाई जाने से आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार कोई राहत राशि स्वीकृत नहीं की गई।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ग)*** *वर्ष 2020-21 अंतर्गत बीमा दावा राशि का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। वर्ष 2021-22 अंतर्गत बीमा दावा गणना प्रक्रियाधीन है। शेष चाही गई* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 7.1.2022 के संबंध में तराना विधानसभा क्षेत्र में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार कोई राहत राशि स्वीकृत नहीं की गई। उत्तरांश (ख) अनुसार। बीमा संबंधित* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ग)** वर्ष 2020-21 अंतर्गत बीमा दावा राशि का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को बीमा कंपनी द्वारा किया गया है। **(घ)** माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक

7.1.2022 के संबंध में तराना विधानसभा क्षेत्र में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधानों के अनुसार कोई राहत राशि स्वीकृत नहीं की गई। फसल बीमा संबंधी जानकारी उत्तरांश ग अनुसार।

विभागीय योजनाओं से कृषकों को लाभान्वित किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

13. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 165) श्री कमलेश्वर पटेल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिहावल तहसील अन्तर्गत फसल बीमा की योजना के तहत कितने किसानों का बीमा कराया गया है? योजना के तहत कितने किसानों को तीन वर्ष में फसल बीमा की राशि प्रदाय की गई है संख्या सहित बतावें? **(ख)** विभाग द्वारा कृषकों को कौन-कौन से बीज फसल चक्रानुसार उपलब्ध कराये जाते है? सीधी, सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से बीज किन-किन किसानों को उपलब्ध कराया गया है सूची सहित बतावें? किसानों को बीज प्रदाय हेतु पात्रता के क्या मापदण्ड तय किये गये है? क्या पात्रता मापदण्ड का पालन किया गया है? **(ग)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषकों को क्या-क्या लाभ दिये जाने के प्रावधान हैं? सिहावल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन कृषकों को विगत 3 वर्ष में कौन-कौन सा लाभ दिया गया है? किन-किन प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया है? किस कारण से नहीं दिया गया है एवं कब तक दिया जावेगा।

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) सिहावल तहसील अंतर्गत बीमित कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है।** (ख) विभाग द्वारा कृषकों को फसल चक्रानुसार खरीफ एवं रबी फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। सीधी सिंगरौली जिले के सिहावल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किसानों को उपलब्ध कराये गये बीज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। किसानों को बीज प्रदाय हेतु विभागीय योजनाओं के दिशा-निर्देश एवं मापदण्ड तय किये गये हैं तथा बीज प्रदाय हेतु तय दिशा-निर्देश एवं मापदण्डों का पालन किया गया है। (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ''पर ड्राप मोर क्राप'' माईक्रोइरीगेशन घटक अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है तथा ''पर ड्राप मोर क्राप'' अदर इंटरवेशन घटक अंतर्गत बलराम तालाब निर्माण पर अनुदान दिया जाता है। सिहावल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विगत 3 वर्ष में लाभांवित कृषकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है।* **]** **(क)** सिंहावल तहसील अंतर्गत बीमित कृषकों की जानकारी एवं पिछले तीन वर्षों में बीमा दावा राशि भुगतान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

किसानों को अतिवृष्टि से हुये नुकसान की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

14. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 284) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सेंधवा तहसील में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के मध्य कितने किसानों

के खरीफ एवं रबी की कौन-कौन सी फसल अतिवृष्टि, पाला से हुये नुकसान से कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि प्रदान की गई? पृथक-पृथक विवरण दें तथा उपरोक्त समय के कितने किसानों को मुआवजा व बीमा राशि देना शेष है? **(ख)** क्षेत्र के किसानों को वर्ष 2019 एवं 2020 में सोयाबीन हेतु कितने किसानों को कितनी राशि की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई थी? विवरण दें तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? **(ग)** शासन द्वारा सेंधवा तहसील में वर्ष 2020 एवं 2021 में अतिवृष्टि से खराब सोयाबीन की बीमा राशि किसानों को देने की घोषणा की थी? यदि हाँ, तो कब की थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई? बीमा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) सेंधवा तहसील में वर्ष 2019 में खरीफ मौसम में 22 कृषकों को कुल मुआवजा राशि रू.205664 का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार राशि वितरित नहीं की गई। बीमा संबंधी शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख)*** *वर्ष 2019 में खरीफ मौसम में 22 कृषकों को कुल मुआवजा राशि रू.205664 का भुगतान किया गया है। वर्ष 2020 में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार राशि वितरित नहीं की गई।* ***(ग)*** *सेंधवा तहसील में वर्ष 2020 का फसल बीमा दावों का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार पात्र किसानों को किया जा चुका है। वर्ष 2021 के आंकड़ों का संकलन कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार बीमा दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।*] **(क)** सेंधवा तहसील में वर्ष 2019 में खरीफ मौसम में 22 कृषकों को कुल राशि रू. 205664 की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में आर.बी.सी. 6-4 के प्रावधान एवं मापदण्ड अनुसार राशि वितरित नहीं की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत तहसील सेंधवा में वर्ष 2018-19 में खरीफ फसल सोयाबीन एवं रबी फसल गेहूँ सिंचित, वर्ष 2019-20 में खरीफ फसल सोयाबीन, वर्ष 2020 में खरीफ फसल कपास, मक्का, ज्वार, सोयाबीन एवं रबी फसल गेहूँ सिंचित हेतु दावों का भुगतान योजना प्रावधान के अनुसार पात्र कृषकों को किया गया है।

किसानों को फसल बीमा राशि का भुगतान

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

15. अता.प्र.सं.8 (क्र. 322) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा विधानसभा में दिनांक 22 फरवरी, 2021 को दिए गए अभिभाषण के बिंदु क्रमांक 74 में यह उल्लेख किया गया है कि मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के अन्नदाता किसानों की चिंता करते हुए पुराने वर्षों की बकाया फसल बीमा प्रीमियम की राशि रूपये 22 सौ करोड़ का भुगतान किया गया है। इसके फलस्वरूप किसानों को 3 हजार 200 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान संभव हुआ। अब तक 44 लाख से अधिक किसानों को बीमा राशि के रूप में 8 हजार 800 करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है? **(ख)** यदि हाँ, तो वर्ष 2020-21 में प्रदेश के कितने किसानों को फसल बीमा की राशि उनके हुए फसल के नुकसान के एवज में भुगतान किया जाना शेष है? यह राशि कब तक भुगतान कर दी जायेगी? कृपया जिलेवार किसानों की संख्या बतायें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क)*** *जी हाँ।* ***(ख)*** *वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार पात्र कृषकों को बीमा दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रदेश में मौसम खरीफ 2020 हेतु क्षतिपूर्ति देय राशि रू. 71,16,23,35,094 कुल 4147224 पात्र कृषकों को एवं रबी-2020-21 मौसम के लिए क्षतिपूर्ति राशि रू. 6,74,57,85,150 कुल 9,68,142 पात्र कृषकों को भुगतान किया गया है। खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 मौसम के लिए कोई भी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान शेष नहीं है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत स्वीकृत राशि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

16. अता.प्र.सं.129 (क्र. 2543) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 सीजन के कुल कितने हितग्राहियों के फसल क्षति दावे स्वीकृत किए गए, तहसीलवार कृषक संख्या एवं राशि सहित देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन हितग्राहियों को राशि स्वीकृत हुई या नहीं हुई। इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होगी? **(ग)** उक्त हितग्राहियों ने क्या बीमे की प्रीमियम स्वयं ने भरी थी?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *उत्तरांश (क) अनुसार।* ***(ग)*** *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों का प्रीमियम संबंधित बैंक द्वारा नामे किया जाता है। कृषकों को बीमांकन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक स्वैच्छिक रूप से योजना से बाहर होने का प्रावधान है। अऋणी कृषकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से फसल बीमा कराने का प्रावधान है। उपरोक्तानुसार कृषकों द्वारा प्रीमियम राशि जमा की जाती है।* **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>दिनांक 16 मार्च, 2022</u>

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

17. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 27) श्री बापूसिंह तंवर : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जी.ए.डी. म.प्र. शासन का आदेश क्रमांक 44/सी-3-6/91/3/1 भोपाल दिनांक 16/01/1992 प्रश्न दिनांक को भी प्रभावी है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। निरस्त हुआ है तो निरस्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार उपलब्ध जानकारी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके नियमितीकरण में हिन्दी मुद्रलेखन की अनिवार्यता लागू नहीं होती है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, है तो राजगढ़ जिले में तृतीय श्रेणी वर्ग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और उनका

नियमितीकरण नहीं हुआ है? कर्मचारियों की संख्या बताते हुए नियमितीकरण नहीं होने का कारण बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) के आधार पर क्या शासन 40 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देगा? हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

मुख्यमंत्री : [*(क) जी नहीं। (ख) जी नहीं। यदि तृतीय श्रेणी कर्मचारी की आयु दिनांक 31 दिसम्बर 2014 के पूर्व 40 वर्ष हो चुकी है तो एसे कर्मचारियों पर मुद्रलेखन की छूट की अनिवार्यता लागू होगी।* ***(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।*** **]** **(ग)** कलेक्टर राजगढ़ से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा की जाती है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

अवमानना याचिका के प्रचलित प्रकरण

[सामान्य प्रशासन]

18. परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 1903) श्री रामलाल मालवीय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों में जन सामान्य तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा मामलों को लेकर कितनी अवमानना याचिकाएं शासन के अधिकारियों के खिलाफ दायर हुई हैं? कितने अवमानना प्रकरण पूर्व से प्रचलित हैं? कितने अवमानना प्रकरणों में 03 वर्ष की अवधि में उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित किए हैं? सभी बिन्दुओं पर आंकड़ों के साथ जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) वर्णित जिलों में शासन के कितने विभागों में अवमानना याचिका के निर्णय पर कितने अधिकारियों को दोषी माना गया है? अवमानना का दोषी होने पर कितने अधिकारियों पर क्या कार्यवाहियां की गयी हैं? कार्यवाही संबंधी पत्र एवं अवमानना में दोषी पाये जाने की जानकारी विभागवार देवें। **(ग)** विगत 03 वर्षों में हाईकोर्ट अवमानना के प्रकरण शासन के खिलाफ बढ़े अथवा घटे हैं? इस संबंध में क्या विभाग द्वारा समीक्षा की गयी है? यदि हाँ, तो समीक्षा बैठक के विवरण की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(घ)** वर्ष 2019 से अब तक कुल कितने विधानसभा प्रश्न अवमानना याचिका को लेकर लगाए गए थे? उन सभी की प्रति के साथ एकत्रित जानकारी की प्रतियां भी उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग)** निरंक। **(घ)** निरंक।

गायकी समाज का जाति प्रमाण-पत्र

[सामान्य प्रशासन]

19. अता.प्र.सं.60 (क्र. 2375) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले की गायकी समाज को अनुसूचित जनजातीय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 509/1040/2020/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 11.12.2020, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, भोपाल के पृ.क्र./शिका.

क्र.बी.04/भोपाल/2020/843, भोपाल, दिनांक 17.02.2021 एवं अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. 355/706/2021/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से कलेक्टर बैतूल को निर्देश जारी किये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक की स्थिति में क्या कार्यवाही की गई? अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए यह अवगत करावें कि गायकी समाज को अनुसूचित जनजाति समाज के प्रमाण-पत्र कब से मिलना प्रारंभ हो जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "एक" एवं "दो" अनुसार है। (ख) जानकारी एकत्रित की रही है।*** **]** **(ख)** जी नहीं। शिकायत/सूचना की जांच हेतु कलेक्टर, बैतूल को लिखा गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सिंगरौली जिले में विभागवार भर्ती

[सामान्य प्रशासन]

20. परि.अता.प्र.सं. 55 (क्र. 2442) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौली जिले में विभागवार कुल कितने पद रिक्त हैं? पदों की सूची उपलब्ध करावें एवं विभागवार रिक्त पदों की भर्ती होगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** जिला सिंगरौली अंतर्गत विभिन्न विभागों में कुल 5807 पद रिक्त हैं। विभागवार रिक्त पदों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री के प्रोटोकॉल

[सामान्य प्रशासन]

21. अता.प्र.सं.122 (क्र. 2913) श्री सुनील उईके : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? यदि हाँ, तो राज्य मंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधा प्राप्त होती हैं? **(ख)** राज्य/कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति के लिये क्या प्रोटोकॉल निर्धारित है? **(ग)** क्या राज्य/कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने पर फालो-गार्ड, वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है? कृपया विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध है। **(घ)** कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के विस्तृत प्रोटोकॉल एवं गाईड-लाईन की जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकरी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। राज्यमंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को दिये जाने वाली सुविधाओं संबंधी जारी निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ग)** राज्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्रामगृह अधिभोग नियम, 2001 में नि:शुल्क पात्रता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार है।**

समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण किया जाना

[सामान्य प्रशासन]

22. अता.प्र.सं.154 (क्र. 3105) डॉ. गोविन्द सिंह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभागीय जांच पूर्ण करने एवं विभागीय जांचों की अपीलों के निराकरण के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कितने-कितने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं मंत्रालय के अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच कब-कब से लंबित है? **(ग)** उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या विभागीय जांच/विभागीय जांचों की अपीलों का समय-सीमा में निराकरण न करने वाले संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है? यदि हाँ, तो समय-सीमा में विभागीय जांच पूर्ण न करने वाले संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [***(क) जी हाँ। (ख) एवं (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी हाँ। विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु वर्तमान में वर्ष 2022 में नवीन परिपत्र जारी किया गया है। **(ख)** शासन स्तर पर राज्य प्रशासनिक सेवा के 64 अधिकारियों एवं मंत्रालय के 15 अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच प्रकरण लंबित हैं। **(ग)** जी हाँ। विलंब के कारणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।**

अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण

[सामान्य प्रशासन]

23. परि.अता.प्र.सं. 136 (क्र. 3187) श्री कमलेश जाटव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से अन्य विभागों में किये गए प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण को समाप्त किये जाने हेतु म.प्र. शासन द्वारा कोई आदेश एवं निर्देश जारी किये गए? उक्त आदेशों के पालन में तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण पर गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके मूल विभाग को वापिस कर दिया गया था? यदि हाँ, तो उक्त नियम-निर्देशों की छायाप्रति प्रस्तुत करें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) अनुसार प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण को समाप्त किये जाने के आदेश उपरान्त पुनः किसी नये आदेशों से उक्त प्रतिनियुक्ति एवं संलग्नीकरण की प्रक्रिया को पुनः लागू किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त आदेशों की छायाप्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या वर्तमान में जिला मुरैना के विभिन्न विभागों में कुछ अधिकारी/कर्मचारी अपने मूल विभाग के स्थान पर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/संलग्न हो कर कार्यरत हैं? यदि हाँ, तो नियम, निर्देश तथा आदेशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी ब्लॉकवार, अधिकारी/कर्मचारी का नाम, मूल एवं प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण के विभाग का नाम तथा प्रतिनियुक्ति/संलग्नीकरण पर पदस्थगी के दिनांक एवं विभागवार पृथक-पृथक सूचियों में उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री : [*(क) जी हाँ। संलग्नीकरण समाप्त किये जाने के संबंध में परिपत्र दिनांक 04 जून, 2019 की* ***प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार।*** *प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।* ***(ख)*** *जी नहीं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(ग)** जिला कार्यालय राजस्व विभाग मुरैना के अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति/संलग्न नहीं हैं।

दिनांक 17 मार्च, 2022

समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न उपार्जन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

24. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 2705) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पन्ना एवं कटनी जिलों में विगत 02 वर्षों में रबी एवं खरीफ की उपार्जित फसलों के उपार्जन एवं परिवहन में विलंब से किसानों को देर से भुगतान हुआ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? केन्द्रवार उपार्जित फसलों की तौल पर्चियों की दिनांकों और भुगतान की दिनांकों का तुलनात्मक विवरण बताइये और बताइये कि यह किस प्रकार नियमानुसार है? **(ख)** क्या विधानसभा प्रश्न क्रमांक - 2254, दिनांक 15/03/2021 के प्रश्नांश (ग) से (ड.) के दिये गये उत्तर अनुसार जिला प्रबंधक नान और परिवहनकर्ताओं की लापरवाही से शासन और किसानों को हुई आर्थिक क्षति एवं दिक्कतों के बाद भी की गई कार्यवाही विधिसम्मत एवं समुचित है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम कटनी द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम जबलपुर को पत्र क्रमांक उपार्जन/2019-20/1815, 1816 एवं 1818, दिनांक 08/09/2020 किन विषयों पर थे और क्यों प्रेषित किये गये थे और क्षेत्रीय प्रबंधक नान जबलपुर द्वारा किस अधिकारिता से क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही किस प्रकार विधिवत है? क्या परिवहनकर्ताओं पर अधिरोपित पेनाल्टी को शत्-प्रतिशत माफ किया गया? यदि हाँ, तो क्यों? क्या दस्तावेजी तौर पर सिद्ध परिवहन में विलंब पर भी पेनाल्टी माफ किये जाने का संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की जायेगी? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के तहत पूर्व में उपार्जन परिवहन कार्य में लगातार अनियमितताओं और वर्तमान खरीफ वर्ष में प्रचलित जांच पर क्या संबंधितों के कार्यों और लिये गये निर्णयों की विभाग/शासन स्तर से जांच और कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** कटनी एवं पन्ना जिले में विगत दो वर्षों में उपार्जन एवं परिवहन में विलंब के कारण किसान को देर से भुगतान का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। पंजीयन में किसानों के दर्ज बैंक खाते नम्बर में त्रुटि होने, जनधन के बैंक खाते एवं उपार्जित खाद्यान्न अमानक पाए जाने पर अपग्रेडेशन में समय लगने के कारण कुछ किसानों के भुगतान में विलंब हुआ है। बैंक खाते में सुधार तथा खाद्यान्न के अपग्रेडेशन की कार्यवाही उपरांत संबंधित किसान को भुगतान कराया गया है। उपार्जन केन्द्रवार एवं किसानवार उपार्जित फसलों की जारी तौल पर्ची एवं भुगतान की दिनांकवार जानकारी ई-उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध है। **(ख)** वर्ष 2020-21 में कटनी जिले में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं उपज विक्रय करने हेतु इच्छुक किसानों से समर्थन मूल्य पर

खाद्यान्न का उपार्जन किया गया है। जिले में बारदानों की कमी के कारण कोई भी उपज विक्रय करने से कोई भी किसान वंचित नहीं रहे है और न ही किसानों को कोई आर्थिक क्षति हुई है। खरीदी केन्द्रों पर बारदानों की आपूर्ति के विलंब के संबंध में जिला प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कटनी को कलेक्टर कटनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिला प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत जवाब उपरांत कलेक्टर कटनी द्वारा चेतावनी जारी की गई थी। प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की गई है तो विधि सम्मत एवं समुचित है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न में उल्लेखित पत्र जिला प्रबंधक, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, जबलपुर को प्रेषित किए गए थे। जिसमें परिवहनकर्ता पर अधिरोपित पेनाल्टी को माफ किए जाने के आधार का उल्लेख किया गया है। परिवहन हेतु जारी निविदा दस्तावेज में विहित प्रावधानों अनुसार परिवहन में विलंब अथवा शॉर्टेज आदि के प्रकरणों में पेनाल्टी अधिरोपित करने अथवा माफ करने की अधिकारिता जिला प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को है। उपार्जन के दौरान असामयिक वर्षा होने के कारण उपार्जित स्कंध की बोरों की सिलाई, आर-टू-टी करने में समय लगने आदि कारणों से परिवहन में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण आरोपित पेनाल्टी को माफ किया गया है। उल्लेखनीय है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर गणना सूत्र अनुसार परिवहनकर्ता के विरूद्ध पेनाल्टी की गणना की जाती है, जिसका अंतिमीकरण परिवहनकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर अंतिम निराकरण किया जाता है। **(घ)** उपार्जन एवं परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आने पर आवश्यक जांच एवं उचित कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रदेश एवं केन्द्र सरकार द्वारा हितग्राहियों को राशन सामग्री का प्रदाय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 71 (क्र. 2809) श्री संजय शुक्ला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा किन-किन योजनाओं में राशन सामग्री दी जाती है? क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत राशन/खाद्य सामग्री नि:शुल्क उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है? हाँ या नहीं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में यदि हाँ, तो प्रदेश सरकार खाद्य विभाग जिला इन्दौर द्वारा वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी खाद्य सामग्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत हितग्राहियों को वितरित की गई? विधान सभावार जानकारी दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में किन-किन राशन वितरण दुकानों के माध्यम से कितनी खाद्य सामग्री क्या–क्या दी गई? वर्षवार, विधान सभावार, वार्डवार, ग्रामवार, पंचायतवार हितग्राहियों की सूची अनुसार राशन कितना-कितना दिया गया? **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ सामग्री प्रदेश सरकार द्वारा क्या हितग्राहियों को 1 रूपये किलो के माध्यम से भी खाद्य सामग्री दी जाती है? यदि हाँ, तो क्या-क्या सामग्री दी जाती है? किस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा कितने हितग्राहियों को कब-कब, कितनी-कितनी सामग्री प्रश्न दिनांक तक किन-किन सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों द्वारा दी गई? वर्षवार, विधान सभावार, वार्डवार, ग्रामवार, पंचायतवार हितग्राहियों की सूची अनुसार राशन कितना-कितना दिया गया?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को TPDS (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एवं कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना अंतर्गत खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत उपभोक्ताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। **(ख)** प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गयी है। जिला इंदौर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरित की गयी राशन सामग्री की विधान सभावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों से अन्त्योदय परिवार को 35 किलो ग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 05 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न (गेहूँ, चावल, मोटा अनाज) उपलब्ध कराया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्त्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को 05 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले में 3.16 लाख परिवारों के 13.75 लाख हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। विधान सभावार, शहरी क्षेत्र में वार्डवार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार, पंचायतवार, हितग्राहियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत पात्रताधारी प्राथमिकता परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के कुल 3.16 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत 01 रू. प्रति किलो की दर से चावल एवं गेहूँ/मोटा अनाज व 01 किलो नमक प्रति परिवार के मान से जिले की की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से प्रदाय कराया जा रहा है। इसमें अन्त्योदय अन्न योजना में पात्र परिवारों को 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से वितरित कराया जा रहा है। विधान सभावार, वार्डवार, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार, पंचायतवार, हितग्राहियों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

संबल योजना की जानकारी

[श्रम]

26. अता.प्र.सं.92 (क्र. 2855) श्री पहाड़सिंह कन्नौजे : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवास जिला एवं इन्दौर जिला अन्तर्गत संबल योजना में नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत द्वारा कितने हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिया गया? पिछले 3 वर्ष की जानकारी उपलब्ध करायें। नाम, विधानसभा, हितग्राही का नाम निवास आदि सभी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितने पात्र हितग्राहियों को कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई? संपूर्ण जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या कई अपात्रों को पात्र किया गया है? हाँ या नहीं? यदि हाँ, तो किन-किन के खाते में राशि डाली गई? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** शासन द्वारा संबल योजना में क्या-क्या सुविधायें हितग्राहियों को दी जाती है?

खनिज साधन मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।* *(घ) मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा निम्न योजनाएं संचालित है :- 1. अन्त्येष्टि सहायता- 5000/- रूपये 2. अनुग्रह सहायता (सामान्य मृत्यु) - 02.00 लाख रुपये 3. अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्यु)-04.00*

लाख रूपये 4. अनुग्रह सहायता (स्थाई अपंगता) - 02.00 लाख रुपये 5. अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थाई अपंगता) - 01.00 लाख रुपये। **]** **(क)** देवास जिले अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना अंतर्गत प्रश्न में उल्लेखित अवधि विगत 3 वर्ष (2018-19, 2019-2020 एवं 2020-21) में योजना के पदाभिहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नगरीय क्षेत्र के नगर निगम, देवास तथा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा संबल योजना अंतर्गत निकायों द्वारा कुल 5654 हितग्राहियों द्वारा अंत्येष्टि सहायता/अनुग्रह सहायता के निकायों में आवेदन दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** इंदौर जिला अंतर्गत संबल योजना में नगर पालिका निगम-1220, नगर पंचायत राऊ-57, देपालपुर-35, महूगांव-72, बैटमा-156, गौतमपुरा-**19,** हातोद-176, मानपुर-45, सांवेर-53, कुल-1833। जनपद पंचायत इंदौर-487, देपालपुर-224, सांवेर-447 महू-447, एवं कुल-3438 हितग्राहियों द्वारा अंत्येष्टि सहायता/ अनुग्रह सहायता के निकायों में आवेदन दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** देवास जिले अंतर्गत निकायों से प्राप्त जानकारी अनुसार विगत 3 वर्षों की अवधि में पात्र हितग्राहियों को निकायों द्वारा हितलाभ राशि दी गई है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है।** इंदौर जिले में संबल योजना में दिये गये प्रपत्र में नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत द्वारा राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है। (ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में देवास एवं इंदौर जिले में संबल योजना अंतर्गत किसी अपात्र हितग्राही को पात्र नहीं किया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पी.डी.एस. सामग्री का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. अता.प्र.सं.151 (क्र. 3275) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक–643, दिनांक 11/08/2021 के प्रश्नांश (क) का उत्तर–"राशन सामग्री आपूर्ति के पूर्व स्टेक का चयन किया गया हैं," दिया गया था? यदि हाँ, तो किन सक्षम प्राधिकारी के क्या आदेशों से और विगत-01 वर्ष में राशन सामग्री वितरण के पूर्व खाद्यान्न की गुणवत्ता परीक्षण और स्टेक चयन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों और गुणवत्ता परीक्षण एवं स्टेक चयन के दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराइये और की गयी प्रक्रिया/कार्यवाही का विवरण बताइये। **(ख)** मध्यप्रदेश-सार्वजनिक वितरण (प्रणाली) आर्डर-2015 के पिछले माहों की शेष राशन सामग्री प्राप्त करने के नियम बताइये? क्या वितरण मशीनों से यह सुविधा उपलब्ध हैं? हाँ, तो कैसे? स्पष्ट कीजिये। नहीं तो पी.डी.एस. एक्ट में प्रावधान होने पर मशीनों में यह सुविधा न होने एवं पूर्व माह की राशन सामग्री प्राप्त न होने पर क्या कार्यवाही की जायेगी? **(ग)** क्या वर्ष-2021 में आयोजित विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठकों में उपार्जन नीति के स्थान पर सख्त नियम/अधिनियम बनाये जाने पर चर्चा की गयी? हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** प्रश्नांश (ग) क्या खाद्यान्नों का उपार्जन, नीति के स्थान पर विधिवत अधिनियम/नियम लागू कर और जिम्मेदारी नियत कर कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कैसे और कब तक? नहीं तो क्यों? जबकि उपार्जन कार्यों में बड़ी आर्थिक अनियमिततायें लगातार ज्ञात हैं?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पत्र क्रमांक/सा.वि.प्र./द्वार.प्र.यो./424, दिनांक 26/27.12.2014 के बिंदु क्र. 5.2 के अनुसार स्टेक चयन संबंधित प्रावधान अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा गुणवत्ता परीक्षण एवं स्टेक चयन किये जाने संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां, प्रक्रिया/कार्यवाही का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 11 (6) अनुसार यदि राशन कार्ड धारक किसी विशिष्ट माह के दौरान उस माह की पात्रतानुसार सामग्री का क्रय नहीं करता है तो उसे इस सामग्री को आगामी माह में प्राप्त करने के प्रावधान अनुसार शेष रहने वाले हितग्राहियों को आगामी माह में सामग्री वितरण कराया जाता है। आगामी माह में प्रचलित माह के साथ-साथ विगत माह की सामग्री की पात्रता केवल उन हितग्राहियों की दिखाई जाती है जिन्होंने विगत माह में राशन प्राप्त नहीं किया है, परन्तु कोई भी हितग्राही विगत माह के पूर्व माहों की राशन सामग्री आगामी माहों तीसरे अथवा परिवर्ती माहों में प्राप्त करने का हकदार नहीं है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। वर्ष 2021 में विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठकों में उपार्जन के विषय में अधिनियम बनाने पर चर्चा हुई है। वर्तमान में निर्णय अनुसार प्रचलित कानूनी प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही किया जाना है। **(घ)** उपार्जन नीति के स्थान पर उपार्जन अधिनियम अधिसूचित करने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। राज्य शासन इस विषय में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार द्वारा भी उपार्जन के संबंध में अभी तक कोई अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया है।

सैच्य एवं असैच्य क्षेत्र की जानकारी

[जल संसाधन]

28. अता.प्र.सं.159 (क्र. 3298) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग के संज्ञान में है कि प्रदेश में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में सारे विभाग मिलाकर कुल सैच्य क्षेत्र कितना है तथा असैच्य क्षेत्र कितना है? पूर्ण तथा निर्माणाधीन वृहद मध्यम सिंचाई योजना की सूची देवें। **(ख)** वर्ष 2016 से 2021 तक धार जिले में 5 करोड़ से अधिक लागत के कितने टेण्डर हुये? स्वीकृत ठेकेदार का नाम, कार्य का नाम, कुल लागत राशि, स्वीकृत दर, कार्य प्रारंभ की दिनांक तथा कार्य की वर्तमान स्थिति, यदि पूर्ण हो गया तो उसकी दिनांक सहित सूची देवें तथा बतावें कि कितनी योजना निश्चित अवधि में पूर्ण नहीं हुई? **(ग)** आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में धार जिले में विधान सभावार वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक कितनी-कितनी राशि का क्या-क्या कार्य कराया गया तथा इस क्षेत्र में भविष्य में सैच्य का रकबा बढ़ाने हेतु क्या वृहद मध्यम तथा लघु योजना प्रस्तावित एवं स्वीकृत है? **(घ)** धार जिले के सरदारपुर विधानसभा के दुमेला डेम की प्राक्कलन के अनुसार ऊंचाई कितनी होना थी और कितनी ऊंचाई पर निर्माण किया गया है? उक्त डेम की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें। प्राक्कलन अनुसार अगर कार्य नहीं किया गया है तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई?

जल संसाधन मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** प्रदेश में 31 जनवरी, 2022 की स्थिति में सारे विभाग मिलाकर कुल सैच्य एवं असैच्य क्षेत्र की जानकारी विभाग द्वारा पृथक से संधारित नहीं की जाती है तथापि मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट में प्रदर्शित शासकीय डिजिटल डायरी वर्ष 2022 में उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-अ" अनुसार है।** जल संसाधन विभाग की पूर्ण तथा निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-1" अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-2" अनुसार है। (ग)** आदिवासी उप योजना क्षेत्र में धार जिले में वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक विधानसभा क्षेत्रवार कराए गए कार्यों का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के "प्रपत्र-3" अनुसार है।** जी हाँ इस क्षेत्र में भविष्य में सैच्य का रकबा बढ़ाने हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित एवं स्वीकृत हैं। **(घ)** धार जिले के सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के दूमेला डैम (पसावदा बैराज) के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार डैम की ऊँचाई 05 मीटर है एवं इतनी ही ऊँचाई के डैम का निर्माण किया जाना प्रतिवेदित है। उक्त डैम की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होना प्रतिवेदित है। अत: कार्यवाही की स्थिति नहीं है। कार्य प्राक्कलन अनुसार किए जाने के कारण किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गेहूँ का परिवहन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. अता.प्र.सं.164 (क्र. 3315) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में गेहूँ का परिवहन किनके द्वारा करवाया गया? वाहन नम्बर, परिवहनकर्ता नाम सहित वर्षवार, केन्द्रवार जानकारी देवें। **(ख)** इन परिवहनकर्ताओं ने उपार्जन स्थल से भंडारण स्थल तक जो गेहूँ पहुँचाया उसकी मात्रा, दूरी की जानकारी प्रति वाहनानुसार देवें। **(ग)** इसके लिये परिवहनकर्ताओं को कितना भुगतान किया गया? परिवहनकर्ता नाम, राशि, दर सहित प्रत्येक आवागमन की जानकारी के साथ देवें। इनका अकाउंट नम्बर, बैंक नाम, टी.डी.एस. कटौत्रे की जानकारी सहित देवें। **(घ)** जिन भुगतानों में टी.डी.एस. नहीं काटा गया तो इसके जिम्मेदार अधिकारियों के नाम, पदनाम देकर बतावें कि इसके लिए विभाग उन पर कब तक कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहन नंबर, परिवहनकर्ता नाम सहित वर्षवार, केंद्रवार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(ख)** परिवहनकर्ताओं द्वारा उपार्जन स्थल से भंडारण स्थल तक पहुंचाए गए गेहूँ की मात्रा एवं दूरी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ के परिवहन हेतु परिवहनकर्ताओं को भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार** है। परिवहनकर्ताओं के अकाउंट नंबर, बैंक के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार** है। **(घ)** परिवहनकर्ताओं को परिवहन का भुगतान टी.डी.एस. कटौती उपरांत ही किया गया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 21 मार्च, 2022

अवैध कॉलोनियों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

30. अता.प्र.सं.105 (क्र. 3279) श्री नारायण सिंह पट्टा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में कौन-कौन सी अवैध कॉलोनियां हैं? **(ख)** उपरोक्त में से अवैध कॉलोनी को बनाने वाले किस-किस कॉलोनाईजर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है? **(ग)** क्या किसी अधिकारी पर अवैध कॉलोनी बनने देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो किस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या उपरोक्त कॉलोनियों में नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराया गया है? **(ङ)** यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** से **(घ)** मण्डला जिले के नगरीय क्षेत्र की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** एवं ग्रामीण क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। (ड.) म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में दिनांक 31.12.2016 तक अस्तित्व में आई अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने के प्रावधान रखे गये हैं, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नगरीय क्षेत्र की कॉलोनियों को नागरिक अधोसंरचना प्रदान करने के लिए चिन्हित किया जायेगा एवं ऐसी चिन्हित कॉलोनियों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता की सीमा में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

वैध एवं अवैध कॉलोनियों की जानकारी

[नगरीय विकास एवं आवास]

31. अता.प्र.सं.106 (क्र. 3281) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक मण्डला जिले में कौन-कौन सी कॉलोनियां बनाई गई हैं? इनमें से कितनी वैध हैं एवं कितनी अवैध हैं? स्थान का नाम, खसरा नं., रकबा एवं कॉलोनाईजर के नाम सहित तहसीलवार विवरण प्रदान करें। **(ख)** मण्डला जिले में लगातार कॉलोनाईजर/भू-माफिया द्वारा कृषि भूमि को रहवासी अवैध कॉलोनी बनाकर बेची जा रही है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** क्या उपरोक्त कॉलोनियों में विद्युत, पेयजल एवं रोड की सुविधा उपलब्ध कराई गया है? **(घ)** म.प्र. शासन द्वारा रहवासी कॉलोनी बनाने के क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** मण्डला जिले के नगरीय क्षेत्र की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** एवं ग्रामीण क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। (ख) स्थानीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा

कार्यवाही प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** नगरीय क्षेत्र की प्रश्नांकित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ'** एवं ग्रामीण क्षेत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(घ)** नगरीय क्षेत्र में कॉलोनी बनाने के मापदण्ड म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में हैं, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

बी.ओ.टी. मार्ग की जानकारी

[लोक निर्माण]

32. परि.अता.प्र.सं. 128 (क्र. 3595) श्री कुणाल चौधरी : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2404, दिनांक 02.03.21 के संदर्भ में बतावें कि 59 बी.ओ.टी. मार्ग में 41 मार्ग पर शासन को हिस्सा मिलता है तथा शेष 18 मार्ग पर शासन को हिस्सा नहीं मिलता, इस विरोधाभास का कारण क्या है? इससे संबंधित उन दस्तावेजों की प्रति देवें जिससे राज्य धन की प्राप्ति में इतने गंभीर विरोधाभास को समझा जा सके। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 41 बी.ओ.टी. मार्ग, जिससे राज्य शासन को हिस्सा प्राप्त हो रहा है, उन टोल की लागत राशि टोल प्रारंभ होने की दिनांक से 2021-22 तक टोल वसूली की राशि तथा उससे प्राप्त राज्य शासन के हिस्से की वर्षवार जानकारी देवें तथा बतावें कि सभी 41 बी.ओ.टी. सड़क पर जनवरी 22 तक कुल मिलाकर लागत कितना टोल वसूला गया, उसमें से राज्य शासन को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण वसूले गये टोल का कितना प्रतिशत है? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित 41 बी.ओ.टी. मार्ग में से 33 में अनुबंध की धारा 17.6 के तहत तथा 7 मार्ग पर अनुबंध की धारा 262.1 तथा जावरा नयागाँव मार्ग पर धारा 17.6 तथा धारा 22.6 के अनुसार राज्य शासन को हिस्सा मिल रहा है? यदि हाँ, तो हिस्सेदारी के इस विभिन्न सूत्र का कारण बतावें तथा यह विभिन्नता क्यों हैं? इससे संबंधित दस्तावेज देवें। **(घ)** प्रश्नाधीन 59 बी.ओ.टी. सड़क की डी.पी.आर./फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंसलटेन्ट द्वारा बनायी गयी तथा उसे उसके एवज में कितना पारिश्रमिक दिया गया तथा इन सभी डी.पी.आर./फिजिबिलिटी रिपोर्ट के उस पृष्ठ की प्रति देवें जिसमें राज्य शासन के हिस्से के बारे में उल्लेख किया गया है?

लोक निर्माण मंत्री : [***(क)*** *पृथक-पृथक मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट होने के कारण एवं अनुबंध में प्रावधानों में भिन्नता के कारण उक्त स्थिति परिलक्षित हो रही है। भिन्न-भिन्न मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट पर आधारित अनुबंध की* ***छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार*** *है।* ***(ख)*** *एवं* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (घ)*** *पारिश्रमिक दिये जाने की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार*** *है। डी.पी.आर./फिजिबिलिटी रिपोर्ट में राज्य शासन के हिस्से के बारे में उल्लेख नहीं किया जाता है।* **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। राज्य शासन को प्राप्त हिस्सा संपूर्ण वसूले गये टोल का लगभग 8.7 प्रतिशत है। **(ग)** भिन्न-भिन्न कन्सेशन अनुबंध में दिये गये उल्लेखित अनुच्छेद अनुसार शासन को अनुबंध के प्रावधानानुसार राशि प्राप्त हो रही है। अगस्त वर्ष 2007 से पूर्व तत्समय राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुबंध के अनुरूप अनुबंध किये गये एवं तत्पश्चात भारत सरकार के समय-समय पर जारी किये गये मॉडल कन्सेशन अनुबंध के अनुरूप निगम अंतर्गत बी.ओ.टी. परियोजनाओं हेतु अनुबंध किये गये, इस कारण से भिन्न्ता है।

(घ) पारिश्रमिक दिये जाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। डी.पी.आर./फिजिबिलिटी रिपोर्ट में राज्य शासन के हिस्से के बारे में उल्लेख नहीं किया जाता है।

मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं की जानकारी

[लोक निर्माण]

33. परि.अता.प्र.सं. 158 (क्र. 3691) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1931 दिनांक 12.12.2019 के संदर्भ में बतावें कि मार्ग के संधारण एवं पुनर्व्यवस्थापन कन्सेशनायर द्वारा किया गया खर्च प्रारंभ से वर्षवार कितना-कितना है? **(ख)** 2018-19 से फरवरी 2022 तक लेबड़-जावरा तथा जावरा-नयागाँव मार्ग पर किस-किस स्पॉट पर दुर्घटना हुईं तथा दुर्घटना में कितने मृत एवं घायल हुए? दोनों फोरलेन के प्रारम्भ होने से इस 250 किलोमीटर के मार्ग पर कुल कितनी दुर्घटना हुईं? कितने लोग मरे तथा कितने घायल हुये? **(ग)** क्या इस मार्ग पर 2011 से 2015 तक क्रमशः 404 तथा 434 दुर्घटनाएं हुईं? यदि हाँ, तो बतावें कि 2015-16 के बाद रोड सेफ्टी के लिये क्या-क्या कार्य किये गये? **(घ)** दोनों मार्ग पर प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने अनधिकृत मेडियन ओपनिंग हैं? किस-किस किलोमीटर पर रोड मार्किंग अस्पष्ट होकर मिट गयी हैं? कुल कितने साइन बोर्ड किस-किस प्रकार के लगे? कितने मेडियन ओपनिंग तथा कितनों की लाईट की व्यवस्था नहीं है? कितने-कितने किलोमीटर पर हाई-मास्क लगे हैं? किस-किस मेडियन की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से कम है? किलोमीटर अनुसार सूची देवें। **(ङ.)** दोनों प्रश्नाधीन मार्ग पर सेफ्टी ऑडिट की लेटेस्ट रिपोर्ट देवें तथा बतावें कि सेफ्टी ऑडिट अप्रैल, 2016 में दिये गये 147 बिन्दुओं पर अनुसंशा अनुसार कार्य नहीं हुआ?

लोक निर्माण मंत्री : [*(क) निवेशकर्ता से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** संबंधित पुलिस अधीक्षक धार, रतलाम, मन्दसौर, नीमच से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। प्रारंभ दिनांक से अब तक हुई दुर्घटना की जानकारी संबंधित पुलिस अधीक्षक से **एकत्र की जा रही है। (ग)** 2011 से 2015 तक हुई दुर्घटना की जानकारी संबंधित पुलिस अधीक्षक से **एकत्र की जा रही है।** दोनों ही मार्गों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी द्वारा निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं वाले स्थानों पर नियमानुसार ब्लैक स्पॉट चयनित किये गये हैं। निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा उन स्थानों पर बार मार्किंग, साईन बोर्ड, केट-आईज़ इत्यादि उपाय किये गये हैं। **(घ)** निवेशकर्ता से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ङ.)** सेफ्टी ऑडिट हेतु स्वतंत्र सलाहकार मेसर्स यंगमा इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट प्रा.लि. द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सेफ्टी ऑडिट अप्रैल 2016 में दिये गये बिन्दुओं का **पालन प्रतिवेदन पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है।* **]** **(ख)** लेबड़-जावरा तथा जावरा-नयागांव मार्ग पर फोरलेन प्रारंभ होने, वर्ष 2011 से 2015 एवं 2018-2019 से फरवरी 2022 तक हुई दुर्घटना के स्पॉट, मृत एवं घायल हुये की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2"** एवं **"3" अनुसार है। (ग)** वर्ष 2011 से 2015 तक हुई दुर्घटना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "2" अनुसार है।** दोनों ही मार्गों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी दवारा निरन्तर हो रही दुर्घटनाओं वाले

स्थानों पर नियमानुसार ब्लैक स्पॉट चयनित किये गये हैं। निवेशकार्ता कंपनी दवारा उन स्थानों पर बार मार्किंग, साईन बोर्ड, केट-आईज इत्यादि उपाय किये गये हैं।

दिनांक 23 मार्च, 2022

पवई विधान सभा में विभागीय विकास कार्य

[अनुसूचित जाति कल्याण]

34. अता.प्र.सं.162 (क्र. 4062) श्री प्रह्लाद लोधी : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों एवं मजरो-टोलों में विकास एवं निर्माण के कार्य स्वीकृत किए जाने एवं क्या-क्या कार्य और किस प्रकार कराये जाने के शासनादेश/विभागीय निर्देश क्या हैं? कार्यस्थल के चयन एवं कार्यों को प्रस्तावित करने, कार्यों की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति, कार्यों के पर्यवेक्षण एवं माप और भुगतान की जिम्मेदारी किन-किन शासकीय सेवकों की होती है? **(ख)** पवई विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम और नगर परिषदों के कौन-कौन से वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग की बहुलता के हैं? इन ग्रामों/वार्डों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों एवं कुल नागरिकों की जनसंख्या क्या है? क्या इन ग्रामों/वार्डों में विकास एवं निर्माण के कार्य विगत 05 वर्षों में कराये गये? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी लागत से किन-किन कार्यों को किस मांग/आवश्यकता के चलते किस कार्य/निर्माण एजेंसी द्वारा कब-कब किया गया? **(ग)** विभाग द्वारा पवई विधान सभा अंतर्गत विगत 05 वर्षों में किस नगर परिषद् के किन वार्डों और किन-किन ग्रामों के किन-किन स्थानों पर बस्ती विकास योजना के कार्य कब-कब किए गये? किए गये कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति और क्या उपयोगिता है? कार्यवार बताइये। **(घ)** अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? इन योजनाओं का हितग्राहियों/कृषकों द्वारा किस प्रकार और किस प्रक्रिया से लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा विगत 05 वर्षों में पवई विधान सभा के कितने और किन-किन हितग्राहियों/कृषकों को किस प्रक्रिया से चयनित और किस-किस योजना के तहत किस प्रकार लाभान्वित किया गया? क्या सामग्री उपकरण प्रदाय की गई? क्या अनुदान दिया गया? **(ङ.)** प्रश्नांश (ख) से (ङ.) के परिप्रेक्ष्य में और पन्ना जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्ववान विगत 05 वर्षों में पदस्थ/कार्यरत शासकीय सेवकों के नाम, पदनाम बताइये और क्या बस्ती विकास मद के कार्य एवं योजनाओं का क्रियान्वयन नियत मानकों एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो क्या कार्यवाही की जायेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ अनुसार** है। निर्माण कार्य विभाग के निर्माण नियम के अनुसार कार्य कराये जाते हैं। **(ख)** पवई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 05 वर्षों में कराये गये निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। शेष **जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)** जानकारी प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित परिशिष्ट अनुसार है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है। (ङ.) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार** है।*] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 24 मार्च, 2022

विधानसभा क्षेत्र लखनादौन को कहानी विकासखण्ड घोषित किया जाना

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

35. अता.प्र.सं.24 (क्र. 2010) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पिटीशन क्रमांक डब्ल्यू.पी.-16653/2015 दिनांक 05.10.2015 को कलेक्टर सिवनी को लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में कहानी को विकासखण्ड कार्यालय बनाये जाने हेतु आदेश पारित करने के पश्चात अभी तक आदेश जारी क्यों नहीं किया गया? **(ख)** वर्ष 1953 में कहानी को विकासखण्ड घोषित करने तथा म.प्र. की स्थापना के पश्चात 1956 में भी कहानी विकासखण्ड घोषित किया गया था फिर घंसौर विकासखण्ड कैसे बनाया गया तथा इस संबंध में कोई आदेश जारी हुआ था? **(ग)** कलेक्टर सिवनी के पत्र क्रमांक 840/भू.अ./रा.निरी/2021 सिवनी, दिनांक 26.03.2021 को प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के पत्र तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश के तहत कहानी विकासखण्ड, जिला सिवनी बनाने के आदेश कब तक जारी किये जायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **]** (क) माननीय उच्च न्यायालय का **आदेश पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है, तत्संबंधी कार्यवाही प्रचलित है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है, (ग) समय-सीमा बताना संभव नहीं।**

शिक्षकों की मांगों के संबंध में

[स्कूल शिक्षा]

36. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 2717) श्री पी.सी. शर्मा : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि घोषणानुरूप 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शामिल अध्यापक संवर्ग हेतु नियुक्ति शब्द के स्थान पर संविलियन शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ख)** स्कूल शिक्षा विभाग में 2006 के बाद नियुक्त शिक्षकों को लंबित क्रमोन्नति कब तक दी जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाएगी अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में अन्य सहायक विभागों का संविलियन कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(ड.)** मध्यप्रदेश में भी अन्य राज्यों कि तर्ज पर शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु कक्षा-06 से ही विषयवार आगामी शिक्षक भर्तियां की जाएंगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(च)** राज्य के माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक एवं प्राचार्य भर्ती/पदोन्नति कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(छ)** राज्य की माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में खेल एवं शारीरिक शिक्षक (Sports and Games Teacher) भर्ती कब तक किये जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों? **(ज)** स्कूल शिक्षा विभाग के मृत कैडर सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता को पुनर्जीवित कब तक किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? (झ) क्या स्वयं के व्यय पर बी.एड., डी.एड. प्रशिक्षण

प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो वेतन वृद्धि की पात्रता प्रदाय की जाती है? यदि हाँ, तो किस नियुक्ति दिनांक तक? नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदाय की गई है? भोपाल जिले की सूची उपलब्ध करायें एवं किन-किन को दो वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल सका हैं, क्यों? कारण बतावें। क्या इन्हें भविष्य में दो वेतन वृद्धि का लाभ दिये जाने की योजना है? स्पष्ट करें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [***(क)*** *''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार कार्यवाही की गई है।* ***(ख)*** *इस संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग)*** *''मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018'' के अनुसार नवीन संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की वरिष्ठता इन नियमों के नियम-17 अनुसार प्रावधानित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(घ)*** *इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।* ***(ड.)*** *माध्यमिक शिक्षक की भर्ती विषयवार ही की जाती है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(च)*** *वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 13954/2016 मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध आर.बी. राय एवं अन्य में अंतरिम पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति के निर्देश प्रदान किए गए है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं।* ***(छ)*** *भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।* ***(ज)*** *ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।* ***(झ)*** *जी हाँ। दिनांक 16.06.1993 के पहले नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल से* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्त एवं दिनांक 01.03.1999 के पश्चात योग्यता अर्जित करने वाले शिक्षकों को पात्रता न होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **]** **(झ)** जी हाँ। दिनांक 16.03.1993 के पहले के नियुक्त शिक्षकों को यह पात्रता प्रदान की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 14 दिसंबर, 2011 के अनुसार दिनांक 16.06.1993 के पश्चात नियुक्ति एवं दिनांक 01.03.1999 के पश्चात योग्यता अर्जित करने वाले शिक्षकों को पात्रता न होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

37. अता.प्र.सं.52 (क्र. 3258) श्री सज्जन सिंह वर्मा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में छिंदवाड़ा एवं देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ के अंतर्गत वर्ष 2020 में खरीफ सीजन में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों के संबंध में किसानों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम प्रस्तुत किए हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त योजना में कितने किसानों के कितनी राशि के बीमा क्लेम प्राप्त हुए एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त दावा राशि के अनुसार विगत 05 वर्षों में छिंदवाड़ा एवं सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्रॉप कटिंग किस आधार पर की गई? क्राप कटिंग की गणना की जानकारी वर्षवार बतायें। **(ग)** क्या यह भी सही है कि वर्ष 2020 में

खरीफ मौसम में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों की बीमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कब तक बीमा राशि भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2020 मौसम हेतु छिंदवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र छिंदवाड़ा में एवं देवास जिले के विधानसभा क्षेत्र सोनकच्छ में दावा राशि का भुगतान किया गया है।* ***(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ग) खरीफ 2020 मौसम हेतु पात्र कृषकों को दावा राशि का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।*] **(ख)** छिंदवाड़ा विधान सभा अंतर्गत खरीफ 2020 में कुल क्षतिपूर्ति राशि रू. 446293711/- का भुगतान 66100 पात्र कृषकों को किया गया है। जिला देवास अंतर्गत तहसील सोनकच्छ में खरीफ 2020 में राशि रूपये 870266164/- का भुगतान 39593 पात्र कृषकों तथा तहसील टोक खुर्द अंतर्गत राशि रूपये 676404774/- का भुगतान 39571 पात्र कृषकों को किया गया है। खरीफ वर्ष 2020 में दावों का भुगतान रिमोट सेन्सिंग तकनीक के आधार पर उपज हानि के अनुसार किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु उपकरणों की खरीदी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

38. परि.अता.प्र.सं. 68 (क्र. 3488) श्री राकेश मावई : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुरैना जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं का कब-कब निर्माण कराया गया तथा इनमें से कितनी और कौन-कौन सी प्रयोगशाला में कार्य प्रारंभ किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक मुरैना जिले में कितने मृदा परीक्षण कार्ड वितरित किये गये? **(ख)** 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं लगने वाले उपकरणों एवं रसायनों हेतु निविदा लघु उद्योग निगम द्वारा कब बुलाई गई? निविदा प्रति की जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से उपकरण एवं रसायन कहाँ से कब खरीदे गये? उपकरणों के नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपकरण खरीदी की कितनी शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? **(ड.)** क्या यह भी सही है मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपकरण खरीदी निविदा के फर्जीकरण पर मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा अपराध क्र. 2466, दिनांक 17/12/2021 दर्ज किया गया? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इसमें क्या-क्या जांच की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें।

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** मुरैना जिले में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, भवन निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है।** नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना वर्तमान में प्रक्रियाधीन होने से नमूना विश्लेषण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्नांकित अवधि तक कृषकों को नि:शुल्क वितरित स्वाइल हैल्थ कार्ड की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है। (ख) 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा क्रमांक 21035-ए, दिनांक 30.08.2021 तक आमंत्रित की गई थी। निविदा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है। (ग)** म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21035-ए के अन्तर्गत दर निर्धारण नहीं होने के कारण म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा इस निविदा को निरस्त किया गया है। इस निविदा को निरस्त किये जाने के कारण इस निविदा के अन्तर्गत कोई खरीदी नहीं हुई है। शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश "ग" के संदर्भ में, म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक 21035-ए के अन्तर्गत दर निर्धारण नहीं होने के कारण कोई खरीदी नहीं हुई है। जब उपकरणों की खरीदी ही नहीं की गई, तब खरीदी के संबंध में शिकायत प्राप्त होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** नहीं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ म.प्र. भोपाल से प्रश्नांश के प्राप्त उत्तर अनुसार मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के उपकरण खरीदी निविदा के फर्जीकरण के संबंध में प्रकोष्ठ में कोई अपराध दर्ज नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार है।**

मण्डी समिति के कार्यों की जानकारी

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

39. अता.प्र.सं.106 (क्र. 4098) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या डॉ. कैलाश नाथ काटजू जावरा कृषि उपज मण्डी समिति अंतर्गत (1) जावरा खाचरोद नाका मण्डी (2) अरनियापीथा मण्डी (3) पिपलोदा उपमण्डी (4) बडावदा उपमण्डी (5) सुखेडा उपमण्डी इत्यादि सहित निर्मित हाट बाजार (मण्डी) भी संचालित होकर कार्यरत हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो उपरोक्त उल्लेखित मंडियां, उप मंडियों एवं हाट बाजार केन्द्रों पर किस-किस प्रकार की कृषि उपज उत्पादन का क्रय-विक्रय किया जाता है? उपरोक्तानुसार उल्लेखित केन्द्रवार कृषक उत्पाद के क्रय-विक्रय की जानकारी प्रदान करें। **(ग)** उपरोक्तानुसार उल्लेखित प्रश्नांश (क) एवं (ख) अंतर्गत आने वाले समस्त केन्द्रों पर क्रय-विक्रय हेतु कितने लायसेंसधारी व्यापारी होकर किन-किन केन्द्रों पर स्वयं के लायसेंस के द्वारा क्रय-विक्रय का कार्य करते हैं? केन्द्रवार बताएं। **(घ)** उपरोक्त स्थानों/केन्द्रों पर व्यापारियों को उनके लायसेंस पर आधारित उपज, उत्पादन, खाद्यान्न को रखे जाने हेतु गोदाम एवं व्यापारियों कार्य हेतु दुकान कहाँ-कहाँ पर आवंटित की गई है? उपरोक्त प्रश्नों में उल्लेखित क्रय-विक्रय के स्थानों/केन्द्रों के परिसर अंतर्गत एवं परिसर के बाहर भी कितने गोदाम एवं कितनी दुकानें निर्मित होकर किसे-किसे आवंटित की गई हैं? नियमानुसार आवंटित अनुबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करें।

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **] (क)** डॉ. कैलाश नाथ काटजू कृषि उपज मण्डी समिति जावरा के अंतर्गत जावरा-खाचरोद नाका मण्डी प्रांगण, अरनियापीथा मण्डी प्रांगण, पिपलोदा उपमण्डी, बडावदा उपमण्डी, सुखेडा उपमण्डी क्रियाशील तथा कालूखेडा उपमण्डी अक्रियाशील है। कालूखेडा उपमण्डी प्रांगण में बाउंड्रीवॉल, कार्यालय भवन, 02 गोदाम, 17 सेंड्रीशॉप निर्मित है, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी नहीं होने के फलस्वरूप यह उपमण्डी

अक्रियाशील है तथा प्रश्नाधीन अधोसंरचनाओं का आवंटन नहीं हुआ है। हाट बाजार रिंगनोद और हाट बाजार ढोढर में सौदा पत्रक के माध्यम से कृषि उपज का क्रय-विक्रय होता है। **(ख)** उत्तरांश (क) की क्रियाशील मण्डी, उपमण्डियों के साथ ही हाट बाजारों में वर्ष 2021-22 में कृषि उत्पाद के क्रय-विक्रय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार है। (ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) में संदर्भित मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों तथा हाट बाजारों में मण्डी अनुज्ञप्तिधारी तथा खरीदी करने वाले व्यापारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार है। (घ)** जावरा में स्थित खाचरोद नाका मण्डी प्रांगण, अरनियापीथा मण्डी प्रांगण तथा बडावदा उपमण्डी में ही व्यापारियों को भू-खण्ड/अधोसंरचनाएं आवंटित हैं, जिसका वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 अनुसार है।** कालूखेडा उपमण्डी में गोदाम-2 नग, 500 मैट्रिक टन तथा सेंड्रीशॉप-17 नग निर्मित है, किन्तु लाइसेंसधारी व्यापारी नहीं होने से आंवटित नहीं की गई है।

मनरेगा योजना के तहत निर्मित चैकडेमों की जानकारी

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

40. अता.प्र.सं.121 (क्र. 4214) श्री पंचूलाल प्रजापति : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के पत्र क्र. 2066 दिनांक 8.2.2021 द्वारा छतरपुर जिले में मनरेगा योजना से निर्मित कराए जा रहे चैकडेमों की जांच कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को करने के निर्देश दिए गये थे? **(ख)** क्या कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छतरपुर द्वारा एस.डी.ओ. एवं उपयंत्रियों की एक कमेटी गठित की जाकर जनपद पंचायत लवकुश नगर एवं जनपद पंचायत नौगांव में निर्मित किए जा रहे चैकडेमों की जांच की गई थी? **(ग)** क्या जनपद पंचायत लवकुशनगर के अंतर्गत 1. चेकडैम बदिया नाला ग्राम पंचायत हरद्वार 2. चेकडैम परियारी नाला ग्राम पंचायत बम्हौरी पुरवा 3. चेकडैम महला नाला ग्राम पंचायत हरद्वार 4. चेकडैम गर्रा नाला ग्राम पंचायत दौनी एवं जनपद पंचायत नौगांव के अंतर्गत 5. चेकडैम गुलाब के खेत के पास ग्राम पंचायत नुना 6. चेकडैम गुन्नौर नाला ग्राम पंचायत सिंहपुर की जांच में निर्माण कार्य अनुपयोगी एवं घटिया स्तर के पाए गए थे? यदि हाँ, तो कार्यपालन यंत्री की कमेटी द्वारा जारी जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न की जावे। **(घ)** क्या कार्यपालन यंत्री के पत्र क्र. 1603 दिनांक 13.8.2021 द्वारा जांच रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजी गई थी? यदि हाँ, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा संबंधित सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को निलंबित किया गया कि नहीं? क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी? जांच के उपरांत अनुपयोगी सिद्ध हुए चैकडेमों का भुगतान किस-किस दिनांक को किस-किस सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया गया? क्या जांच के उपरांत अनुपयोगी सिद्ध हुए चैकडेमों का भुगतान करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किया जावेगा एवं राशि की वसूली की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? समय-सीमा बताएं।

पंचायत मंत्री : [*(क) जी हाँ। (ख) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। जी नहीं। परीक्षण उपरांत गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी, योजना अंतर्गत भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद

पंचायत द्वारा किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। जी हाँ। इस संबंध में दो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दो सहायक यंत्री तथा दो उपयंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ ही एक सहायक यंत्री श्री एम.के. शर्मा को आयुक्त सागर संभाग द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। सभी संबंधितों के दोष सिद्ध होने पर कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर से भी की जा रही जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा पद व अधिकारों का दुरूपयोग

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

41. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4218) श्री आरिफ मसूद : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कृषि उपज मण्डी नसरूल्लागंज की उपमण्डी गोपालपुर, जिला सीहोर में 50 हजार लीटर का ओव्हरहैड टैंक मय एकमुश्त राशि की तकनीकी स्वीकृति एवं एकमुश्त राशि की निविदा अनुशंसा नियम एवं प्रदत्त अधिकारों के विरूद्ध तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री जगदीश श्रीवास्तव द्वारा अपने पद व अधिकारों का दुरूपयोग कर अपने पत्र क्रमांक 560, दिनांक 05/06/2018 एवं पत्र क्रमांक 2017 दिनांक 07/01/2019 को एकमुश्त राशि की स्वीकृति की गयी थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में निविदा सिस्टम क्रमांक 5159 द्वारा उक्त कार्य की फार्म (एफ) पर निविदा आमंत्रित की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या इस निविदा में सफल निविदाकार होने के लिये एक ही निविदाकार द्वारा एक समान नेचर का कार्य किया गया हो, अनिवार्य शर्त सम्मिलित थी? यदि नहीं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन कार्यपालन यंत्री जगदीश श्रीवास्तव के विरूद्ध तत्काल विभागीय जांच संस्थापित कर प्रभारी अधीक्षण यंत्री के पद से हटाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, श्री जगदीश श्रीवास्तव के विरूद्ध आर्थिक अपराध ब्यूरो भोपाल में जाँच चल रही है? यदि हाँ, तो जांच में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराएं।

किसान कल्याण मंत्री : [***किसान कल्याण मंत्री (श्री कमल पटेल) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** मण्डी समिति नसरुल्लागंज की उपमण्डी गोपालपुर का प्रश्नांकित कार्य निर्माण संबंधी विभागीय निर्देशों के सापेक्ष प्रश्न अंतर्गत पत्र क्रमांक-560, दिनांक 05/06/2018 की तकनीकी स्वीकृति तथा मण्डी समिति नसरुल्लागंज द्वारा दी गयी प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक-321 दिनांक 09/06/2018 एवं कृत निविदा कार्यवाही के तहत प्रश्न अंतर्गत पत्र क्रमांक-2017 दिनांक 07/01/2019 से निविदा राशि की स्वीकृति/अनुशंसा अनुसार कराया गया है। **(ख)** जी हाँ। आमंत्रित निविदा में प्रश्नांश की निम्नानुसार अनिवार्य शर्त शामिल थी:- "Only those bidders who have successfully completed the single construction of R.C.C. over head tanks and/or water treatment plants costing not less than PAC Amount in any one financial year during last three financial years i.e., 2014-15, 2015-16 & 2016-17 in government department/semi Government organization/ urban local bodies (Nagar Nigam/Nagar palika) will be eligible for participation in the tender. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के

परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गुरूजियों को वरिष्ठता

[स्कूल शिक्षा]

42. अता.प्र.सं.125 (क्र. 4231) श्री लाखन सिंह यादव : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. 3090/4473/1/3 व दिनांक 19/12/2005 के तहत श्री डी.पी. दुबे कमेटी गठित की गई थी? यदि हाँ, तो कमेटी की अनुशंसा रिपोर्ट बतावें। क्या कमेटी की अनुशंसा अनुसार गुरूजी पद पर की गई सेवा अवधि की गणना नियमित वेतनमान के लिये की गई थी? यदि हाँ, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? स्पष्ट करें कि क्या अब श्री डी.पी. दुबे कमेटी द्वारा की गई अनुशंसाओं को मान्य किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित स्पष्ट करें। **(ख)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सी.एम. हाउस में आयोजित अध्यापक सम्मेलन में दिनांक 21 जनवरी, 2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन और गुरूजियों को वरिष्ठता दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हाँ, तो क्या घोषणा दिनांक से दिनांक 1 मार्च, 2022 तक इस घोषणा को पूरा किया गया है? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति दें। यदि नहीं, तो क्यों घोषणा की गई थी? इस घोषणा को कब तक पूरा किया जावेगा? **(ग)** म.प्र. के किस-किस जिले में कितने-कितने गुरूजी दिनांक 1 मार्च, 2022 की स्थिति में पदस्थ हैं? संख्यावार प्रत्येक जिलेवार अलग-अलग जानकारी दें। ग्वालियर जिले में दिनांक 1 मार्च, 2022 की स्थिति में कौन-कौन गुरूजी पदस्थ हैं? उनका नाम, वर्तमान पद, पदस्थापना दिनांक, वर्तमान स्थान पर पदस्थापना दिनांक, विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत सहित पूर्ण विवरण दें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ। अनुशंसा रिपोर्ट **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक पर** है। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। अनुशंसाओं के संबंध में कार्यवाही की जा चुकी है, अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश में अंकित घोषणा सी.एम. डैशबोर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जिलेवार संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो पर** है। ग्वालियर जिले में दिनांक 01 मार्च, 2022 की स्थिति में पदस्थ गुरूजियों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-तीन पर** है।

फसल बीमा योजना वितरित राशि

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

43. अता.प्र.सं.137 (क्र. 4286) श्री जितु पटवारी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरीफ 2020 तथा रबी 2020-21 के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वितरित किये गये दावा राशि की किसान अनुसार हल्केवार 7 वर्षों की क्रॉप कटिंग के आंकड़े और गणना उपलब्ध करायें। **(ख)** बीमा कंपनी द्वारा किसान अनुसार बीमा क्लेम राशि स्वीकृत करने का क्या सूत्र है तथा इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या किसान को बीमा कंपनी द्वारा प्रदत्त क्लेम राशि पर आपत्ति लेने की अधिकारिता नहीं है? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती तथा उस प्रक्रिया से अवगत करावें। **(ग)** प्रश्नाधीन दोनों सीजन के लिए अनुबंधित बीमा कंपनी तथा

शासन के बीच अनुबंध की प्रति देवें तथा बतावें कि क्लेम की राशि स्वीकृत करने में कोई समय-सीमा बीमा कंपनी के लिये तय है या नहीं? **(घ)** क्या खरीफ 2020 की बीमा राशि जनवरी 2021 तथा रबी 2020-21 की राशि जुलाई 2021 में नहीं मिलना चाहिये? अनुबंध में इस संदर्भ में किस धारा में क्या उल्लेख है? एक साल से ज्यादा समय का लाभ देकर बीमा कंपनी को ब्याज के रूप में रूपये 800 करोड़ का फायदा क्यों पहुंचाया गया? क्या विलंब के लिये कृषकों को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिमोट सेन्सिंग तकनीक का उपयोग कर सेंथेटिक क्रॉप लॉस एवं उपज के आधार पर हानियों का आंकलन कर बीमा कंपनी द्वारा दावों का भुगतान किया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश (क) अनुसार दावों की गणना तकनीकी आधार पर की गयी है। किसान को बीमा कंपनी द्वारा प्रदत्त क्लेम राशि पर आपत्ति लेने की अधिकारिता है। कृषक विभिन्न माध्यमों जैसे-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। **(ग)** अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधान अनुसार बीमा कंपनी को प्रीमियम अनुदान राशि प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर दावों का भुगतान करने का प्रावधान है। **(घ)** उत्तरांश (ग) अनुसार। अनुबंध के अनुसार दावों का भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड मार्गदर्शी निर्देशिका के अनुसार किया जावेगा। बीमा कंपनी को खरीफ 2020 एवं रबी 2020-21 हेतु प्रीमियम अनुदान राशि की किश्त दिनांक 24.02.2021, 30.03.2021, 08.02.2022 तथा 29.06.2022 को भुगतान की गयी। तदुपरांत बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिमोट सेन्सिंग तकनीक का उपयोग कर सेंथेटिक क्रॉप लॉस एवं उपज के आधार पर हानियों का आंकलन कर किया गया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज की खरीदी का भुगतान नहीं होना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

44. अता.प्र.सं.170 (क्र. 4423) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग निजी फर्म के व्यापारियों को अनुज्ञप्ति जारी कर किसानों के कृषि उपज को क्रय करने का अधिकार देती है? यदि हाँ, तो वर्ष 2019, 2020, 2021 से प्रश्न दिनांक तक उपज खरीदी के लिये गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा जिले अन्तर्गत कितनी फर्म को किस-किस नियम, शर्तों, अनुबंध धरोहर राशि, बैंक स्टेटमेंट किस-किस उपज के लिये, कितनी अवधि के लिये, किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई? विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की प्रति, फर्म के आवेदन, फर्म का जी.एस.टी. नं. फर्म का रजिस्ट्रेशन नं, बैंक खातों की जानकारी सहित संपूर्ण जानकारी का गोशवारा, जिलेवार, सुस्पष्ट, पठनीय, पेजिंग, फ्लेगिंग, हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित पेन ड्राइव एवं हार्ड प्रति में दें। **(ख)** उपरोक्त के संबंध में क्या उपरोक्त अवधि में किसानों से उनकी उपज तो क्रय कर ली गई, किन्तु उन्हें भुगतान नहीं किया गया? यदि हाँ, तो जिलेवार, फर्मवार, उपज किसान द्वारा फर्म को सौंपने की दिनांक, कृषक का नाम, मंडी, गांव का नाम, कृषि उपज की मात्रा, कीमत,

नगद भुगतान की गई राशि, बकाया राशि बैंक द्वारा भुगतान, चैक नं. दिनांक सहित पूर्ण विवरण दें? **(ग)** उपरोक्त के संबंध में उपज खरीदी से कितनी-कितनी अवधि में भुगतान कर दिया गया है? कितना भुगतान किस कारण से शेष है? शेष भुगतान के लिये कितने आवेदकों ने, कितने आवेदन पत्र विभाग को भुगतान कराने के लिये दिये हैं? उन पत्रों पर कब-कब और क्या कार्यवाही की गई? एकल नस्ती की, आवेदन पत्र प्रति, विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की प्रति सहित बतायें। भुगतान नहीं होने पर विभाग में कौन-कौन जिम्मेदार हैं? **(घ)** उपरोक्त के संबंध में फर्म/एजेन्सी मालिक के विरूद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? कब तक किसानों को उनके उपज का असली हक मय ब्याज के अदा कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? क्या फर्म/एजेंसी से राशि वसूली नहीं होने पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उनके विरूद्ध कब तक और क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ, म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 32 के तहत अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु मंडी समिति और धारा 32-क के तहत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी (जो वर्तमान में प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड है) को एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में कृषि उपज के व्यवसाय हेतु विशेष अनुज्ञप्ति जारी करने का अधिकार है। प्रश्नागत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार है। (ख)** प्रश्नागत अवधि में कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल, बैरसिया, रायसेन तथा औबेदुल्लागंज में कुल 05 अनुज्ञप्तिधारी फर्म द्वारा किसानों से क्रय उपज के विक्रय मूल्य के भुगतान में व्यतिक्रम किया गया था, जिसके संबंध में वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 02 अनुसार है। (ग)** प्रश्नागत विवरण एवं अभिलेख की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 03 अनुसार है। (घ) प्रश्नातगत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है।** प्रकरण में व्यतिक्रमी व्यापारियों से क्रय कृषि उपज के विक्रय मूल्य की वसूली की कार्यवाही प्रचलित है जिसमें राशि प्राप्त होने पर संबंधित विक्रेताओं/कृषकों का भुगतान हो सकेगा। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। प्रश्नाधीन मामले में मण्डी बोर्ड के उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध कृत/प्रचलित कार्यवाही का विवरण **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 04 अनुसार है।**

मंडी बोर्ड द्वारा निरीक्षकों को प्रताड़ित किया जाना

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

45. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 4457) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मंडी बोर्ड भोपाल में कई उप संचालक एवं संयुक्त संचालक होने के बाद भी श्री अवनीश चतुर्वेदी, उप संचालक को प्रतिनियुक्ति में लेकर उसे गृह स्थान में शासन एवं मंडी बोर्ड की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध पदस्थापना की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मंडी बोर्ड एवं शासन को प्राप्त हुई हैं? उनके जांच एवं परिणामों की जानकारी दें तथा इनके मूल विभाग में सेवाकाल के दौरान कितने दण्ड मिले हैं? कितने कारणदर्शी सूचनापत्र जारी हुए हैं? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के विरूद्ध मंडी को क्षति पहुंचाने एवं नियम विरूद्ध काम करने के संबंध में नोटिसें जारी की गई हैं तो आरोपियों से क्षति

की राशि की वसूली क्या की गई है तथा क्या दण्ड दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या उप संचालक, मंडी बोर्ड रीवा द्वारा सीनियर मंडी निरीक्षकों के स्थानान्तरण प्रस्ताव देकर अटैच कराकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा जूनियर सहायक उपनिरीक्षकों को मंडी का प्रभार सौदेबाजी के तहत दिया जा रहा है? चाकघाट एवं मैहर मंडी इसके उदाहरण हैं। मंडीबोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक को जानकारी होने के बाद कोई कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई?

किसान कल्याण मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** जी नहीं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्वीकृत सेटअप अनुसार संयुक्त संचालक के भरे पद कम हैं। मंडी बोर्ड द्वारा अपने सेवकों के लिये जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 29.10.2021 की कंडिका-20 अनुसार कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: गृह मंडी क्षेत्र में पदस्थ नहीं किया जाता है। म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक/21/2022/SAMB दिनांक 06.10.2022 द्वारा श्री अवनीश चतुर्वेदी, प्रतिनियुक्ति उप संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा की प्रतिनियुक्ति सेवायें मंडी बोर्ड से वापस लेते हुये, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल में पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 2039 दिनांक 10.10.2022 से भारमुक्त/कार्यमुक्त किया जा चुका है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में श्री अवनीश चतुर्वेदी तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड रीवा के विरूद्ध विभिन्न स्तर से म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 04 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी अद्यतन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक अनुसार है।** श्री अवनीश चतुर्वेदी तत्कालीन उपसंचालक (कृषि) को उनके मूल विभाग किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. में सेवाकाल के दौरान दिये गये दण्ड एवं जारी कारणदर्शी सूचना पत्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र दो अनुसार है।** **(ग)** जी हॉ, प्रश्नागत 02 प्रकरणों में से पूर्व में फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेस रामपुर नैकिन द्वारा सामान्य दर से ब्याज सहित मण्डी फीस एवं निराश्रित शुल्क जमा किया गया था, जिनसे कृषि उपज के पांच गुना मूल्य के आधार पर मण्डी फीस एवं निराश्रित शुल्क के अंतर की राशि के साथ समझौता शुल्क सहित रूपये 28,605/- दिनांक 29.12.2021 को मण्डी समिति सीधी में जमा कराये गये हैं। इसी प्रकार फर्म जावेन्द्र किराना स्टोर/जावेन्द्र गुप्ता बैकुण्ठपुर द्वारा सामान्य दर से ब्याज सहित मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क जमा किया गया था, जिनसे कृषि उपज के पांच गुना मूल्य के आधार पर मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क, के अंतर्गत की राशि के साथ समझौता शुल्क सहित कुल रूपये 98,036/- दिनांक 10.01.2022 को मण्डी समिति बैकुण्ठपुर में जमा कराये गये है। श्री अवनीश चतुर्वेदी, तत्कालीन उप संचालक, आंचलिक कार्यालय मंडी बोर्ड रीवा को जारी कारण बताओं सूचना पत्र के प्राप्त उत्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है। **(घ)** जी नहीं। कृषि उपज मंडी समिति चाकघाट में पदस्थ श्री रावेन्द्र शेखर अग्निहोत्री मंडी निरीक्षक के दिनांक 22.11.2021 से दिनांक 26.12.2021 तक अर्जित अवकाश पर रहने एवं मंडी समिति चाकघाट में कोई अनुभवी कर्मचारी जो सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के दायित्वों का निर्वहन कर सके पदस्थ नहीं होने के कारण कार्य अनुभव की दृष्टि से श्री राजेन्द्र चौधरी सहायक उपनिरीक्षक को श्री अग्निहोत्री के अवकाश से लौटने तक की अवधि हेतु सचिव के पद का प्रभार सौंपा गया था। दिनांक 20.12.2021 को वीडियो कांफ्रेन्स के दौरान प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी समिति चाकघाट की आय तथा आवक की समीक्षा करने पर आवक में अत्यधिक गिरावट पाये जाने से

आदेश दिनांक 23.12.2021 से श्री रावेन्द्र शेखर अग्निहोत्री मंडी निरीक्षक को आंचलिक कार्यालय रीवा में कार्य संपादन हेतु निर्देशित किया गया एवं सचिव के नवीन पदस्थापना तक तात्कालिक व्यवस्था के तहत श्री राजेन्द्र चौधरी सहायक उपनिरीक्षक को सचिव के पदीय दायित्वों के निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा आदेश दिनांक 08.04.2022 से श्री शोभनाथ साकेत, मंडी निरीक्षक, मंडी समिति सतना को मंडी समिति चाकघाट में पदस्थ करते हुए सचिव पद का प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी समिति मैहर जिला सतना में श्री ओंकार प्रसाद तिवारी मंडी निरीक्षक प्रभारी सचिव अर्द्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने के कारण सेवानिवृत्त होने एवं श्री कैलाश रैदास सहायक उप निरीक्षक की विभागीय जांच संचालित होने से भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति मैहर द्वारा श्री रमेश प्रसाद पाण्डेय सहायक उप निरीक्षक को आगामी व्यवस्था होने तक सचिव के पद का प्रभार सौंपा गया था तथा आदेश दिनांक 15.03.2022 से श्री कमलेश कुमार पाण्डेय, मंडी निरीक्षक/प्रभारी सचिव, को मंडी समिति मैहर जिला सतना में पदस्थ किया गया है। अत: शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता है।

मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा रिश्वत खोरों को संरक्षण

[किसान कल्याण एवं कृषि विकास]

46. परि.अता.प्र.सं. 183 (क्र. 4458) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय रीवा की पदस्थापना उनके गृह स्थान में शासन एवं मण्डी बोर्ड की नीति के विरूद्ध की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के विरूद्ध अभी तक कितनी शिकायतें मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल एवं शासन के स्तर पर प्राप्त हुई हैं? उनकी जांच एवं परिणामों की जानकारी दें। **(ग)** क्या उप संचालक के द्वारा उड़नदस्ता के माध्यम से सहभागी बनकर कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर एवं सीधी में संस्थाओं को दुर्भावना पूर्वक निजी हित में हानि पहुंचाई गई है, इसके लिए प्रबंध संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा तत्संबंधी नोटिसें सचिव एवं उप संचालक को जारी की गई है? उनके बारे में आरोपियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की और हानि की वसूली क्या संबंधितों से की जा चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या उड़नदस्ता दल के माध्यम से रामपुर नैकिन के व्यापरी से 40,000/- रूपयों की रिश्वत ली गई है? इसके लिए शपथ-पत्र के माध्यम से कार्यवाही हेतु सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, सीधी के द्वारा पत्र क्रमांक 591, दिनांक 12.01.2022 के माध्यम से कार्यवाही हेतु लिखा गया है? यदि हाँ, तो रिश्वतखोरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

किसान कल्याण मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी नहीं। म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के स्वीकृत सेटअप अनुसार संयुक्त संचालक के भरे पद कम हैं। मंडी बोर्ड द्वारा अपने सेवकों के लिये जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 29.10.2021 की कंडिका-20 अनुसार कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: गृह मंडी क्षेत्र में पदस्थ नहीं किया जाता है। म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के आदेश क्रमांक/21/2022/SAMB दिनांक 06.10.2022 द्वारा अवनीश चतुर्वेदी, प्रतिनियुक्ति उप संचालक, मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा की प्रतिनियुक्ति सेवायें मंडी बोर्ड से वापस लेते हुये, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. भोपाल में पदस्थ

किये जाने के फलस्वरूप मंडी बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक 2039 दिनांक 10.10.2022 से भारमुक्त/कार्यमुक्त किया जा चुका है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में श्री अवनीश चतुर्वेदी तत्कालीन उप संचालक मंडी बोर्ड रीवा के विरूद्ध विभिन्न स्तर से 04 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी अद्यतन **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ग)** संभागीय उड़नदस्ता दल मण्डी बोर्ड रीवा द्वारा दिनांक 04.12.2021 को रामपुर नैकिन की फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेस एवं दिनांक 19.11.2021 को फर्म जावेन्द्र किराना स्टोर/जावेन्द्र गुप्ता बैकुण्ठपुर, (बगैर अनुज्ञप्तिधारी फर्म) के प्रतिष्ठान के स्कन्ध का निरीक्षण किया गया, जिसमें कृषि उपज का अवैध भण्डारण पाये जाने पर प्रकरण कृषि उपज मंडी समिति सीधी एवं बैकुण्ठपुर को कार्यवाही हेतु सौंपे जाने पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा-19 के प्रावधान तथा धारा-23 के तहत कार्यवाही नहीं करने पर श्री अवनीश चतुर्वेदी, तत्कालीन उपसंचालक, आचंलिक कार्यालय रीवा, श्री हीरामणि त्रिपाठी, प्रभारी सचिव मण्डी समिति बैकुण्ठपुर एवं श्री विनय पाण्डेय सहायक उप निरीक्षक मण्डी समिति सीधी को दिनांक 22.12.2021 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधितों द्वारा अपने उत्तर में लेख किया गया है कि पूर्व में फर्म बालाजी इन्टरप्राईजेस द्वारा जमा की गई राशि के अतिरिक्त पांच गुना मण्डी शुल्क/निराश्रित शुल्क अंतर की राशि रूपये 28,605/- दिनांक 29.12.2021 को मंडी समिति सीधी में जमा की गई है तथा फर्म जावेन्द्र किराना स्टोर से पांच गुना मंडी शुल्क/निराश्रित शुल्क अंतर की राशि रूपये 98,036/- दिनांक 10.01.2022 को मंडी समिति बैकुण्ठपुर में जमा कराई गयी है। प्राप्त उत्तरों का परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, शेष प्रश्न निर्मित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नागत शिकायत की जांच संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर को मंडी बोर्ड भोपाल के पत्र दिनांक 23.12.2021 से सौंपी गई थी, जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। जांच में पायी गई वस्तुस्थिति का परीक्षण कर आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।

<u>दिनांक 25 मार्च, 2022</u>

प्रदेश के 89 ट्राइबल ब्लॉकों में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

47. परि.अता.प्र.सं. 12 (क्र. 1613) श्री मुकेश रावत (पटेल) : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 89 ट्राइबल ब्लॉकों में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तियों को किन-किन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दिया गया? वर्तमान में कितने व्यक्ति पेयजल सुविधा प्राप्त है, कितने वंचित हैं? ब्लॉकवार वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें? **(ख)** वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई? कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, ब्लाकवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें? **(ग)** जनवरी 2019 से प्रश्न-दिनांक तक अलीराजपुर जिले में किन-किन ग्रामों में किन-किन योजनाओं के तहत कितने व्यक्तियों को पेयजल सुविधा प्रदान की गई, कितने वंचित हैं? व्यक्तियों के नाम सहित ग्रामवार, वर्षवार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें? 100% आबादी को पेयजल सुविधा प्रदान करने का क्या योजना और लक्ष्य निर्धारित है? **(घ)** अलीराजपुर जिले में वित्त-वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में पी.एच.ई. विभाग को ट्राइबल सब-प्लान से कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई?

कितनी राशि कहां-कहां खर्च की गई? वर्षवार, ग्रामवार, योजनावार पृथक-पृथक ब्यौरा देवें। **(ङ)** वित्त वर्ष 2022-23 में ट्राइबल सब-प्लान से पी.एच.ई. विभाग को कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित करने का प्रस्ताव है? उक्त में से कितनी राशि अलीराजपुर जिले के लिए प्रस्तावित हैं?

मुख्यमंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** प्रश्नांकित क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में प्रश्नाधीन अवधि में मुख्यमंत्री ग्राम नल-जल योजना, हैंडपंप योजना एवं जल जीवन मिशन योजनाओं के तहत पेयजल सुविधा दी गई है। वर्तमान में प्रश्नांकित क्षेत्र के ग्रामों में सभी व्यक्तियों को नल योजना अथवा/और हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है अत: पेयजल सुविधा से वंचित रहने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, तथापि प्रश्नाधीन अवधि में कुछ ग्रामों में विद्यमान पेयजल सुविधा का विस्तार/उन्नयन का कार्य नल-जल योजनाओं अथवा/और हैंडपंप योजनाओं के माध्यम से किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** राशि का आवंटन कार्य योजनावार तथा विकासखंडवार नहीं किया जाता है, अपितु जिले में किये जा रहे कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है। व्यय की गई राशि का श्रेणीकरण राज्य स्तर पर संधारित लेखों में किया जाता है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार** है। **(ग)** नलकूप खनन कर हैंडपंप स्थापना कार्य के माध्यम से पेयजल सुविधा व्यक्तिवार नहीं दी जाती है, अपितु सामुदायिक है, तथापि प्रश्नांकित अवधि में अलीराजपुर जिले में नल-जल सुविधा से लाभान्वित किये गये व्यक्तियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। प्रश्नांकित क्षेत्र में पूरी आबादी को नल-जल अथवा/और हैंडपंप के माध्यम से पेयजल सुविधा उपलब्ध है, तथापि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों में सफल भूजल स्त्रोतों की उपलब्धता एवं जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार वर्ष 2024 तक शत-प्रतिशत ग्रामों की आबादी को पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति की सुविधा दिया जाना प्रावधानित है। **(घ)** ग्रामवार अथवा कार्ययोजनावार राशि का आवंटन नहीं किया जाता है अपितु जिले में कराये गये कार्यों के भुगतान के लिये संबंधित कार्यपालन यंत्री को राशि उपलब्ध कराई जाती है अलीराजपुर जिले को प्रश्नांकित अवधि में दी गई राशि एवं व्यय की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। आवंटन जिलेवार प्रस्तावित नहीं किया जाता है।

कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों का प्रोटोकाल

[सामान्य प्रशासन]

48. परि.अता.प्र.सं. 98 (क्र. 4229) श्री लाखन सिंह यादव : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगम, मण्डल एवं आयोग के अध्यक्षों/सदस्यों को कैबिनेट एवं राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है? यदि हाँ, तो राज्य मंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिये जाने वाले व्यक्ति को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? वेतन-भत्तों सहित पूर्ण विवरण दें। **(ख)** क्या राज्य मंत्री/कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले व्यक्ति को विभिन्न जिलों में जाने पर

फालोगार्ड वाहन, सर्किट हाउस या अन्य संसाधनों की भी पात्रता है? कैबिनेट मंत्री/राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति के विस्तृत प्रोटोकाल एवं गाइड-लाइन की जानकारी स्पष्ट करें। **(ग)** दिनांक 28 फरवरी 2022 की स्थिति में म.प्र शासन द्वारा किस-किस व्यक्ति को कैबिनेट एवं राज्यमंत्री का किस विभाग/निगम मण्डल या अन्य के रूप में दर्जा दिया गया है? किस दिनांक से किस दिनांक तक के लिये दर्जा दिया है?

मुख्यमंत्री : [*(क) जी हाँ। शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है। (ग)*** *दिनांक 28.02.2022 की स्थिति में कैबिनेट एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। आदेश जारी होने अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दर्जा दिया जाता है। यह दर्जा सामान्यत: उनके पद पर रहने तक रहता है।* **]** **(क)** जी हाँ। राज्यमंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को दिये जाने वाली सुविधाओं संबंधी जारी निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** राज्यमंत्री/कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को मध्यप्रदेश विश्राम भवन/विश्राम गृह अधिभोग नियम, 2001 में नि:शुल्क पात्रता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है।

औद्योगिक इकाइयों को नियम विरुद्ध वित्तीय अनुदान/सहायता

[सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम]

49. अता.प्र.सं.112 (क्र. 4266) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन इकाइयों को किस योजना अंतर्गत कितना-कितना वित्तीय अनुदान/सहायता दी गई? भोपाल, रायसेन, बैतूल, धार, इंदौर, रतलाम जिले की जानकारी पृथक-पृथक प्रति सहित देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में इकाइयों की कामर्शियल प्रोडक्शन की दिनांक क्या थी? **(ग)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में प्रश्नांश (ख) से संबंधित इकाइयों द्वारा श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपयुक्त अनापत्ति, अनुमति, लायसेंस आदि प्रमाण-पत्र कब प्राप्त हुए, विभाग द्वारा किये निरीक्षण-प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या भोपाल, रायसेन, धार, बैतूल, इंदौर, रतलाम जिले में औद्योगिक इकाइयों द्वारा कामर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपयुक्त अनापत्ति, अनुमति, लायसेंस आदि प्रमाण पत्र न मिलने पर भी वर्तमान में इकाइयों को वित्तीय अनुदान/सहायता दी जा रही है? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा नियमों/योजनाओं की अवमानना कर वित्तीय सहायता/अनुदान देने वाले बैतूल, धार, इंदौर, रतलाम जिले में पदस्थ किन-किन अधिकारियों एवं इकाई-संचालकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किस नियम के अनुसार की जा रही है? इकाई एवं अधिकारियों का नाम पदनाम सहित ब्यौरा देवें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [*(क) दिनांक 01/01/2019 से प्रश्न दिनांक तक भोपाल, रायसेन, बैतूल, धार, इन्दौर और रतलाम जिलों में विभाग द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। (ख)* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है।*

(ग) जानकारी अत्यंत विस्तृत है तथा संकलित की जा रही है। ***(घ)*** *औद्योगिक इकाई को स्थापित एवं कार्यरत होने के लिये संबंधित विभागों से अनापत्ति, अनुमति, लायसेंस आदि प्राप्त करने का दायित्व सभी संबंधित इकाइयों का है, वांछित अनापत्ति, अनुमति, लायसेंस आदि प्राप्त न करने पर संबंधित विभागों के द्वारा इकाइयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका दायित्व संबंधित विभागों का है। विभाग द्वारा औद्योगिक इकाइयों को सहायता दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि इकाई द्वारा पूंजी निवेश किया जाकर, दर्शाये गये उत्पाद हेतु उत्पादनरत है।*] **(ग)** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 3 अनुसार है।**

हवाई पट्टियों के नवीनीकरण/मरम्मत

[विमानन]

50. अता.प्र.सं.164 (क्र. 4504) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में जनवरी, 2018 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में हवाई पट्टियों के नवीनीकरण/मरम्मत हेतु किन-किन जिलों से प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए तथा इस हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान निहित किया जाकर कितनी राशि किन-किन प्रयोजनों हेतु व्यय की गई? व्यय राशि का जिलेवार ब्योरा दें। **(ख)** क्या प्रश्नाधीन अवधि में उज्जैन संभाग से भी कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? यदि हाँ, तो जिलेवार विस्तृत ब्योरा दें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में नीमच विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली हवाई पट्टी के संबंध में कितनी राशि के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं? क्या शासन प्राप्त प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य पूर्ण करायेगा? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।

मुख्यमंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क) से (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

सितम्बर, 2022 [जुलाई 2022]

दिनांक 25 जुलाई, 2022

खेल सामग्री के क्रय में अनियमितता

[स्कूल शिक्षा]

1. परि.अता.प्र.सं. 61 (क्र. 415) श्री मनोज चावला : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में किस-किस शासकीय विद्यालय में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक कितनी-कितनी राशि की कौन-कौन सी खेल सामग्री क्रय की गई हैं? वर्षवार बताएँ। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सामग्री के प्रदायकर्ता फर्म का नाम, सामग्री का नाम, दर, कुल मात्रा, कुल राशि, सामग्री प्राप्ति के दिनांक, बिल भुगतान की दिनांक की सूची, क्रय करने वाले विद्यालय सहित देवें। **(ग)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक रतलाम जिले में खेल सामग्री क्रय करने में आर्थिक अनियमितता पाई गई है? कुल मिलाकर कितनी शिकायतें/प्रकरण प्राप्त हुए हैं तथा कुल कितनों पर कार्यवाही की गई है? **(घ)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक शासन स्तर पर रतलाम जिले के कुल कितने विद्यालयों को खेल सामग्री क्रय करने के मद में कुल कितनी राशि का व्यय किया गया है? वर्षवार बतावें।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** निरंक। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है

तालाब एवं परकोलेशन टैकों का निर्माण

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 73 (क्र. 464) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला पंचायत मण्डला, डिण्डौरी एवं बैतूल द्वारा नियंत्रित किस-किस मद की कितनी राशि से गत दो वर्षों में कितने नवीन तालाब एवं परकोलेशन टैकों के निर्माण की अनुमति दी गई? कितने तालाब एवं परकोलेशन टैंकों के गहरीकरण की अनुमति दी गई? विकासखण्डवार ग्राम के नाम सहित बतावें। **(ख)** कितनी लागत तक के तालाब एवं परकोलेशन टैकों के निर्माण में लगने वाली स्वाईल टेस्ट करवाया जाना आवश्यक है? कितनी लागत तक के तालाब एवं परकोलेशन टैकों के कॉम्पेक्शन की प्रयोगशाला से जांच करवाया जाना आवश्यक है। **(ग)** गत दो वर्षों में स्वीकृत कितने तालाब एवं परकोलेशन टैंकों की स्वाईल टेस्ट एवं कॉम्पेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट किस-किस प्रयोगशाला से बनाई गई, उसके बाद में कितनी राशि किस-किस दिनांक को प्रयोगशाला में जमा करवाई गई? **(घ)** यदि प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाई गई हो तो उसका कारण बतावें। टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? पद व नाम बतावें।

पंचायत मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।*] **(क)** नवीन तालाब एवं परकोलेशन टैकों के निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। तालाब एवं परकोलेशन

टैंकों के जीर्णोद्वार की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। **(ख)** राशि रू. 5.00 लाख से अधिक लागत के तालाब एवं परकोलेशन टैंकों के निर्माण में लगने वाली स्वाईल एवं काम्पेक्शन की जांच प्रयोगशाला में कराया जाना आवश्यक है। **(ग)** विगत दो वर्षों में स्वीकृत तालाब एवं परकोलेशन टैंकों की स्वाईल टेस्ट एवं काम्पेक्शन टेस्ट की रिपोर्ट एवं प्रयोगशाला में जांच जमा की गयी राशि की **जानकारी उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(घ)** निर्माण एजेंसी एवं संबंधित उपयंत्री की लापरवाही के कारण प्रयोगशाला से टेस्ट रिपोर्ट नहीं बनवाई गई है। जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद का विवरण **उत्तरांश 'क' के परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है।

स्कूलों में बैग पॉलिसी का पालन

[स्कूल शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.88 (क्र. 500) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश राज्य में स्कूली छात्रों के लिये बैग पॉलिसी 2020 लागू है? यदि हाँ, तो प्री प्रायमरी से 8वीं कक्षा तक स्कूली छात्रों के लिये कितने वजन तक का स्कूली बैग लागू है? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नीति के तहत स्कूल बैग को भोपाल जिले के किन-किन स्कूलों में 1 सितम्बर 2021 से अब तक कब-कब निरीक्षण किया गया? तिथि बताते हुये निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम बताया जाये। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में स्कूली बैग का निरीक्षण करते समय कोई रिपोर्ट बनाई गई है? यदि हाँ, तो कम से कम पांच निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये। **(घ)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निरीक्षण में कोई स्कूल दोषी पाया गया है? यदि हाँ, तो स्कूलों का नाम एवं पता बताते हुये उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही बताई जाये।

राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ **परिशिष्ट 'अ' पर है। (ख)** बैग पॉलिसी 2020 दिनांक 29.08.2022 से प्रभावशील है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

आई.टी.आई. का संचालन

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

4. परि.अता.प्र.सं. 92 (क्र. 568) श्री नीरज विनोद दीक्षित : क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित क्यों नहीं है? उचित कारण देवें। क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही आई.टी.आई. संस्थान की सुविधा कब तक प्राप्त होगी? **(ख)** नौगाँव अथवा हरपालपुर क्षेत्र में आई.टी.आई. संस्थान कब तक खोला जावेगा? **(ग)** प्रदेश के बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड. और एम.पी.एड. कॉलेज में प्रवेश हेतु स्टेट कोटा (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी.) का प्रतिशत कितना है एवं बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों हेतु कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित है? प्रदेश के अनारक्षित कोटे के विद्यार्थियों हेतु कितनी प्रतिशत सीट बच पाती है? **(घ)** प्रदेश के अनारक्षित कोटे के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों हेतु आरक्षित कोटे से कम सीटें क्यों मिल पा रही हैं जबकि प्रदेश के विद्यार्थियों का

हक ज्यादा बनना चाहिए? अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का कोटा समाप्त कर अनारक्षित विद्यार्थियों को उनके हिस्से में अधिक सीट कब तक मिल पायेगी?

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री : [*(क) एवं (ख) महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखण्ड नौगाँव आता है। विभाग की नीति प्रत्येक विकासखण्ड में एक आई.टी.आई. खोलने की है। विकासखण्ड नौगाँव में पूर्व से 02 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। (ग) एवं (घ)* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। (घ)** जी नहीं। अनारक्षित कोटे के विद्यार्थियों को अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सीट मिल रही है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट - "एक"

मुख्यमंत्री आवास योजनांतर्गत अनुदान की प्रतिपूर्ति

[पंचायत और ग्रामीण विकास]

5. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 606) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना कब लागू की गई थी? इसके प्रावधान क्या थे? इस योजना में प्रदेश में कितने आवास व ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये थे? **(ख)** क्या शासन द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना में घोषित अथवा निर्धारित अनुदान दिया जाता है? यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने प्रकरणों में अनुदान बैंकों में शासन द्वारा जमा कराया जाता है? **(ग)** सतना जिले में उक्त योजना के कितने हितग्राहियों के ऋण बकाया हैं? इनमें कितनों में शासन से देय अनुदान नहीं दिया गया है? विस्तृत विवरण देवें तथा बतावें कि कब तक निर्धारित ऋण अनुदान दिया जाकर हितग्राहियों को ऋणमुक्त कराया जावेगा?

पंचायत मंत्री : [*(क) प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से लागू की गई थी।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। योजना में प्रदेश में लगभग 6.50 लाख आवास व ऋण प्रकरण स्वीकृत किये गये थे। (ख) जी हाँ। वर्तमान में (मार्च 2022 की स्थिति में) बैंकों से प्राप्त मांग पत्र अनुसार 575194 प्रकरणों में अनुदान राशि बैंको में शासन द्वारा जमा कराया गया है। (ग)* ***जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(ग)** सतना जिले में उक्त योजना के 11367 हितग्राहियों के ऋण प्रकरण बकाया है। बैंको की मांग अनुसार शासन द्वारा प्रकरणों में अनुदान नियमानुसार जारी किया जाता है। समय-सीमा दिया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 26 जुलाई, 2022

छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में प्रगति

[सामान्य प्रशासन]

6. अता.प्र.सं.29 (क्र. 285) श्री विनय सक्सेना : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में हुए छात्रवृत्ति घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध शाखा तथा लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा कुल कितने मामलों में जांच की गयी है अथवा जांच जारी है? विवरण

जिलावार, संस्थावार बतावें। **(ख)** किन-किन मामलों में न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके है? पेश किये गये चालान की प्रति बतावें। **(ग)** किन-किन संस्थाओं के विरुद्ध जांच उपरांत कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाए गये है? जिलेवार उनकी सूची तथा समस्त सुसंगत अभिलेख देवें। **(घ)** छात्रवृत्ति घोटाले मामले में कार्यवाही के संबंध में राज्य आर्थिक अपराध शाखा तथा लोकायुक्त मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र आदि सभी की जानकारी देवें।

मुख्यमंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा आपराधिक प्रकरण एवं प्रारंभिक जांच में कुल 47 मामलों में 02 में चालान प्रस्तुत एवं 10 प्रारंभिक जांच के जांच उपरांत नस्तीबद्ध की गयी है। 35 मामलों की विवेचना जारी है एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा कुल 96 आपराधिक मामलों में 25 मामलों की विवेचना की जाकर चालान प्रस्तुत तथा 71 आपराधिक मामलों की विवेचना जारी है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' एवं 'ब' अनुसार** हैं। **(ख)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा 02 मामलों में माननीय न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके है एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा 25 मामलों में माननीय न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके है, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' एवं 'द' अनुसार** है। **(ग)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'इ' एवं 'ई' अनुसार** हैं। प्रकरण से संबंधित दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, वर्तमान में उपलब्ध कराना न्याय संगत नहीं है। **(घ)** छात्रवृत्ति घोटाले मामले में कार्यवाही के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा पृथक से कोई निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किया गया है एवं विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) द्वारा आपराधिक मामलों की विवेचना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संशोधित 2018 तथा भारतीय दंड विधान की धाराओं व दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की जाती है।

प्रदेश में क्रियाशील आई.टी. कंपनियां

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

7. अता.प्र.सं.34 (क्र. 357) श्री प्रवीण पाठक : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में औद्योगिक नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में (उत्तर दिनांक तक) कितनी आई.टी. कंपनियां पंजीकृत होकर क्रियाशील हैं? **(ख)** प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 (उत्तर दिनांक तक) की अवधि में किस-किस आई.टी. कंपनी को कितनी-कितनी सब्सिडी राशि दी गई? कंपनीवार एवं वर्षवार जानकारी दें। **(ग)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा उक्त अवधि में आई.टी. कंपनियों को रियायती दर पर भूमि दी गई है? यदि हाँ, तो आई.टी. कंपनी का नाम व पता, दी गई भूमि का क्षेत्रफल, ग्राम व जिला का नाम, दर, अनुबंध की शर्तों का पूर्ण विवरण देवें। **(घ)** प्रदेश सरकार से आई.टी. कंपनियों द्वारा सब्सिडी/रियायती दर पर भूमि एवं अन्य सुविधा/सहायता प्राप्त करने के बाद किस-किस वर्ष में म.प्र. के कितने मूल निवासी व्यक्तियों को किस-किस जिले में रोजगार उपलब्ध कराया गया? वर्षवार, आई.टी. कंपनीवार, कर्मचारीवार पूर्ण विवरण दें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** "मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम में उत्तर दिनांक तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 648 इकाईयां पंजीकृत है। औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत क्रिस्टल आईटी पार्क, एसईजेड इन्दौर एवं अतुल्य आईटी पार्क इंदौर में 41 आईटी कंपनियां एवं औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप जिला रायसेन में 01 आईटी कंपनी क्रियाशील है। **(ख)** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा आईटी कंपनियों को दी गयी सब्सिडी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को अपात्र उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। आईटी कंपनियां व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में होने के कारण उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र है। **(ग)** जी, हां। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा आईटी कंपनियों को रियायती दर पर आवंटित भूमि का क्षेत्रफल, दर, ग्राम, जिले की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है तथा आईटी कंपनियों से किये जाने वाले अनुबंध की शर्तो (लीजडीड) की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार** है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी लिमिटेड क्षेत्रांतर्गत क्रियाशील आईटी कंपनियों में से औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन में मेसर्स फिजित्सु आप्टेल प्रा.लि. (वर्तमान में मेसर्स नेटलिंक स्टेजिक सॉल्यूशन प्रा.लि.) को आवंटित भू-खंड में से 4306 वर्गमीटर भूमि 5 वर्ष की अवधि हेतु सबलीज पर मेसर्स नेटलिंक सॉफ्टेवयर प्रा.लि. को रूपये 44620/- प्रतिवर्ष उप पट्टा शुल्क पर दी गयी। सबलीज पर दी गयी 4306 वर्गमीटर भूमि के त्रिपक्षीय अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। **(घ)** आईटी नीति के अंतर्गत रोजगार की शर्त के अधीन 03 इकाईयों द्वारा एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा विकसित आई.टी.पार्क भोपाल, इंदौर, एवं जबलपुर में स्थापित/क्रियाशील 18 इकाईयों द्वारा रोजगार सृजन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 अनुसार** है। शेष कंपनियॉ, लीजडीड के प्रावधान अनुसार निर्माण/उत्पादन हेतु प्रक्रियाशील है। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारी/अधिकारी की जानकारी संकलित नहीं की जाती है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपीआईडीसी लिमिटेड क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप जिला रायसेन में वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 की अवधि में मेसर्स नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्रा.लि. को भूमि उप पट्टा पर दी गयी। इकाई द्वारा मध्यप्रदेश के 467 मूल निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार के विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है।

संविदा कर्मचारियों का मानदेय

[सामान्य प्रशासन]

8. अता.प्र.सं.35 (क्र. 365) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा समय-समय पर संविदा

कर्मचारियों के मानदेय के संबंध में आदेश-निर्देश जारी किये गये हैं? **(ख)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा संविदा कर्मचारियों के संबंध में जून 2018 में 90 प्रतिशत मानदेय एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख किया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** में वर्णित दिशा-निर्देश एवं नियमों का पालन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है? **(घ)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप कब तक 90 प्रतिशत मानदेय प्रदान करेगा?

मुख्यमंत्री : [*(क) जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05 जून, 2018 की कण्डिका 1.14.5 में संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित करने के निर्देश है। (ख) जी हाँ।* ***(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* **]** **(ग)** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार।**

<u>परिशिष्ट - "दो"</u>

टेक होम राशन देने में हुई अनियमितता

[महिला एवं बाल विकास]

9. परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 444) श्री हर्ष विजय गेहलोत (गुड्डू) : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2552 दिनांक 16.03.2022 के खण्ड "क" के सन्दर्भ में बतावें कि क्या मई 2021 से प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को टेक होम राशन देने की योजना निरन्तर क्यों नहीं है? इस संबंध में जारी आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि इस योजना को क्यों बन्द कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं की संख्या जिन्हें टेक होम राशन दिया गया, वर्षवार, माह अनुसार बतावें तथा बतावें कि जनवरी 2021 में हितग्राही की संख्या 107012 से घटकर मई 2021 में 15252 क्यों हो गई? क्या इस अवधि में 91760 किशोरी बालिका ने विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया? **(ग)** भारत शासन द्वारा जारी "Instruction for Base line survey of AG" (Anex II) के तहत Survey sheet Part I And Part II की अप्रैल 2018 की रतलाम जिले की प्रतिया देवें। **(घ)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2552 के उत्तर के परिशिष्ट 05 में प्रदान की गई सूची में अधिकांश शाला त्यागी बालिकाओं की उम्र 14 वर्ष से ज्यादा है, बतावें कि उन्हें किस नियम से हितग्राही बनाया गया? **(ड.)** क्या शासन शाला त्यागी किशोरी बालिका को टेक होम राशन देने में प्रतिवर्ष हुये लगभग 100 से 150 करोड़ की अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच करायेगा?

मुख्यमंत्री : [*(क) किशोरी बालिका योजना केन्द्र प्रवर्तित है, भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग से केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण योजना निरन्तर नहीं रखी गई। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना दिनांक 31.03.2022 से बंद कर दी गई है। आदेश की* ***प्रति संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर*** *है। (ख) प्रदेश में किशोरी बालिका योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 तक की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"ब" पर*** *है। वर्ष 2019-20 की*

माहवार ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *माह जनवरी 2021 से हितग्राहियों की संख्या घटकर 15252 नहीं हुई। विभाग द्वारा माह मई 2021 में केवल उन्हीं 15252 बालिकाओं हेतु ही टेकहोम राशन जारी किया गया, जिनका विभागीय एम.आई.एस. में नामजद पूर्ण विवरण दर्ज किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।* ***(ग)*** *भारत शासन द्वारा ''Instruction for Baseline survey of AG (Anex II) '' के तहत survey sheet Part-I का संधारण आंगनवाड़ी स्तर पर होता है,* ***जानकारी संकलित की जा रही है।*** *survey sheet Part-II की* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''स'' पर*** *है।* ***(घ)*** *प्रश्न क्र. 2552 के उत्तर के* ***संलग्न परिशिष्ट 05*** *में प्रदान की गई सूची में शालात्यागी बालिकाओं की उम्र के संबंध में पाई गई त्रुटि की जांचकर कार्यवाही की जावेगी।* ***(ङ.)*** *उत्तरांश (घ) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।*] **(ख)** प्रदेश में किशोरी बालिका योजना वर्ष 2018-19 से संचालित है। वर्ष 2018-19, 2020-21 एवं 2021-22 तक की वर्षवार माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार** है। माह जनवरी 2021 से हितग्राहियों की संख्या घटकर 15252 नहीं हुई। विभाग द्वारा माह मई 2021 में केवल उन्हीं 15252 बालिकाओं हेतु ही टेकहोम राशन जारी किया गया, जिनका विभागीय एम.आई.एस. में नामजद पूर्ण विवरण दर्ज किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** भारत शासन **द्वारा** ''Instruction for Baseline survey of AG (Anex II) '' के तहत रतलाम जिले की survey sheet Part-I की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''द''** एवं survey sheet Part-II की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार** है।

पंचायत चुनाव में वाहनों की व्यवस्था

[सामान्य प्रशासन]

10. अता.प्र.सं.133 (क्र. 862) श्री सुखदेव पांसे : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. राज्य पंचायत चुनाव जून 2022 में भोपाल जिले के पंचायत चुनाव हेतु भोपाल कलेक्टर ने किस-किस विभाग से कितने-कितने शासकीय व अनुबंधित वाहनों को कलेक्टर कार्यालय में चुनाव कार्य हेतु अधिग्रहित किया? उनकी संख्या, कार्यालय का नाम व अधिग्रहण की अवधि सहित बतावें। **(ख)** कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों से अधिग्रहित किये गये वाहनों को किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को उपयोग हेतु दिया गया, इनमें से कलेक्टर कार्यालय के कौन-कौन से कर्मचारी थे, उनके नाम, पद उन्हें चुनाव कार्य के कौन-कौन से दायित्व सौंपे गये थे, आदेश की प्रति सहित विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश भाग (ख) के उत्तर में यदि कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारियों को अधिग्रहित वाहन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या ये कर्मचारी वाहन के उपयोग की पात्रता रखते हैं? नियमों/आदेशों की प्रति देते हुये विवरण देवें? **(घ)** क्या प्रश्नांकित अधिग्रहित शासकीय वाहनों को कलेक्टर कार्यालय द्वारा संबंधित विभागों को पुन: वापस सौंप दिये गये? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो कारण सहित बतावें?

मुख्यमंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** मध्यप्रदेश राज्य पंचायत चुनाव मई, जून 2022 में भोपाल जिले के पंचायत चुनाव हेतु भोपाल कलेक्टर द्वारा शासकीय विभागों को वाहन अधिग्रहण आदेश प्रेषित किये गये थे। संबंधित विभाग द्वारा अपने कार्यालय में उपयोग किये जा रहे वाहनों में से सुगमता के आधार पर कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित कार्य की

महत्वपूर्णता, वाहन चालक की उपस्थिति इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालय में उपलब्ध वाहनों में से चुनाव कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराये गये हैं। पंचायत चुनाव 2022 में इस कार्यालय को अधिग्रहण में कुल 283 वाहन प्राप्त हुये थे। वाहनों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ख)** विभागों से अधिग्रहित वाहनों की जानकारी एवं उपयोग करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के नाम,पदनाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** में दी गई है। कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को चुनाव कार्य में सौंपा गया दायित्व के संबंध में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 500/स्था.निर्वा./2022 भोपाल दिनांक 28.05.2022 की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है चुनाव कार्य के लिए समय समय पर आदेश पत्र जारी किये गये है। **(ग)** पंचायत चुनाव 2022 अधिग्रहण में प्राप्त वाहनों का उपयोग निर्वाचन कार्य के लिए किया गया है। कई बार वाहनों का उपयोग चुनाव में संलग्न अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य के दौरान कराया जाता है, जैसे उदाहरण स्वरूप डाकमत पत्र, ई.व्ही.एम. एवं मतदान सामग्री परिवहन हेतु किसी ट्रक का उपयोग अपने अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा ही कराया जायेगा। चुनाव कार्य हेतु डाक वितरण किसी अधीनस्थ कर्मचारी व भृत्य द्वारा ही वाहन का उपयोग किया जाता है। चुनाव कार्य की गंभीरता एवं महत्वपूर्णता को ध्यान रखकर, समय-सीमा में कार्य करना होता है। निर्वाचन जैस महत्वपूर्ण व समय-सीमा में कार्य निष्पादन हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के तहत वाहनों का उपयोग अधिकारियों एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा किए जाते है, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव कार्य में संलग्न वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्य का स्वरूप के आधार पर वाहन का उपयोग किया जाता है। चुनाव के दौरान मौसम को दृष्टिगत रखते हुए भीषण गर्मी, वर्षा ऋतु इत्यादि समस्याओं के कारण वाहनों का उपयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। **(घ)** जी हाँ अधिग्रहित शासकीय वाहनों को संबंधित विभागों को पुन: वापस कर दिये गये हैं। कलेक्टर कार्यालय में वाहन आने का दिनांक एवं जाने का दिनांक, की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ** में दी गई है। चुनाव कार्य में संलग्न कई सेक्टर अधिकारियों को अपने विभाग से वाहन आवंटित होता है, जिनका उपयोग उनके स्वयं के द्वारा किया जाता है, चुनाव ड्यूटी के साथ-साथ यह अधिकारी अपने कार्यालय के दायित्वों को भी समय-सीमा में पूर्ण करना होता है। जिन अधिकारियों द्वारा वाहन अधिग्रहण करने एवं मुक्त करने की प्रविष्टि कलेक्टर कार्यालय में करायी गयी है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** में दी गई है। पंचायत चुनाव 2022 के उदघोषणा के कुछ ही दिन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन कराए जाने कार्यक्रम जारी किए गये। दोनों निर्वाचनों की प्रक्रिया समानांतर तौर पर प्रचलित रही। जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में प्राप्त वाहनों को नगरीय निकाय के चुनाव कार्य में भी उपयोग करना पड़ा है।

आई.टी. कम्पनियों को भूमि का आवंटन

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

11. अता.प्र.सं.137 (क्र. 870) श्री कुणाल चौधरी : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010 से जून 2022 तक प्रदेश में किस-किस आई.टी. कंपनी को किस दर पर कितनी-कितनी जमीन दी गई तथा उक्त जमीन फट, उन्होंने भूतल पर कितना प्रतिशत

निर्माण किया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी को अनुदान राशि, व्यय की प्रतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन राशि एवं सहायता राशि के रूप में किन-किन वर्ष में कितनी राशि प्रदान की गई? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित कंपनी में अप्रैल 2022 की स्थिति में कितने-कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है तथा उसमें मध्यप्रदेश के कितने मूल निवासी कर्मचारी/अधिकारी है? **(घ)** वर्ष 2010 से जून 2022 तक आईटी कंपनी के लिये शासन स्तर पर कितने-कितने भवन निर्मित किये गये तथा उक्त निर्मित भवन में कितना-कितना क्षेत्र किस-किस कंपनी की किस दर से या कितने किराये/लीज पर दिया गया? **(ड.)** क्या जिन आई.टी. कंपनी को रियायत दर पर जमीन या निर्मित भवन दिया गया, उसके लिये कुछ शर्तें तय की गई थी यदि हाँ, तो उसका उल्लेख करें यदि अनुबंध संपादित किया गया तो उनकी प्रति देवें।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** आई.टी. नीति के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष जून 2022 तक आई.टी. कंपनियों को आवंटित भूमि/दर/किये गये निर्माण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार** है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन में मेसर्स फिजित्सु आप्टले प्रा.लि. (वर्तमान में मेसर्स नेटलिंक स्टेजिक सॉल्यू. प्रा.लि.) को आवंटित भू-खंड में से 4306 वर्गमीटर भूमि 5 वर्ष की अवधि हेतु उपपट्टा (सबलीज) पर मेसर्स नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्रा.लि. को रूपये 44620/- प्रतिवर्ष उपपट्टा शुल्क पर दी गयी। जिसमें भू तल पर 68.25 प्रतिशत निर्माण है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार** है। **(ग)** आईटी नीति के अंतर्गत रोजगार की शर्त के अधीन 03 इकाईयों द्वारा एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा विकसित आई.टी.पार्क में भोपाल, इंदौर, एवं जबलपुर में स्थापित/क्रियाशील 18 इकाईयों द्वारा रोजगार सृजन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -3 अनुसार** है। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम द्वारा प्रदेश के मूल निवासी कर्मचारी/ अधिकारी की जानकारी संकलित नहीं की जाती है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत मेसर्स नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन में अप्रैल 2022 की स्थिति में कुल 1138 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। उक्त में से 467 कर्मचारी/अधिकारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी है। **(घ)** वर्ष 2010 से जून 2022 तक आई.टी. पार्क बडवई भोपाल में एक, आई.टी पार्क-सिंहासा इंदौर में एक, आई.टी. पार्क-परदेशीपुरा, इंदौर में दो, तथा आई.टी. पार्क-पुर्वा जबलपुर में एक भवन निर्मित किया गया है। निर्मित भवन में कंपनियों को आवंटित क्षेत्र/किराये/लीज/दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार** है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2010 से जून 2022 तक किस्टल आईटी पार्क, एसईजेड इंदौर, एवं अतुल्य आईटी पार्क के भवन निर्मित किये गये है। निर्मित भवन में किराये/लीज पर दिये जाने संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 (एक) अनुसार** है। **(ड.)** जी हाँ। आई.टी. नीति के अनुसार आई.टी. कंपनियों को भूमि का आवंटन रियायती दर पर किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा आईटी नीति 2014 के अनुसार आईटी पार्क में कंपनियों से किये जाने वाले पटटा विलेख, **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-5 (एक) अनुसार** तथा आई.टी., नीति 2016 के तहत पटटा विलेख **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 5 (दो) अनुसार** है। आईटी कंपनियों (टीसीएस,

इंफोसिस, इंपेटस) को रियायती दर पर भूमि आवंटन किये जाने पर तय की गयी शर्तें एवं पट्टा विलेख की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 अनुसार** है। आईटी पार्क में आई.टी कंपनीयों को दिये जाने वाले निर्मित क्षेत्र की दर एवं शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 (एक)** एवं निर्मित क्षेत्र की लीज डीड (अनुबंध) की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 (दो) अनुसार** है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत मेसर्स नेटलिंक सॉफ्टवेयर प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप जिला रायसेन के साथ किये गये त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन की जानकारी एवं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत एमपी.आई.डी.सी. क्षेत्रांतर्गत किस्टल आईटी पार्क, एसईजेड इंदौर, एवं अतुल्य आईटी पार्क भवन के निर्मित क्षेत्र हेतु किये जाने वाले अनुबंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-6 (तीन) अनुसार** है।

मा. जनप्रतिनिधियों के पत्रों की जानकारी नहीं दी जाना

[विज्ञान और प्रौद्योगिकी]

12. परि.अता.प्र.सं. 111 (क्र. 885) श्री जयवर्द्धन सिंह : क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को पत्र क्र. 29/22 दिनांक 14.03.22 जो विधानसभा तारांकित प्रश्न की अपूर्ण जानकारी के संबंध में पत्र क्र. 63/22 दिनांक 25.04.22 विभाग में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी को वेतन के संबंध में पत्र क्र. 65/22 दिनांक 12.05.2022 जो सी.पी.सी.टी. परीक्षाओं की जानकारी के संबंध में प्रेषित किये गये हैं? यदि हाँ, तो पत्र प्राप्ति से प्रश्न दिनांक तक कब-कब क्या-क्या कार्यवाही कितना समय व्यतीत कर की गई है? संबंधितों के नाम, पदनाम, कार्यालयवार, पत्रवार कार्यालयीन अभिलेखों सहित पृथक-पृथक बतायें। **(ख)** उपरोक्त के संबंध में सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4 भोपाल दिनांक 22.3.2011 में उल्लेखित पांचों बिन्दुओं एवं परिशिष्टों (1, 2) का पालन सुनिश्चित किया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयीन अभिलेखों/ नोटशीटों/पत्रों की प्रति सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित प्राप्त पत्रों में प्रश्नकर्ता ने विभाग से क्या जानकारी चाही है? क्या चाही गई जानकारी पत्र में उल्लेखित बिन्दुवार बनाई गई है? यदि हाँ, तो पत्रवार, विभागवार, कार्यालयवार की गई समस्त कार्यवाही सहित बतायें। **(घ)** उपरोक्त के संबंध में प्रश्नकर्ता को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है? यदि हाँ, तो कब और कैसे? यदि नहीं, तो क्या कारण है? जानकारी नहीं उपलब्ध कराने, छुपाने, लंबित रखने के लिये कौन-कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारों पर कब और क्या कार्यवाही की जायेगी? समय-सीमा सहित बतायें। यदि नहीं, तो क्यों? स्पष्ट करें। **(ड.)** जब विभाग ई-टेण्डर घोटाले की जांच का सामना कर रहा है तो कैसे विभाग के लोग अन्य एजेन्सियों की जांच अधिकारी के तौर पर अपनी अनुशंसा/रिपोर्ट दे सकते हैं? क्या विभाग तकनीकी प्रकरणों में जांच करेगा? ऐसा प्रावधान आपके विभाग के गठन से प्रश्न दिनांक तक कहीं उल्लेखित है? यदि हाँ, तो बतायें। यदि नहीं, तो नियम विरूद्ध कार्य के लिये कौन जिम्मेदार है?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। सा.प्र.वि. के आदेश

क्रमांक एफ 19-76/2007/1/4, भोपाल दिनांक 22-3-2011 में उल्लेखित बिन्दुओं एवं परिशिष्टों के पालन में माननीय संसद सदस्यों/विधायकों से प्राप्त पत्रों का पृथक पंजी संधारण (रजिस्टर) **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। माननीय विधायक महोदय से प्राप्त पत्रों से संबंधित प्रकरणों के अभिलेखों/नोटशीट/पत्रों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्टके प्रपत्र-1** अंतर्गत **"क", "ख", "ग" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। पत्र क्र. 29/22, दिनांक 14-03-22 के संबंध में जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक एफ 12/1/2022/41-2, दिनांक 14-7-2022 द्वारा तथा पत्र क्र. 63/22, दिनांक 25-04-22 के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के पत्र क्रमांक 3470/2022/07/22, दिनांक 22-7-2022 द्वारा एवं पत्र क्र. 65/22, दिनांक 12-05-2022 के संबंध में जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम के पत्र क्रमांक 2022/3655, दिनांक 04-8-2022 द्वारा माननीय विधायक राघौगढ़, डी-21, चार इमली भोपाल को प्रेषित की गयी है। उपरोक्तानुसार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1** अंतर्गत **"क", "ख", "ग" अनुसार** है। अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** ई-टेण्डर घोटाले के संबंध में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों, द्वारा जांच की जा रही है। मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में (ख) इकतालीस-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन (एक) भाग (अ) में अनुक्रमांक 11 के पश्चात "11-अ- (16) " अंतर्गत विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों तथा उपयोजनाओं के संबंध में परामर्श देने का कार्य आवंटित है। इसके तहत विभाग द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को तकनीकी परामर्श प्रदान किया जाता है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 27 जुलाई, 2022

गेहूँ खरीदी एवं भुगतान की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

13. परि.अता.प्र.सं. 37 (क्र. 508) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष किस-किस कृषक से किस दिनांक को कितनी मात्रा में गेहूँ कितनी राशि का शासन द्वारा तय एजेंसी द्वारा खरीदा गया तथा भुगतान किस दिनांक को किया गया तथा किस-किस कृषक का भुगतान उत्तर दिनांक तक शेष है? **(ख)** प्रश्नांश (क) की सूची में किस-किस कृषक से कितनी राशि सोसायटी आदि के बकाया ऋण की किस दिनांक को काटी गई तथा वह राशि सोसायटी इत्यादि को कृषक के ऋण पेटे किस दिनांक को दी गई तथा इसमें विलंब का कारण क्या है तथा नियमानुसार उसे कितने दिवस में सोसायटी को देना था? **(ग)** क्या कई दिनों के अंतराल से ऋण पेटे काटी गई राशि सोसायटी देने से कृषक को शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ नहीं मिला तथा सोसायटी ने ऋण पर सात प्रतिशत से दस प्रतिशत की दर से ब्याज लगा दिया? यदि हाँ, तो बतावें कि ऐसे कृषकों की संख्या कितनी है? **(घ)** क्या विलंब से भुगतान पर कृषक पर लगाये गये ब्याज तथा पेनल्टी को निरस्त किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो कब तक? **(ड.)** क्या विलंब से भुगतान पर लगाये गये ब्याज की राशि संबंधित एजेंसी जिसने विलंब किया उससे वसूली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** शाजापुर जिले के कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 39 खरीदी केन्द्रों पर कृषकों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं की मात्रा एवं भुगतान की दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। विधान सभा क्षेत्र कालापीपल में उत्तर दिनांक तक किसी भी कृषक का भुगतान शेष नहीं है। **(ख)** कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु 2571 कृषकों से 10.85 करोड़ रू. की राशि सोसायटी आदि के बकाया ऋण पेटे में काटी गई है। किसानों की राशि जिस दिनांक को काटी गई है उसका समायोजन उसी दिनांक को कृषक के ऋण खाते में किया गया है। किसानों के ऋण मद में काटी गई एवं जमा की गई राशि की दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार** है। **(ग)** ई-उपार्जन पोर्टल पर कृषक द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रित मात्रा की मूल्य राशि की 50 प्रतिशत राशि ही ऋण मद में समायोजित करने का प्रावधान है। कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 170 ऐसे कृषक जिन्होंने निर्धारित तिथि 15 अप्रैल, 2022 के पूर्व बकाया ऋण राशि ऋण खाते में जमा नहीं की है। उन्हें ही ऋण ब्याज एवं ऋण राशि के रूप में 7.36 लाख की वसूली संबंधित प्राथमिक कृषि शाख सहकारी संस्थाओं द्वारा की गई है। 170 कृषकों से काटी गई ऋण राशि की कृषकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट–ब अनुसार** है। **(घ)** जी हां। विलंब से भुगतान पर कृषक पर लगाये गये ब्याज तथा पेनल्टी को निरस्त करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए है कि ऐसे कृषक जिनके द्वारा अपनी उपज 15/04/2022 तक समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई है और उनकी बकाया ऋण राशि की वसूली कटौती भी कर ली गई है, परंतु विक्रय की गई फसल की राशि 15/04/2022 के पश्चात प्राप्त होने से कृषकों के खाते में विलंब से जमा हुई है, उनसे निर्धारित अवधि के पश्चात का ब्याज एवं दण्ड ब्याज की वसूली नहीं की जाए तथा ऐसे कृषकों को डिफाल्टर न मानते हुए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना का लाभ दिया जाए और पात्रता अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाए। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गेहूँ, धान की खरीदी एवं भुगतान

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

14. अता.प्र.सं.40 (क्र. 645) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में कितनी मात्रा में गेहूं, धान की खरीदी की गई? मात्रा सहित जानकारी देवें। केन्द्र शासन द्वारा कितनी राशि एवं मात्रा की खरीदी की स्वीकृति दी गई थी? **(ख)** क्या वर्ष 2020-21 में जो गेहूं खरीदा गया उसे खुले कैम्पों में एवं निजी गोदामों में रखा गया, जिससे काफी मात्रा में गेहूं खराब हुआ? **(ग)** क्या वर्ष 2018-19 में केन्द्र की स्वीकृति से अधिक गेहूं खरीदी का भुगतान देने से केन्द्र द्वारा असहमति दी गई? कितनी मात्रा का गेहूं अधिक था? इसका भुगतान कहां से किया गया? **(घ)** क्या रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई लिमिट के आधार पर राज्य सरकार की गांरटी पर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य विपणन संघ जैसी संस्था को

दिया गया था? खरीदी एवं भण्डारण का कर्ज वर्ष 2021 तक कितना हो गया? इसे प्रदेश सरकार कैसे वापस करेगी? राशि की मात्रा सहित पूर्ण जानकारी दी जावें।

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** सिवनी जिले में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं एवं धान की मात्रा की जानकारी **संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार** है। इसी समयावधि में केन्द्र शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जन हेतु स्वीकृत मात्रा की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का भण्डारण ओपन कैप एवं निजी गोदामों में किया गया था। भण्डारित गेहूं के खराब होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। **(ग)** प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मात्रा 73.69 लाख मे.टन अनुसार ही गेहूं का उपार्जन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया जाकर आवंटित जिलों में सहकारी समिति, महिला स्व-सहायता समूह तथा एफपीओ/एफपीसी के माध्यम से कराया जाता है। इस हेतु वित्त की व्यवस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मध्यप्रदेश शासन की स्वीकृत खाद्यान्न साख सीमा और राज्य शासन की गारंटी पर बैंको से नोडल एजेंसी ब्याज पर कर्ज के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उधार ली गयी राशि रूपये 43835.19 करोड़ थी। उपार्जित स्कंध के लिक्वीडेशन से केन्द्र शासन को प्रस्तुत दावें से प्राप्त राशि तथा राज्य बजट से हानि प्रतिपूर्ति की राशि के माध्यम से नोडल एजेंसी द्वारा ऋण भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

<u>परिशिष्ट - "तीन"</u>

अनाज बेचने पर हिग्राहियों को अनाज की आपूर्ति

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

15. अता.प्र.सं.71 (क्र. 941) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय उचित मूल्य की दुकानें जिन पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले तथा अन्य गरीब हितग्राहियों की उदर पूर्ति हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनाज प्राप्त होता है, लेकिन जब वो अनाज सेल्समैन द्वारा बेच दिया जाता है तो जितने महीनों का अनाज सेल्समैन द्वारा बेच दिया जाता है, गरीबों को उन महीनों का अनाज कभी भी उपलब्ध नहीं होता और न ही सेल्समैन से इस अनाज की प्रतिपूर्ति हो पाती है। क्या विभाग नियमों को कठोर कर अनाज बेचने वाले सेल्समैनों की संपत्ति की नीलामी कर/अन्य किसी माध्यम से बेचे गए अनाज की प्रतिपूर्ति करने हेतु कानून बनाने की कार्यवाही करेगा जिससे गरीबों को समय पर निरंतर अनाज मिलता रहे? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में सेल्समैन द्वारा अनाज बेच दिए जाने पर अनाज की प्रतिपूर्ति/राशि वसूली कैसे की जाती है? नियम, निर्देशों की प्रति उपलब्ध करावें। जिन महीनों का अनाज सेल्समैन द्वारा बेच दिया जाता है उस माह में हितग्राही को अनाज देने के क्या निर्देश हैं? नियम, निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [*(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राप्त हितग्राहियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राशन प्रदाय किया जाता है। यदि किसी राशन दुकानदारों द्वारा उक्त राशन बेच दिया जाता है। मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 16 (6) में वसूलने का प्रावधान दिया गया है जो इकोनामिक कास्ट/बाजार मूल्य है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार है। (ख)** EC Act की धारा 7 (क) में वसूलने की केंद्रीय सरकार की शास्ति है जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'ब' अनुसार** है। जिन माह की सामग्री (खाद्यान्न) हितग्राही को प्राप्त नहीं होता है उसके द्वारा दावा करने पर खाद्यान्न सुरक्षा देने का प्रावधान है जो समर्थन मूल्य को एक 1.25 गुना है नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'स' अनुसार** है।

बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन

[जल संसाधन]

16. अता.प्र.सं.75 (क्र. 955) श्री प्रवीण पाठक : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के ग्वालियर अंचल के जिला ग्वालियर भिण्ड एवं दतिया जिले के 233 ग्रामों के किसानों के लिये वर्ष 2017 से उत्तर दिनांक तक क्या कोई बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी? इसके तहत कौन-कौन से कार्य होना है? **(ख)** प्रत्येक सिंचाई परियोजना में किस कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत हुई? क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? प्रत्येक कार्य की पूर्णता अवधि कितनी निर्धारित है? उसका पूर्ण विवरण दें। **(ग)** प्रत्येक सिंचाई परियोजना में कार्य हेतु स्वीकृति राशि के विरूद्ध कितनी-कितनी राशि किस दिनांक को किस निर्माण एजेंसी को अग्रिम तथा मौके पर किये गये कार्य के मूल्यांकन उपरांत भुगतान की? भुगतान की गई राशि का मौके पर किसके द्वारा मूल्यांकन/सत्यापन किया गया? यदि मौके पर कार्य नहीं हुआ तो क्या बिना कार्य के राशि भुगतान किया जाना उचित है? यदि नहीं, तो किसके आदेश/स्वीकृति से राशि बिना कार्य के भुगतान की गई? इसके लिये कौन दोषी है? क्या दोषी के विरूद्ध कोई जांच या कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** क्या शासन/विभाग द्वारा उक्त लंबित बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं,? तो लंबित परियोजनाओं का क्रियान्वयन कब तक कर लिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** जी हाँ। एकमात्र मॉ रतनगढ़ बहुउद्देश्यीय परियोजना स्वीकृत है। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि डीपीआर अनुसार प्रथम चरण में मॉ रतनगढ़ परियोजना से 163 ग्रामों के 58,184 हेक्टेयर सैच्य क्षेत्र हेतु कार्य किया जा रहा है। चंबल नहर प्रणाली के टेल में भिण्ड जिले की 20,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए कालांतर में आवश्यकता होने पर नहर कार्य के लिए द्वितीय चरण की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने की व्यवस्था है। स्वीकृत कार्य के अंतर्गत बॉध का शीर्ष कार्य एवं नहर कार्य के अंतर्गत 58,184 हेक्टेयर सैच्य क्षेत्र के लिए प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली तथा 09 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का कार्य सम्मिलित होना प्रतिवेदित है। **(ख)** अनुबंध अनुसार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''अ'' अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-''ब'' अनुसार**

है। प्रश्नांश में वर्णित अनुसार बिना कार्य के राशि का भुगतान नहीं किया गया है अपितु सामग्री के विरूद्ध भुगतान किया जाना प्रतिवेदित है। सामग्री के विरूद्ध किए गए भुगतान की जांच हेतु शासन द्वारा अपर सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें मुख्य अभियंता, बोधी तथा अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग सदस्य हैं। जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है। **(घ)** तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अनुबंधानुसार यूनिट-I बाँध का कार्य अक्टूबर 2021 तथा यूनिट-II नहर कार्य जुलाई 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है परंतु माँ रतनगढ़ सिंचाई परियोजना के बाँध से प्रभावित होने वाली वनभूमि हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत-सरकार से प्रथम स्तरीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण बाँध निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। यूनिट-II नहर निर्माण कार्य प्रगति पर होना प्रतिवेदित है। भारत सरकार से प्रथम स्तरीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही बाँध निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। अतः परियोजना के पूर्ण होने के लिए निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट - ''चार''

खरीदी केन्द्रों पर संग्रहित सामग्री का भण्डारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

17. अता.प्र.सं.76 (क्र. 956) श्री प्रवीण पाठक : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में प्राइवेट वेयरहाउस में माल भरने के क्या नियम हैं? क्या खरीदी केंद्र से निकटतम दूरी से लेकर अधिकतम दूरी तक वेयरहाउस क्रम से भरे जाते हैं? यदि हाँ, तो खरीद केंद्रों से वेयरहाउस की दूरी के क्रम में ग्वालियर जिले की सीमा में स्थित प्राइवेट वेयरहाउस की क्षमता एवं समीपस्थ केन्द्र से दूरी सहित सूची उपलब्ध कराएं। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से उत्तर दिनांक तक किस प्राइवेट वेयरहाउस में कितना माल भरा गया? वेयरहाउस से माल उठाने के क्या नियम हैं? इसमें भी क्या निकटतम से अधिकतम दूरी का मानक लागू होता है? प्राइवेट वेयरहाउस में रखे गये माल को किस पीडीएस दुकान पर सप्लाई किया? उसका नाम एवं दूरी सहित जानकारी देवें। इस हेतु किस ट्रांसपोर्टर को कितनी राशि भुगतान की गई? वर्षवार एवं वेयरहाउसवार जानकारी दें। **(ग)** क्या ग्वालियर जिले की सीमा में वेयरहाउस खाली होने के उपरांत भी 2019-20 से उत्तर दिनांक तक जिले के बाहर प्राइवेट वेयरहाउस भरे गए? यदि हां? तो किस नियम के तहत? खरीद केन्द्र से सामग्री जिस प्राइवेट वेयरहाउस में रखी गई उसकी दूरी सहित सूची उपलब्ध कराएं। इस हेतु किस ट्रांसपोर्टर को कितनी राशि भुगतान की गई? वर्षवार एवं वेयरहाउसवार जानकारी दें। **(घ)** वेयरहाउस में रखे शासकीय माल में क्या कभी कोई शॉर्टेज आती है? यदि हाँ, तो क्यों एवं उसका क्या नियम है? इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **] (क)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न की गोदामों में भण्डारण हेतु प्राथमिकता का निर्धारण उपार्जन नीति के अंतर्गत किया जाता है। गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कंध के भण्डारण हेतु गोदामों का निर्धारण न्यूनतम व्यय के आधार पर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट – अ** में उल्लेखित गोदामों में प्राथमिकता क्रमानुसार किया जाता है। उपार्जन केन्द्र से

गोदाम की न्यूनतम दूरी के आधार पर भण्डारण हेतु गोदामों का चयन करना एकमात्र मापदण्ड नहीं है। विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत सरप्लस स्कंध को भारत सरकार को परिदान करने, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में खाद्यान्न की आवश्यकता एवं गारंटीयुक्त गोदामों में भण्डारण की अनिवार्यता होने के कारण भण्डारण में उपार्जन केन्द्र से गोदाम की न्यूनतम दूरी का पालन किया जाना संभव नहीं है। ग्वालियर जिले में निजी गोदाम एवं उनकी भण्डारण क्षमता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से अभी तक ग्वालियर जिले के निजी गोदामों में भण्डारित स्कंध की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट– स अनुसार** है। जिले में गोदामों भण्डारित स्कंध को प्रथम आगम-प्रथम निर्गम (FIFO) के आधार पर उठाव किया जाता है, किन्तु प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता, सरप्लस स्कंध को भारतीय खाद्य निगम के परिदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भण्डारित स्कंध की उठाव की कार्यवाही की जाती है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की पूर्ति हेतु उठाव में न्यूनतम दूरी के मापदण्ड को FIFO का पालन करते हुए किए जाता है। भारत सरकार को सरप्लस स्कंध के परिदान हेतु गोदामों का निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गोदमों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन की एक समान दूरी अनुसार दर का निर्धारण किया जाता है। गोदामवार उचित मूल्य दुकानों पर प्रदाय सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार** है। वर्ष 2019-20 से आज दिनांक तक सेक्टरवार एवं वर्षवार परिवहनकर्ता को भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार** है। **(ग)** ग्वालियर जिले में वर्ष 2019-20 से आज दिनांक तक पंजीकृत गोदामों में ही भण्डारण कराया गया है। जिले के बाहर उपार्जित स्कंध का भण्डारण नहीं कराया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। वेयरहाउस में भंडारित स्कंध के शॉर्टेज होने एवं उसके उत्तरदायित्व के निर्धारण के संबंध में जारी निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ई अनुसार** है।

अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

18. ता.प्र.सं. 5 (क्र. 961) श्री विनय सक्सेना : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले अंतर्गत गत तीन वर्षों में अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण आदि के कितने-कितने प्रकरण बनाये गये? किन-किन व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? किस-किस पर कितना-कितना जुर्माना अधिरोपित किया गया है? सभी जुर्माने संबंधी नोटिस/आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या मार्च 2021 में बांगड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध बिना अनुमति के उत्खनन एवं भण्डारण के फलस्वरूप, 71 करोड़ रूपये जुर्माने का नोटिस जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त मामले से संबंधित जांच प्रतिवेदन, नोटिस, कंपनी द्वारा दिया गया उत्तर, जमा कराई गयी राशि आदि की जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** विगत 10 वर्षों में विभाग के जबलपुर जिले कार्यालय में पदस्थ रहे अमले की सूची कार्यकालवार तथा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतें व की गयी कार्यवाही का विवरण उपलब्ध करावें।

खनिज साधन मंत्री : [*(क) प्रश्नांश की* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** ***(ख)*** *जी हाँ। बांगड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड के विरूद्ध अवैध उत्खनन एवं भंडारण के फलस्वरूप, रूपये 71,87,82,750/- जुर्माना राशि जमा करने हेतु कारण बताओ नोटिस पत्र क्रमांक 1666, दिनांक 26.03.2021 से माननीय कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदक कंपनी द्वारा उत्तर दिनांक तक रूपये 6,97,00,700/- जमा किया जा चुका है, प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष विचाराधीन है। शेष प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र'अ'*** *में दर्शित है।* ***(ग)*** *प्रश्नांश की* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र'ब' एवं'स'*** *में दर्शित है।*] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** पर दर्शित है।

<u>पृथक वितरित</u>

राशन दुकानों की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. अता.प्र.सं.89 (क्र. 982) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत 3 वर्षों में खरगोन विधानसभा क्षेत्र की राशन दुकानों पर कितना राशन आवंटित हुआ एवं कितना राशन वितरित हुआ? उसकी जानकारी महावार राशन दुकानवार देवें। किन-किन हितग्राहियों द्वारा राशन नहीं लिया गया या नहीं दिया गया माहवार, राशन दुकानवार और नहीं देने का कारण सहित सूची देवें। हितग्राहियों द्वारा नहीं लिए गए राशन का क्या किया गया? विवरण देवें। **(ख)** विगत 3 वर्षों में खरगोन जिले की कुल कितनी दुकानों में गड़बड़ियां पाई जाने पर क्या-क्या कार्रवाई की गई? इस अवधि में कितना खाद्यान्न जप्त किया गया। **(ग)** खरगोन जिले की राशन दुकानों पर विगत 3 वर्षों में कब-कब नापतौल अधिकारियों द्वारा तोलकाटों एवं नापों का सत्यापन कराया गया? सील लगवाई गई? उचित मूल्य दुकानवार जानकारी देवें। नापतोल अधिकारी द्वारा कांटों एवं नापो का सत्यापन कितने दिनों में करवाया जाना आवश्यक है? **(घ)** उचित मूल्य दुकानों पर बारदानों/थैलों का क्या किया जाता है? कितने वारदाना उचित मूल्य दुकानों पर से शेष है एवं बाकी कहां है?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** प्रश्नांकित अवधि में प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों के लिए कुल 51044 मेट्रिक टन राशन आवंटित हुआ एवं 45128 मेट्रिक टन राशन का वितरण हुआ। माहवार, दुकानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित हुए पात्र परिवारों में से किसी भी परिवार को राशन उपलब्ध न कराने का प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। उचित मूल्य दुकान पर राशन प्राप्त करने हेतु उपस्थित न होने वाले एवं राशन प्राप्त करने वाले परिवारों की दुकानवार संख्यात्मक **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत छूटे हुए एवं नवीन परिवारों को जोड़ने एवं अपात्र परिवारों को हटाने की कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है। प्रतिमाह लगभग 119 लाख परिवारों को खाद्यान्न का आवंटन जारी किया जाता है एवं राशन न लेने वाले हितग्राहियों का नामवार डाटा पृथक से संधारित न होने के कारण उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। **(ख)**

प्रश्नांकित अवधि में खरगोन जिले में 143 उचित मूल्य दुकानों में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही की गई, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में जप्त खाद्यान्न निरंक है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में खरगोन जिले की उचित मूल्य दुकानों के तौल-कांटे एवं मापों के सत्यापन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** है। नापतौल द्वारा इलेक्ट्रानिक तौल यंत्र वर्ष में एक बार एवं बांट दो वर्ष में एक बार सत्यापित करना आवश्यक है। **(घ)** उचित मूल्य दुकानों पर बारदाने खुले बाजार में बेच दिए जाते हैं एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत वितरण हेतु प्राप्त थैलों को राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को नि:शुल्क वितरण कर दिया गया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

राशन पात्रता सूची से हितग्राहियों के हटाये गये नाम

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 985) श्री मनोज चावला : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1250, दिनांक 10 मार्च 2022 के खण्ड 'क' के संदर्भ में बतावें कि जो 21202 परिवार पिछले 6 माह से राशन नहीं ले रहे थे, उन्होंने 2015 से सितंबर 2017 तक कितने महीने राशन प्राप्त किया? **(ख)** क्या कोई परिवार 6 माह तक राशन न ले तो उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इस संदर्भ में जारी परिपत्र/आदेश की प्रति देवें तथा बतावें कि मार्च 2018 में रतलाम शहर के अलावा अन्य किस शहर में कितने-कितने परिवार को आवंटन सूची में से हटाया गया और यदि सिर्फ रतलाम में ही हटाया गया तो क्यों? कारण बतावें। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में बतावें कि 21202 परिवार में से कुल हितग्राहियों की संख्या कितनी है तथा उनका नाम मात्र आवंटन सूची में से हटाया गया कि उनका कूपन निरस्त किया गया? **(घ)** प्रश्नाधीन 21202 परिवार क्या अपात्र हितग्राही थे या पात्र हितग्राही थे तथा उनके कितने-कितने नाम किस-किस दुकान पर दर्ज थे? **(ड.)** प्रश्नाधीन जिन 21202 परिवार के नाम आवंटन सूची से हटाए गए उनसे कोई पत्र व्यवहार किया गया या नहीं? उन्हें कैसे सूचित किया गया? क्या वे उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं या नहीं तथा उनका नाम हटाने पर उपभोक्ता संरक्षण के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** वर्ष 2015 से पी.ओ.एस. मशीन से राशन वितरण प्रारंभ किया गया था तथा वितरण रजिस्टर के माध्यम से जो वितरण किया जाता था, उसे बंद कर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 से नवीन पोर्टल की शुरूआत किये जाने से वर्ष 2019 के पूर्व का वितरण संबंधी डेटा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। **(ख)** विगत 6 माह से राशन न लेने वाले परिवारों को हटाने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किये गए। जिला इन्दौर में 432 परिवारों को एवं जिला देवास में 2468 परिवारों को आवंटन सूची से हटाया गया। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ग)** वर्ष 2019 के पूर्व NFSA पोर्टल प्रचलित था, किन्तु वर्ष 2019 से नवीन पोर्टल स्थापित होने से वर्ष 2018 में हटाये गये 21202 परिवारों के कितने हितग्राही थे, यह जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। उक्त परिवारों का नाम आवंटन सूची में से हटाया गया था, उनके कूपन (पात्रता पर्ची) अस्थाई रूप से बंद

किये गये थे। **(घ)** 21202 परिवार विगत 6 माह से राशन प्राप्त नहीं कर रहे थे, इसलिये ऐसे हितग्राही परिवार को अपात्र माना गया, कितने हितग्राही परिवार किस दुकान पर संलग्न थे, उसकी सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** जिन परिवारों के नाम आवंटन सूची से हटाये गये थे, उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया था। ऐसे हितग्राही राशन न लेने से उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आते हैं तथा उपभोक्ता संरक्षण के नियमों के अंतर्गत उपभोक्ता की परिभाषा अंतर्गत नहीं है, इस कारण उपभोक्ता संरक्षण के नियम को इस संदर्भ में लागू नहीं किया जा सकता है।

परिशिष्ट - "पाँच"

अनाज का भंडारण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. अता.प्र.सं.104 (क्र. 1022) श्री रामचन्द्र दांगी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजगढ़ जिले में शासकीय खरीदी कर अनाज का भंडारण करने के लिए कितनी क्षमता के कितने शासकीय व अशासकीय वेयर हाउस हैं। जिनमे से कितने वेयर हाउस पंजीकृत हैं? **(ख)** उपरोक्त पंजीकृत वेयरहाउस में से इस वर्ष कितने वेयर हाउस में कितना भंडारण किया गया? **(ग)** जिले में कितनी क्षमता के कितने वेयरहाउस ऐसे हैं जिनमें भंडारण नहीं किया गया? **(घ)** अनाज का भंडारण वेयरहाउस में करने हेतु क्या प्राथमिकता तय की गई एवं इस वर्ष कितने वेयरहाउस में अनाज का भंडारण किया गया व कितने में नहीं किया गया? सूची उपलब्ध करवायें। **(ड.)** जिले में अनाज का भंडारण करने का आधार क्या है व किन नियमों के तहत भंडारण किया गया? जानकारी व नियमावली उपलब्ध करवाएं।

खाद्य मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** राजगढ़ जिले में 32 शासकीय गोदाम है, जिसकी क्षमता 40400 में.टन है एवं अशासकीय 179 गोदाम में 616642 में. टन अनाज का भण्डारण किया गया है। जिले में पंजीकृत गोदाम की संख्या 6599 हैं। **(ख)** उपार्जित वर्ष 2022-23 में 95 गोदामों 145039 में.टन का भण्डारण किया गया। **(ग)** जिले में 117000 मे.टन के 84 वेअरहाउस है, जिसमें भण्डारण नहीं किया गया है। **(घ)** अनाज का भण्डारण वेअरहाउस में करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :- 1. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डिपों तथा रैक पाइंट/रोड परिवहन से परिदान, गारंटीयुक्त क्षमता यथा-स्टील सायलो, केप हायरिंग योजना- 2019 अंतर्गत निर्मित गारंटीयुक्त केप एवं भारतीय खाद्य निगम से अनुबंधित पी.ई.जी. गारंटी के गोदाम। 2. समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एजेन्सियों के गोदाम, सायलों बैग तथा ककून। 3. मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत अनुबंधित संचालित गोदाम। 4. किराये के गोदाम, जिला कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित किये गये गोदाम। 5. मंडी शेड एवं पक्के केप। 6. अस्थाई कच्चे केप। इस वर्ष 145039 में.टन क्षमता के गोदाम में भण्डारण किया गया है। **(ड.)** जिले में अनाज का भंडारण जिला उपार्जन समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है एवं भण्डारण के नियम निम्नानुसार है :- 1. भारतीय खाद्य निगम के गोदाम/डिपों तथा रैंक पाइंट/रोड परिवहन से परिदान, गारंटीयुक्त क्षमता यथा-स्टील सायलों, केप हायरिंग योजना-2019 अंतर्गत निर्मित गारंटी युक्त केप एवं भारतीय खाद्य निगम से अनुबंधित पी.ई.जी. गारंटी के गोदाम। 2. समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एजेन्सियों के गोदाम, सायलों

बैग तथा ककून। 3. मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की संयुक्त भागीदारी योजनांतर्गत अनुबंधित संचालित गोदाम। 4. किराये के गोदाम, जिला कलेक्टर द्वारा अधिग्रहित किये गये गोदाम। 5. मंडी शेड एवं पक्के कैंप। 6. अस्थाई कच्चे कैंप। उपरोक्त भंडारण की प्रक्रिया जे.व्ही.एस. पॉलिसी 2022-23 के अनुसार किया गया है, पालिसी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

राशन वितरण घोटाला

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

22. अता.प्र.सं.108 (क्र. 1042) श्री आरिफ अक़ील : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कोरोना काल सहित विगत 4 वर्षों में राशन वितरण के दौरान करोड़ों रूपये के घोटाले उजागर हुये हैं की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु संबंधित कलेक्टरों द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है? **(ख)** यदि हाँ, तो प्रदेश के किस-किस जिले में कुल कितनी-कितनी राशि के खाद्यान्न घोटाले उजागर हुये और प्रश्न दिनांक की स्थिति में किन-किनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित यह अवगत करावें कि कब तक कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** केवल जिला निवाड़ी के कलेक्टर द्वारा प्रमुख सचिव को पत्र लिखा गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

रेत परिवहन पर कार्यवाही

[खनिज साधन]

23. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 1096) श्री सुनील सराफ : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्र. 1175, दिनांक 10.03.2022 पर विधान सभा में चर्चा के दौरान दिए आश्वासन के फलस्वरूप गठित जांच दल की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति देवें। **(ख)** इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक की गई कार्यवाही से अवगत करावें। यदि कार्यवाही नहीं की गई है तो कारण बतावें। कब तक कार्यवाही होगी? **(ग)** जब करकोमा मार्ग पर रेत का परिवहन सिद्ध हो गया है तो परिवहन न होने का विधान सभा उत्तर देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग क्या कदम उठाएगा?

खनिज साधन मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1175, दिनांक 10.03.2022 पर विधानसभा में चर्चा के दौरान दिए गए आश्वासन के फलस्वरूप गठित जाँच दल की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। **(ख)** गठित जाँच दल की रिपोर्ट के आधार पर रेत ठेकेदार को ग्राम कटकोना के बाहर से बैहाटोला रेलवे अंडरब्रिज होते हुए उपलब्ध मार्ग का प्रयोग किए जाने हेतु कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पत्र दिनांक 05.05.2022 से निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** पर दर्शित है। **(ग)** विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1175 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 03.03.2022 को की गई जाँच के अनुसार उपस्थित ग्रामीणों द्वारा रेत का परिवहन ग्राम कटकोना के बाहर से बैहाटोला रेलवे अंडरब्रिज होते हुए उपलब्ध मार्ग के द्वारा ही खनिज रेत परिवहन किया जाना बताया गया, जिसके

मौका पंचनामा की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स** पर दर्शित है। पूर्व में किये गये उक्त परिवहन मार्ग के निरीक्षण दिनांक 03.03.2022 में बताया गया कि खनिज रेत का परिवहन मार्ग ग्राम पंचायत कटकोना से बैहाटोला होते हुए ग्रामीणों द्वारा बताया गया था। किन्तु दिनांक 13.04.2022 को उपस्थित ग्रामीणों द्वारा रेत परिवहन मार्ग उक्त मार्ग/पूर्व में बताये गये मार्ग के अतिरिक्त देवी चौराहा कटकोना से बैहाटोला स्टेशन मार्ग से परिवहन होना बताया गया। दिनांक 13.04.2022 को माननीय विधायक श्री सुनील सराफ जी की उपस्थिति में जाँच करने पर उपरोक्त मार्ग के अतिरिक्त कुछ व्यक्तियों, रेत खरीददार के द्वारा अन्य मार्ग का भी परिवहन हेतु उपयोग किया जाना बताया गया, जिसकी मौका जाँच पंचनामा की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द** पर दर्शित है। पूर्व में विधानसभा में उत्तर दिनांक 03.03.2022 को की गई जाँच के आधार पर दिया गया है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ऋण तथा शेष देय राशि के भुगतान में विलंब

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

24. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1115) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2022 में कालापीपल विधान सभा क्षेत्र में किस-किस सोसायटी या अन्य एजेन्सी के माध्यम से किस-किस किसान से कितनी मात्रा में कितनी दर से कुल कितनी राशि का गेहूँ खरीदा गया? सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किस-किस कृषकों की देय राशि में से कितनी राशि किस-किस सोसायटी या अन्य एजेन्सी के ऋण के पेटे काटी गई? ऐसा किस आदेश के तहत किया गया? उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि ऋण राशि तथा शेष देय राशि का भुगतान किस-किस दिनांक को कृषक तथा ऋण प्रदाय करने वाली एजेन्सी को किया गया? **(ग)** क्या ऋण प्रदाय एजेन्सी को भुगतान काफी विलंब से किया गया? क्या विलंब से भुगतान के कारण कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ न मिला तथा उन पर ब्याज तथा पेनाल्टी मिलाकर 7 से 10 प्रतिशत ब्याज वसूली की जा रही है? यदि हाँ, तो ऐसे कृषकों की सूची प्रदान करें तथा लगाई गई ब्याज राशि की जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में शासन ऋण राशि भुगतान में सोसायटी द्वारा विलंब करने पर क्या लगाया गया ब्याज निरस्त करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **]** **(क)** वर्ष 2022 में कालापीपल विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सहकारी संस्था तथा महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित 39 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर किसानवार उपार्जित गेहूं की मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप कालापीपल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत 2571 कृषकों से 10.85 करोड़ रू. की राशि सोसायटी आदि के बकाया ऋण पेटे में काटी गई है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। किसानवार ऋण मद में काटी गई राशि की दिनांकवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। विलंब से भुगतान पर कृषक पर लगाये गये ब्याज तथा पेनल्टी को निरस्त करने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा

निर्देश जारी किए गए है कि ऐसे कृषक जिनके द्वारा अपनी उपज 15/04/2022 तक समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई है और उनकी बकाया ऋण राशि की वसूली कटौती भी कर ली गई है, परंतु विक्रय की गई फसल की राशि 15/04/2022 के पश्चात् प्राप्त होने से कृषकों के खाते में विलंब से जमा हुई है, उनसे निर्धारित अवधि के पश्चात का ब्याज एवं दण्ड ब्याज की वसूली नहीं की जाए तथा ऐसे कृषकों को डिफाल्टर न मानते हुए शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना का लाभ दिया जाए और पात्रता अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाए। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

खाद्यान्न परिवहन पर व्यय की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. परि.अता.प्र.सं. 116 (क्र. 1116) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश स्तर पर कितना-कितना खाद्यान्न किस-किस प्रकार का खरीदा गया? परिवहन पर खाद्यान्न अनुसार कुल कितना खर्च हुआ तथा सहकारी विपणन संघ की खाद्यान्न उपार्जन में हानि (योजना कोड 3248), सहकारी समिति की हानि (योजना कोड 0570), परिवहन कमीशन (योजना कोड 1299), म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम की खाद्यान्न उपार्जन में हानि (योजना कोड 3229) में इन वर्षों में प्रस्तावित तथा वास्तविक आंकड़े क्या-क्या हैं? **(ख)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वर्षवार कितना खाद्यान्न किस-किस योजना के लिये किस दर से दिया गया? कितना खाद्यान्न भा.सा.नि. द्वारा केन्द्रीय पूल में उठाया गया? कितना निम्न गुणवत्ता का हो गया तथा कितना खराब होने पर नष्ट कर दिया गया तथा कितना शेष रहा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निम्न गुणवत्ता तथा शेष रहे खाद्यान्न का निष्पादन कैसे किया गया? निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न किस-किस एजेन्सी को किस-किस दर से बेचा गया तथा यह दर खाद्यान्न की सारे खर्च मिलाकर कुल लागत से प्रति क्विंटल कितनी कम रही? **(घ)** शाजापुर जिले में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक खाद्यान्न से परिवहन पर कितना खर्च किया गया? किस-किस दूरी के लिये किस दर से प्रति ट्रिप कितना भुगतान किया? उक्त दूरी की पी.डब्ल्यू.डी. तथा गूगल मेप द्वारा दर्शायी गयी दूरी की सूची देवें।

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के प्रकार एवं मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '1' अनुसार** है। खाद्यान्न के परिवहन पर व्यय की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '2' अनुसार** है। योजना कोड 3248, योजना कोड 0570, योजना कोड 1299 एवं योजना कोड 3229 में व्यय की राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '3' अनुसार** है। **(ख)** वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक वर्षवार, योजनावार वितरित, भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में परिदान किए गए एवं शेष रहे खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '4' अनुसार** है। उचित मूल्य दुकानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न 100 रू. प्रति क्विं. तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत नि:शुल्क वितरण हेतु प्रदाय किया गया है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '5' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांकित अवधि

निष्पादन में शेष रहे खाद्यान्न का वितरण आगामी वर्षों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र परिवारों को साथ ही अन्य कल्याणकारी योजना अंतर्गत मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए स्कूलों तथा आगनवाड़ी केन्द्रों को पोषण आहार के तहत वितरण एवं भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय पूल में परिदान किया गया है। निम्न गुणवत्ता का खाद्यान्न को विक्रय किया गया, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '6' अनुसार** है। खाद्यान्न, विक्रय दर एवं कुल लागत एवं हानि प्रति क्विं. की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट '7' अनुसार** है। **(घ)** शाजापुर जिले में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक खाद्यान्न परिवहन पर हुए व्यय, दर तथा पी.डब्ल्यू.डी. तथा गूगल मेप पर दर्शाई गई दूरी की **जानकारी परिशिष्ट '8' अनुसार** है।

खाद्यान्न भण्डारण की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. अता.प्र.सं.131 (क्र. 1118) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 31 दिसम्बर, 2021 को किस-किस प्रकार का कितना खाद्यान्न भण्डारण था तथा 30 जून 2022 तक कितना-कितना खाद्यान्न और खरीदा गया 30 जून 2022 के अनुसार किस-किस प्रकार के कितने खाद्यान्न का भण्डारण है? **(ख)** खाद्यान्न भण्डारण के शुल्क के रूप में 2017-18 से 2021-22 तक शाजापुर जिले में किस-किस व्यक्ति/फर्म को कितनी मात्रा के लिये किस दर से कितनी राशि का भुगतान देय थे? कितना किया गया तथा कितना शेष है? **(ग)** वर्ष 2022 में किस-किस प्रकार के खाद्यान्न का निष्पादन किया गया? किस-किस एजेन्सी इत्यादि को कितना खाद्यान्न किस दर से दिया गया? कितना खाद्यान्न किस दर से किस-किस देश को कितनी मात्रा में किस दर से कुल कितनी राशि का निर्यात (एक्सपोर्ट) किया गया? **(घ)** प्रश्नांश (ग) में उल्लेखित निर्यात क्या सीधे शासन द्वारा किया गया या किसी एजेन्सी के माध्यम से किया गया? सम्पूर्ण निर्यात प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी एजेन्सी का नाम देश का नाम दर, मात्रा कमीशन (यदि दिया गया) इत्यादि सहित देवें तथा बतावे कि वर्ष 2022 में कुल कितनी राशि का निर्यात किया गया?

खाद्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** 31 दिसम्बर, 2021 को समर्थन मूल्य पर उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण, 30 जून, 2022 तक उपार्जित एवं 30 जून, 2022 तक की स्थिति में भण्डारित खाद्यान्न की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार** है। **(ख)** शाजापुर जिले में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक उपार्जित खाद्यान्न के भण्डारण शुल्क के रूप में व्यक्ति/फर्मवार भुगतान की गई एवं भुगतान हेतु शेष राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी माहवार आवंटन अनुसार गेहूं, चावल ज्वार एवं बाजरा का सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत वितरण हेतु प्रदाय कर निष्पादन किया गया है। वर्ष 2019-20 में उपार्जित मात्रा में से 6.45 लाख मे. टन तथा वर्ष 2020-21 में उपार्जित मात्रा में से 5.8 लाख मे.टन चमकविहीन गेहूं का निष्पादन निविदा के माध्यम से किया गया है। एजेंसी दर एवं मात्रा की **जानकारी पुस्तकालय में**

रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का निर्यात नहीं किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

बी.पी.एल. राशन कार्ड की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. परि.अता.प्र.सं. 119 (क्र. 1132) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन द्वारा बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी नहीं करने के आदेश दिए गए हैं? यदि हाँ, तो उसकी प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि नहीं, तो 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक तहसील सरदारपुर में कितने नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाए गए? ग्रामवार जानकारी देवें। **(ग)** क्या बी.पी.एल. राशन कार्ड के बिना वृद्धा पेंशन व राशन पात्र गरीब के परिवारों को दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे और यदि नहीं, तो पात्र गरीब परिवारों को राशन व वृद्धा पेंशन दिए जाने हेतु क्या निर्देश जारी किए गए हैं? **(घ)** सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक कितने नवीन पात्र वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन व नवीन पात्र गरीब परिवारों को राशन दिया गया? सूची उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [*(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जी हॉ, म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक 257 भोपाल, दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा लोक सेवाओं के प्रदान की जानकारी अधिनियम 2010 में संशोधन कर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवायें क्रमांक 9.1 से 9.4 में बी.पी.एल./ए.पी.एल. राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नवीन पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतरण (म.प्र. के अंदर) की सुविधाओं को जोड़ा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 4 (1) के अनुसार भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ऑनलाईन जारी पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है। अत: मैन्युअली राशन कार्ड जारी करना अप्रासंगिक हो गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र दिनांक 15.01.2021 के माध्यम से राशन कार्ड/डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** है। **(ख)** उत्तर (क) अनुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** हॉ, बी.पी.एल. के अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित अन्य शेष पात्रता की 27 श्रेणियों में शामिल पात्र गरीब परिवारों को राशन का लाभ दिया जा सकता है। बी.पी.एल. राशन कार्ड के बिना वृद्धावस्था पेंशन व राशन पात्र गरीब परिवारों को दिया जा सकता है, जिन परिवारों के नाम अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार द्वारा बी.पी.एल. सूची में जोड़ने के आदेश पारित किये जाते हैं, उनका राशन मित्र पोर्टल पर बी.पी.एल श्रेणी में सत्यापन स्थानीय निकाय द्वारा करने के उपरांत ई-राशन कार्ड के रूप में राशन की पात्रता पर्ची जारी कर राशन प्रदाय किया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित हितग्राहियों को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। वृद्धा पेंशन हेतु निर्देशों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट " ब" अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांकित क्षेत्र में वर्ष 2021 से प्रश्न दिनांक तक नवीन पात्र वृद्धजनों को वृध्दा

पेंशन व राशन का लाभ प्राप्त करने वाले नवीन पात्र गरीब परिवारों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' एवं ''द'' अनुसार** है।

दिनांक 28 जुलाई, 2022

विकास एवं निर्माण कार्य

[नगरीय विकास एवं आवास]

28. अता.प्र.सं.6 (क्र. 58) श्री लखन घनघोरिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम जबलपुर द्वारा एवं स्मार्ट सिटी योजना में पूर्व विधान सभा क्षेत्र में कितनी-कितनी राशि के निर्माण एवं विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं कितनी राशि के कार्य कराये गये हैं? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की जानकारी दें। **(ख)** स्मार्ट सिटी योजना में स्वीकृत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य कब कराये गये है? कौन-कौन से कार्य कब से अपूर्ण, निर्माणाधीन एवं अप्रारंभ हैं एवं क्यों? स्वीकृत कौन-कौन से कार्यों को कब किसने बंद अथवा निरस्त किया है एवं क्यों? स्वीकृत स्मार्ट सड़कों की वर्तमान में क्या स्थिति है? कार्यों की वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें। **(ग)** स्वीकृत कितनी-कितनी राशि के किन-किन कार्यों के टेंडर वर्क आर्डर कब जारी किये गये और कौन-कौन से कार्य कब से प्रारंभ नहीं कराये गये हैं एवं क्यों? घमापुर से रद्दी चौकी तक स्वीकृत सड़क का कितना कार्य कब से अपूर्ण, निर्माणाधीन व अप्रारंभ है एवं क्यों? इसके लिये कब कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है।*** **] (क)** नगर निगम जबलपुर द्वारा एवं स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत वर्ष 2019-2020 से 2022-23 तक पूर्व विधान सभा क्षेत्र जबलपुर में निर्माण एवं विकास कार्य की स्वीकृत राशि एवं कराये गए कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" अनुसार** है। **(ख)** स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि के कराये गये कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" अनुसार** है। अपूर्ण, निर्माणाधीन कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** है। मेडीकल कॉलेज के पास स्थित बस स्टेण्ड में कम्युनिटी हॉल प्रोजेक्ट/कार्य हेतु भूमि का स्वामित्व प्राप्त न होने के कारण संचालक मंडल के द्वारा इसे निरस्त किया गया है। इसी प्रकार संचालक मंडल की बैठक दिनांक 05.07.2019 से फूटाताल स्थित मिनी स्पोर्ट काम्पलेक्स प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों के विरोध एवं जिला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन न करने के कारण इसे अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया गया है। स्वीकृत स्मार्ट सड़कों की वर्तमान स्थिति की जानकारी वर्षवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "इ" अनुसार** है। **(ग)** स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत स्वीकृत किये गए कार्यों के वर्क आर्डर एवं राशि अंतर्गत पूर्ण एवं निर्माणाधीन कार्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" अनुसार** है। स्वीकृत समस्त कार्य प्रारंभ होकर 66 कार्य पूर्ण व शेष निर्माणाधीन है। घमापुर से रद्दी चौकी तक सड़क डामरीकरण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण होकर शेष कार्य गतिशील है। उक्त कार्य हेतु राशि रू. 5.12 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं एवं प्रश्नांकित दिनांक तक राशि रू. 4.09 करोड़ का भुगतान किया गया है।

कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों पर अमल

[नगरीय विकास एवं आवास]

29. परि.अता.प्र.सं. 14 (क्र. 203) श्री तरूण भनोत : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जबलपुर जिले में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान शहर हित में लिये गए अधोसंरचना विकास से संबंधित लिये गए निर्णयों पर अब तक अमल नहीं किया गया? **(ख)** यदि हाँ, तो कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों पर अब तक अमल नहीं किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। **(ग)** क्या जबलपुर में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान शहर विकास को लेकर किन-किन परियोजनाओं को स्वीकृत एवं प्रस्तावित किया गया था? **(घ)** कैबिनेट मीटिंग के दौरान जबलपुर के विकास के लिए प्रस्तावित एवं स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है।***] **(क)** जबलपुर जिले में दिनांक 16/02/2019 का शक्ति भवन, जबलपुर में आयोजित मंत्री परिषद बैठक की कार्यसूची में नगरीय विकास एवं आवास विभाग का विषय अंकित नहीं पाया गया **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख), (ग)** एवं **(घ)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>परिशिष्ट - "छः"</u>

मोबाईल टिकटिंग टेक्नोलॉजी हेतु जारी निविदा

[नगरीय विकास एवं आवास]

30. अता.प्र.सं.45 (क्र. 798) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मोबाईल टिकटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (B.C.L.L) द्वारा जारी निविदा क्रमांक 78 में कितनी कंपनियों ने भाग लिया था? किस कंपनी को किन शर्तों पर काम दिया गया? क्या निविदा स्वीकृत करने की कार्यवाही भंडार द्वारा नियमों के पालन में की गई थी? जानकारी देवें। **(ख)** किन शर्तों पर निविदा क्रमांक 78 में कार्य का अनुंबंध किया गया था? यदि स्वीकृत निविदाकार ने शर्तों का पालन नहीं किया तो B.C.L.L. द्वारा प्रश्न दिनांक तक फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** B.C.L.L. में किस अनुंबंध के या निविदा के तहत बी.सी.एल.एल. (चलो एप) नामक एप्लीकेशन तैयार कराई गई? कंपनी (फर्म) किस-किस शहर में इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकती थी? अनुबंध की शर्तें बताई जावें। **(घ)** निविदाकार द्वारा B.C.L.L में 1 नवम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन मद में और कितना पैसा जमा किया? कंपनी द्वारा कितने पास 1 नवम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक जारी किए गए है? दिनवार, माहवार, पासेस का पूर्ण विवरण दिया जाए।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(क)** मोबाईल टिकटिंग टेक्नोलॉजी के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL द्वारा जारी निविदा क्रमांक 78 में दो कंपनियों ने भाग लिया था। मेसर्स जॉपहॉप टेक्नोलॉजिस प्रा.लि. को अनुबंध में दर्शित शर्तों पर कार्यादेश जारी किया गया था। अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। जी हाँ। निविदा स्वीकृत करने की कार्यवाही भण्डार द्वारा नियमों के पालन में की गई थी। **(ख)** निविदा

क्रमांक 78 में कार्य की शर्तों संबंधित जानकारी/दस्तावेज **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। निविदाकार द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने पर BCLL द्वारा अनुबंध के प्रावधान अनुसार सूचना पत्र जारी किये गये हैं। **(ग)** जी नहीं। BCLL द्वारा किसी भी अनुबंध या निविदा के तहत (चलो एप) नामक एप्लीकेशन तैयार नहीं करायी गई है। शेषांश का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(घ)** निविदाकार द्वारा BCLL में 1 नवंबर, 2018 से प्रश्न दिनांक जमा की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे 'परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है। कंपनी द्वारा 1 नवंबर 2018 से प्रश्न दिनांक तक दिनवार, माहवार जारी एक्टिव पास की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार** है।

प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय

[उच्च शिक्षा]

31. अता.प्र.सं.95 (क्र. 1196) श्री विनय सक्सेना : क्या उच्च शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने हेतु क्या-क्या नियम/मापदंड है? **(ख)** म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में कौन-कौन से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की गयी है? निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने हेतु आयोग को प्राप्त प्रस्ताव, आयोग द्वारा कराये गये निरीक्षण का प्रतिवेदन, शासन द्वारा जारी आशय पत्र की प्रति देवें। **(ग)** किन किन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा एक ही भवन में एक से अधिक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं? क्या उनके पास सभी पाठ्यक्रमों हेतु लागू अधोसंरचना, लैब, लायब्रेरी पृथक से उपलब्ध है? यदि, हाँ, तो पाठ्यक्रमवार उपलब्ध अधोसंरचना/सुविधाओं का विवरण मय अभिलेख बतावें। **(घ)** विगत तीन वर्षों में नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने संबंधी निजी विश्वविद्यालयों द्वारा म.प्र. निजी वि.वि. विनियामक आयोग में निर्धारित प्रोफार्मा में दी गयी जानकारी मय अभिलेखों की जानकारी देवें।

उच्च शिक्षा मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के प्रपत्र 1 से 9 अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है।*** *शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है।* ***(ग) एवं (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ख) शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है।** (ग) जी नहीं। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है।**

कॉलोनाईजरों के विरूद्ध रेरा को प्राप्त शिकायतें

[नगरीय विकास एवं आवास]

32. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 1310) श्री बाला बच्चन : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में इंदौर, भोपाल जिलों की कितनी कॉलोनियों के प्रस्ताव रेरा में लंबित हैं? कॉलोनी नाम, स्थान नाम, प्रस्ताव प्रस्तुति दिनांक सहित जिलावार जानकारी देवें। **(ख)** विगत 02 वर्षों में इंदौर एवं भोपाल के कितने कॉलोनाईजरों के विरूद्ध कितनी शिकायतें रेरा को प्राप्त हुई? जिलावार देवें। **(ग)** रेरा गठन के बाद इंदौर, भोपाल जिलों में कितनी अवैध कॉलोनियां बनी? उनकी सूची कॉलोनी नाम, स्थान नाम, कॉलोनाइजर नाम सहित देवें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [***(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है। (ख)*** *भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-31 के अंतर्गत विगत दो वर्ष में जिला इन्दौर के 447 एवं जिला भोपाल के 640 कॉलोनाईजर्स के विरूद्ध परिवाद प्राप्त हुए।* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"ब" अनुसार है। (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स"अनुसार** है।

दिनांक 29 जुलाई, 2022

पीड़ित दलितों को आर्थिक सहायता

[अनुसूचित जाति कल्याण]

33. अता.प्र.सं.5 (क्र. 51) श्री लखन घनघोरिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में एस.सी./एस.टी. के दलित उत्पीड़न के आपराधिक कितने-कितने मामले किन-किन धाराओं के तहत पंजीकृत किये गये हैं? वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक की माहवार व जिलावार जानकारी देवें। **(ख)** कितने प्रकरणों में कितने पीड़ितों को कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी गई। कितने प्रकरण अस्वीकृत किये गये। कितने प्रकरण लम्बित/विवेचना में हैं? कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया? जिलावार जानकारी दें। **(ग)** न्यायालयों में निर्णीत कितने प्रकरणों में कितने अपराधियों को सजा सुनाई गई। कितने प्रकरणों में कितने अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कितने प्रकरण लम्बित हैं? **(घ)** अपहरण व गुमशुदा (लापता) होने के कितने प्रकरणों में कितनी महिलाओं, बालिकाओं व बच्चों का पता लगाकर उन्हें घर पहुंचाया गया। कितने लापता हैं? कितने प्रकरणों को बंद किया गया है? दलितों पर अपराध के मामलों में देश में प्रदेश किस स्थान पर हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है।** (ख) एवं **(ग) की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है।** क्राइम इन इंडिया 2020 के अनुसार देश में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति पर घटित अत्याचार के प्रकरणों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में चतुर्थ स्थान पर है तथा अनुसूचित जाति संबंधित अत्याचार के प्रकरणों में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

योजनांतर्गत किये गये कार्य

[जनजातीय कार्य]

34. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 90) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बड़वानी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनजाति कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं से प्रदत्त राशि से विगत चार वर्षों में क्या-क्या निर्माण कार्य कहां-कहां कितनी राशि से कराये गये? निर्माण कार्यों की भौतिक स्थिति बतायें। **(ख)** क्या सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? किन-किन कार्यों के पूर्ण हो जाने के बाद भी अंतिम किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया? कारण बतायें।

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] **(क)** प्रश्नांश 'क' के सम्बन्ध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** जी-नहीं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।** किसी भी पूर्ण कार्य का अन्तिम किश्त का भुगतान शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्रवृत्ति का भुगतान

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

35. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 91) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सेंधवा एवं निवाली नोडल के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2022 तक पिछड़ा वर्ग, के किन-किन छात्रों के नाम से छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान किया गया हैं? छात्रों की वर्षवार, कक्षावार सूची देवें। **(ख)** वर्ष 2016 से 2022 तक की समयावधि में उक्त कॉलेज को पिछड़ा वर्ग, के छात्रों हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस बैंक खाते में भुगतान की गयी? **(ग)** वर्ष 2016 से 2022 तक की समयावधि में उक्त कॉलेज में कौन-कौन से छात्र विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं में सम्मिलित हुए तथा उनका परीक्षा परिणाम क्या रहा? छात्रवार जानकारी देवें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [*(क) सेंधवा एवं निवाली नोडल के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2022 तक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की वर्षवार, कोर्सवार* ***जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार*** *है। (ख) वर्ष 2016 से 2022 तक की समयावधि में कॉलेज के बैंक खाते में वितरित नहीं की गई है। छात्रवृत्ति राशि संबंधित छात्र के बैंक खाते में वितरित की गई है। (ग)* ***जानकारी एकत्रित की जा रही है।***] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक", "दो" एवं "तीन" अनुसार** है।

अपर सत्र न्यायालय की स्थापना

[विधि एवं विधायी कार्य]

36. अता.प्र.सं.20 (क्र. 259) श्री दिव्यराज सिंह : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग के द्वारा विकासखण्ड जवा में अपर सत्र न्यायालय की स्थापना के संबंध में कोई कार्यवाही प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो अपर सत्र न्यायालय की स्थापना जवा मुख्यालय में कब तक की जा सकेगी? यदि नहीं, तो क्या कारण है कि विकासखण्ड जवा अंतर्गत लगभग 100 ग्राम पंचायतें होने के बाद भी अभी तक अपर सत्र न्यायालय की स्थापना नहीं की जा सकी? **(ख)** क्या विकासखण्ड जवा अंतर्गत निवासरत ग्रामीणों को न्यायालय संबंधी कार्यों हेतु लगभग 100 कि.मी. दूर अपर सत्र न्यायालय त्योंथर जाना पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या विभाग के द्वारा ग्रामीणजनों एवं अधिवक्ताओं की लंबे समय से की जा रही मांग को दूर कर अपर सत्र न्यायालय की स्थापना जवा मुख्यालय में की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

गृह मंत्री : [***(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** **(क)** जी नहीं। जवा, जिला रीवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना से संबंधित कोई भी नवीन प्रस्ताव न होने से वर्तमान में कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। **(ख)** जी नहीं। जवा, जिला रीवा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार में लिया जा सकेगा। प्रश्नांश (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

खरीदी केन्द्र के कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय की राशि का भुगतान

[सहकारिता]

37. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 1276) श्री मेवाराम जाटव : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि म.प्र. के जिला-भिण्ड, तहसील-गोहद के अन्तर्गत आने वाले चना, मसूर, सरसों खरीदी केन्द्र सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पाली (डिरमन) सिरसौदा, शाखा गोहद एवं गोहद शाखा, जिला भिण्ड को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय की राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

सहकारिता मंत्री : [***जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **]** वर्ष 2019-20 के कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, वर्ष 2020-21 में कुल 03 संस्था गोहद, पाली एवं सिरसोदा को भुगतान योग्य राशि रू.11,55,826/- में से रू. 9,74,456/- (84.30%) का भुगतान हो चुका है, राशि रू.1,81,370/- (15.70%) का भुगतान शेष है, शेष राशि के भुगतान हेतु म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जानकारी दी गई है कि 85 प्रतिशत राशि का तदर्थ भुगतान किया जा चुका है। शेष 15 प्रतिशत राशि रू.1,81,370/- का भुगतान नेफेड एवं कार्पोरेशन द्वारा निष्पादित अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 31.iv की शर्त अनुसार कार्पोरेशन को नेफेड से प्राप्त होते ही समितियों को कर दिया जायेगा।

अनुदान राशि में अनियमितता

[अनुसूचित जाति कल्याण]

38. अता.प्र.सं.69 (क्र. 1360) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला/लड़की से बलात्कार होने पर पीड़िता द्वारा FIR दर्ज होने से कोर्ट निर्णय आने तक विभिन्न चरणों में दी जाने वाली राशि कितनी पीड़िता को, किस-किस चरण में, वर्ष 2015 के पश्चात दी गयी है कितनी राशि किस-किस चरण में देना शेष है पीड़िता को राशि किन-किन स्थानों पर किन-किन विभागों से कितनी-कितनी प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांश "क" संदर्भित पीड़िताओं को राशि देने के लिए विभाग ने संबंधित विभाग को किस-किस दिनांक को प्रस्ताव भेजे, जवाब की प्रतिलिपि देते हुये बताये की कितनी राशि किस अवधि में मिली? **(ग)** क्या पीड़िता को दी जाने वाली राशि का उपयोग अन्य कार्यों में किया गया है यदि हाँ, तो कितनी राशि का उपयोग/समायोजन किस अवधि में, किस कार्य के लिए किया गया? सम्बन्धित आदेश पत्रों की प्रतिलिपियां देवें?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) योजना नियम 1 अगस्त 2016 में प्रावधान अनुसार प्रथम चरण में 50 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 25 प्रतिशत एवं माननीय न्यायालय निर्णय पश्चात् दोष सिद्ध होने पर तृतीय चरण की राशि का भुगतान किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा ही प्रावधान अनुसार राशि दी जाती है। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। योजना नियम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। (ख)** योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग के बजट प्रावधान अनुसार भुगतान किया जाता है। किसी अन्य विभाग से भुगतान का संबंध नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पी.जी.डी.एम. के पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति

[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

39. परि.अता.प्र.सं. 53 (क्र. 1390) श्री प्रवीण पाठक : क्या राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में प्रबंध संकाय के तहत पी.जी.डी.एम. के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु सत्र 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 (उत्तर दिनांक तक) में प्रत्येक सत्र में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययन हेतु कितने छात्रों द्वारा प्रवेश लिया? प्रत्येक सत्र के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के कितने छात्रों के छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुये? इनमें से कितने स्वीकृत, कितने अस्वीकृत एवं कितने लंबित हैं? लंबित रहने के कारण सहित सत्रवार एवं पाठ्यक्रम वर्षवार बतायें। **(ख)** छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु क्या मापदण्ड एवं प्रक्रिया है? प्रत्येक सत्र में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक पाठ्यक्रम में वर्षवार कितनी छात्रवृत्ति राशि दी जानी थी? कितने छात्रों को किस दर से कितनी राशि स्वीकृत की एवं कितनी भुगतान की? सत्रवार एवं पाठ्यक्रम वर्षवार बतायें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में छात्रों के स्वीकृत आवेदनों में छात्रवृत्ति राशि भूतलक्षी प्रभाव से कम भुगतान की गई? यदि हाँ, तो कितने छात्रों की? कारण सहित छात्रवार, सत्रवार एवं पाठ्यक्रम वर्षवार बतायें।

राज्यमंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण : [*(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार है। मध्यप्रदेश में पी.जी.डी.एम. पाठ्यक्रम में अनियमितता के संबंध में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में जांच प्रचलन में होने से भुगतान लंबित है। **(ख)** पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया से संबंधित नियम/आदेश की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'तीन' अनुसार** है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'चार' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में छात्रवृत्ति राशि का नियमानुसार दर से भुगतान किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजनांतर्गत निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन

[अनुसूचित जाति कल्याण]

40. परि.अता.प्र.सं. 70 (क्र. 1434) श्री मनोज चावला : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले में अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 वर्ष 2022-23 में कितनी राशि का आवंटन विभाग से प्राप्त हुआ है और प्राप्त राशि से किस-किस जनप्रतिनिधि की अनुशंसा से कितनी कितनी राशि के निर्माण कार्य कहाँ-कहाँ स्वीकृत किए गए हैं? वर्षवार सूची देवें। **(ख)** विभाग द्वारा बस्ती विकास योजना अंतर्गत उक्त वर्षों में निर्माण कार्य के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन कब-कब किया गया है? **(ग)** प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा विधानसभा क्षेत्र 223 (अ.जा) आलोट अंतर्गत निर्माण कार्य के संबंध में विभाग को कितने कार्यों की अनुशंसा प्राप्त हुई है और उनमें से कितने कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं? वर्षवार सूची उपलब्ध कराएं। **(घ)** विभाग को प्राप्त राशि से निर्माण कार्य करने के संबंध में शासन के क्या प्रोटोकोल हैं? क्या यह सही है कि निर्माण कार्य की राशि स्वीकृत करने के संबंध में प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है? **(ड.)** वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक योजना अंतर्गत कितने कार्य अधूरे हैं और कितने शुरू ही नहीं हुए हैं? इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*(क) से (ड.) जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **]** **(क)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है।** **(ख)** योजना में निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का प्रावधान नहीं होने से शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है।** **(घ)** नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है।** प्रोटोकाल तय न होने से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। **(ड.)** 06 कार्य अधूरे हैं, अप्रारंभ कार्य निरंक हैं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अत्याचार अधिनियम के तहत अनुकंपा नियुक्ति

[अनुसूचित जाति कल्याण]

41. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 1440) इंजीनियर प्रदीप लारिया : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि सागर संभाग में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग में अत्याचार अधिनियम के तहत वर्ष 2018 से प्रश्न दिनांक तक कितने हत्या के प्रकरणों में पीड़ितों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री : [*जानकारी एकत्रित की जा रही है।* **]** **(क)** जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:- सागर-02, छतरपुर-01, टीकमगढ़-01, दमोह, पन्ना एवं निवाड़ी में जानकारी निरंक है।

प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंद कैदियों की जानकारी

[जेल]

42. अता.प्र.सं.118 (क्र. 1476) श्री जितु पटवारी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 2312 दिनांक दिनांक 14.03.2022 के संदर्भ में बतावें कि 31 जनवरी 2022 की स्थिति में बंदी आवास क्षमता से 17834 बंदी याने लगभग 60 प्रतिशत बंदी क्षमता के विरूद्ध क्यों रखे गये हैं? 30 जून की स्थिति में वर्ष 2014 से 2022 तक बंदी आवास क्षमता तथा उसके विरूद्ध

जेलों में परिरूद्ध बंदी की संख्या बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) उल्लेखित अवधि में बंदी आवास क्षमता तथा परिरूद्ध बंदी की संख्या सजायाफ्ता तथा विचाराधीन बंदी में पुरूष तथा महिला अनुसार बतावें। **(ग)** प्रश्न 2312 दिनांक 14.03.2022 अनुसार विचाराधीन बंदी वर्ष 2021 में औसत 247 से अधिक दिन जेल में रहा तथा 35 प्रतिशत प्रकरण से दोषमुक्त नहीं हुई ऐसे में उनका इतने दिन जेल में रहना/रखना मानव अधिकार के लिये गंभीर चुनौती तथा देश के मानव दिवस की अनावश्यक हानि नहीं है? क्या इस बिंदु पर कोई अनुसंधान प्रचलन में है? यदि नहीं, तो क्या प्रचलन में लाया जायेगा? **(घ)** वर्ष 2014 से जून 2022 तक अनु जाति जनजाति तथा महिलाओं के प्रति अपराध तथा पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध दर कितने कितने प्रतिशत है? **(ड.)** सजायाफ्ता तथा विचाराधीन कैदियों के लिये अलग अलग जेल क्यों नहीं बनाई जावेगी, चाहे उन्हें पृथक-पृथक रखा जाता है लेकिन भोजन तथा उनकी अन्य गतिविधियां तो शामिल होती हैं, क्या यह उचित है?

गृह मंत्री : [*(क) जेलों में न्यायालयीन निर्देशों के पालन में बंदियों को रखा जाता है। 30 जून की स्थिति में वर्ष 2014 से 2022 तक बंदी आवास क्षमता तथा उसके विरूद्ध जेलों में परिरूद्ध बंदियों की संख्यात्मक* ***जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है।* ***(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार*** *है। (ग) जेल में बंदी को सक्षम न्यायालय के वारंट के आधार पर निरूद्ध रखा जाता है एवं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ही रिहा किया जाता है। विचाराधीन बंदी को जेल में रखने के संबंध में जेल विभाग का कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। कोई अनुसंधान/कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।* ***(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** *(ड.) जेलों में सजायाफ्ता तथा विचाराधीन बंदियों को उपलब्ध बैरिकों/वार्डों में स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत पृथक-पृथक रखा जाता है। जेलों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु 51 अतिरिक्त बैरिक एवं भिण्ड, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, दतिया, बैतूल, दमोह, मंदसौर में नई जेलों के निर्माण की कार्यवाही प्रचलन में है। भोजन व अन्य गतिविधियाँ प्रशासनिक देखरेख में कराई जाती है।*] **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।**

<u>परिशिष्ट - "सात"</u>

जे.एम.एफ.सी. कोर्ट कोतमा न्यायालय के प्रकरण

[गृह]

43. अता.प्र.सं.122 (क्र. 1484) श्री सुनील सराफ : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राजकुमार पिता शंकर दयाल शुक्ला, अपराध क्रमांक 221/07 जिसका चालान जे.एम.एफ.सी. कोर्ट कोतमा में 16-08-2007 को प्रस्तुत किया गया था, की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें। यही जानकारी अपराध क्रमांक 121/14, चालान दिनांक 06-04-2017 तथा अपराध क्रमांक 473/19 चालान दिनांक 20-09-21 न्यायालय कोतमा के संबंध में देवें। **(ख)** उपरोक्त दो प्रकरण जो जे.एम.एफ.सी. कोर्ट कोतमा व एक न्यायालय कोतमा में विचाराधीन है, के प्रकरण क्रमांक देवें। इनमें कब-कब तारीखे लगी? पृथक-पृथक बतावें। **(ग)** उपरोक्त तारीखों में शासकीय अधिवक्ता कितनी बार उपस्थित/अनुपस्थित हुए, की जानकारी कोर्टवार, प्रकरणवार देवें। क्या कारण है कि अपराध क्र. 221/07 का निराकरण 15 वर्षों बाद भी नहीं हो पाया? क्या कारण है कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा तीनों प्रकरणों में बार-बार तारीखें बढ़वाकर आरोपी

को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? **(घ)** उपरोक्त तीनों प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार। (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार।**

सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

[सहकारिता]

44. ता.प्र.सं. 19 (क्र. 1510) श्री सुखदेव पांसे : क्या सहकारिता मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी स्वायत्त संस्था है? क्या पंजीयक कार्यालय/या पंजीयक उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है? **(ख)** यदि नहीं, तो दिनांक 01.01.2019 से अभी तक पंजीयक कार्यालय, भोपाल अन्तर्गत कितनी संस्थाओं के निर्वाचन की प्रक्रिया रोकने/स्थगित रखने/या शिकायतों की जांच के संबंध में कितने पत्र किस-किस अधिकारी द्वारा किसके अनुमोदन से लिखे गये और निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई? क्या यह नियमानुसार है? **(ग)** कितनी संस्थाओं के निर्वाचन/प्रतिनिधि प्रस्ताव पंजीयक कार्यालय को कब-कब प्राप्त हुए, कब निर्वाचन प्राधिकारी को भेजे, कितने समय पंजीयक कार्यालय में लंबित रखे गये, इसके लिये कौन उत्तरदायी है? **(घ)** प्रश्नांश (ख) एवं **(ग)** के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

सहकारिता मंत्री : [***(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है।*** **] (क)** जी हाँ, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-57-बी/ख (2) के प्रावधान अनुसार। जी नहीं, परन्तु निर्वाचन प्रस्ताव की अपूर्णता, शिकायत आदि के संबंध में पारस्परिक पत्राचार किया जाता है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एक अनुसार है।** निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय द्वारा उनकी कार्यवाही नियमानुसार होना बताई गई है। **(ग)** संस्थावार **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-दो अनुसार है।** प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण एवं निर्वाचन प्राधिकारी कार्यालय को अग्रेषण में कोरोना महामारी के कारण समय लगा है, अत: किसी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सुरक्षा गार्ड रखने पर शासन का व्यय

[जेल]

45. अता.प्र.सं.138 (क्र. 1513) श्री नारायण त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल जिले के विचाराधीन बंदी गिर्राज पुत्र बलराम को भोपाल जेल द्वारा दिनांक 26.07.2021 से 25.08.2021 तक अस्पताल में भर्ती रखने से सुरक्षा गार्ड रखने पर शासन का कितना व्यय हुआ? बतावे कि सुरक्षा में संख्या बल कितने गार्डों का लगाया गया? विवरण दें।

गृह मंत्री : [*जानकारी एकत्रित की जा रही है।*] दिनांक 26/07/2021 से 25/08/2021 तक विचाराधीन बंदी गिर्राज पुत्र बलराम को हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल में 01 प्रधान आरक्षक एवं 02 आरक्षक का पुलिस बल सुरक्षार्थ लगाया गया था। शासकीय सुरक्षा गार्ड लगाने के कारण राज्य शासन पर वित्तीय भार आने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।